मासिक

शिविरा पत्रिका

वर्ष : 53 अगस्त, 2012 अंक : 2

प्रकाशन तिथि : 2 अगस्त, 2012

मूल्य : 10 रुपये

18 वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह–2012

दिनांक : 28 जून 2012 **स्थान : बिड़ला आडिटोरियम, जयपुर**

(बाएं) 18 वें राज्यस्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि माननीय शिक्षामंत्री, राजस्थान सरकार श्री बृजकिशोर शर्मा, अध्यक्ष माननीय मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय एवं विशिष्ट अतिथि माननीया शिक्षा राज्य मंत्री, राज. सरकार श्रीमती नसीम अख्तर इन्साफ *दीप प्रज्वलन* करते हुए। *(बाएं)* समारोह के मुख्य अतिथि, अध्यक्ष एवं विशिष्ट अतिथि के साथ शासन सचिव एवं आयुक्त, सर्व शिक्षा अभियान भास्कर ए. सावन्त और निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान श्री हर सहाय मीणा *प्रशस्ति पुस्तिका का लोकार्पण* करते हुए। *(नीचे)* गरिमामय मंच से *सम्बोधन।*

सम्मानित भामाशाह

अब तक की सर्वोच्च राशि 1 करोड़ 59 लाख 64 हजार का सहयोग देने वाले श्री औंमकारमल जैन का सम्मान।

मुख्य अतिथि, अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि, शिक्षा अधिकारियों एवं गणमान्य लोगों के साथ सम्मानित भामाशाह।

शिविरा पत्रिका

प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा का समाचार-विचार मासिक

वर्ष : 53 अंक : 2

अगस्त, 2012

प्रकाशन तिथि : 2 अगस्त, 2012

प्रधान सम्पादक
हर सहाय मीणा, I.A.S.

●

वरिष्ठ सम्पादक
ओमप्रकाश सारस्वत

●

सहायक
सांग सिंह
मुकेश व्यास

- एक प्रति 10 रु.
- वार्षिक चंदा
  - शिक्षकों/लिपिकों के लिए 50 रु.
  - संस्थाओं/अन्य व्यक्तियों के लिए 100 रु.
- मनी ऑर्डर/बैंक ड्रॉफ्ट **निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर** के नाम देय है।
- पोस्टल ऑर्डर/चैक स्वीकार्य नहीं हैं।
- कृपया पूर्ण पता मय पिन कोड लिखें।

पत्र व्यवहार हेतु पता

वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा पत्रिका
माध्यमिक शिक्षा, राज. बीकानेर-334 011
दूरभाष : 0151-2528875
E-mail : teacher.today@yahoo.com

शिविरा पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार होते हैं। अभिव्यक्त विचारों से शिक्षा विभाग राजस्थान का सहमत होना आवश्यक नहीं है। –व.सं.

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते
श्रीमद्भगवद्गीता 4/38

इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है।
In this world there is no purifier as great as knowledge.

इस अंक में

शिक्षा और स्वतंत्रता	5	**दिशाकल्प**
गुरु अमृत की खान...	6	**देवदत्त शर्मा 'दाधीच'**
तीर पर कैसे रुकूँ मैं	7	**डॉ. गिरधर लाल शर्मा**
शिक्षा की गुणवत्ता का अभिवर्द्धन	9	**गायत्री शर्मा**
अधिगम अक्षमता, कारण और निवारण	10	**बालाराम परमार 'हँसमुख'**
सशक्तिकरण के लिए शिक्षक प्रशिक्षण	11	**प्रतापमल देवपुरा**
सम्प्रेषण कौशल	14	**विनोद कुमार सुथार**
मानव कल्याण के लिए रसायन : आशाएँ एवं चिन्ताएँ	15	**नीना पाण्डेय**
बापू की सीख - 14 स्वदेशी	17	**मो.क. गाँधी**
हिन्दी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के स्वर	35	**तरुण कुमार दाधीच**
अंततः रामतीर्थ ने कैसे भाषा संस्कृत सीखी	36	**साँवलाराम नामा**
जनजाति बच्चों में कला	37	**डॉ. मुकेश चौबीसा**
रपट : राज्यस्तरीय 18वाँ भामाशाह सम्मान समारोह, 2012	38	**मुकेश व्यास**
29वीं एशिया पैसिफिक रीजनल जम्बूरी	41	**आलोक शर्मा**
सहायक कर्मचारी की भूमिका	43	**कन्हैयालाल किराड़ू**
नेत्र की संरचना और नेत्रदान	44	**अशोक गुप्ता**
अजन्मी बेटी का अपनी माँ के नाम ख़त	46	**देवकी नन्दन वैष्णव**

स्थाई स्तम्भ

पाठक पीठ - 4/आदेश परिपत्र 19-34/ पुस्तक परिचय 47/
चतुर्दिक 48-49/ भामाशाह - 50

मुखावरण

नभांशु श्रीमाली

पाठक पीठ

मई-जून, 2012 'स्वाध्याय विशेषांक' एक उपयोगी, चिरस्मरणीय और संग्रहणीय अंक 'स्वाध्याय का इन्साइक्लोपीडिया' है। सर्वप्रथम ज्यों ही मैंने इसे खोलकर देखा तो सामने शिवचरण मंत्री का सार्थक आलेख था। मंत्रीजी ने ही पिछले दिनों बताया कि अब 'शिविरा पत्रिका' बहुत अच्छे रूप में प्रकाशित हो रही है। तदनन्तर रूपनारायण काबरा की उल्लेखनीय रचना पढ़ी। काबरा जी का ही आग्रह था कि मैं शिविरा पत्रिका का ग्राहक बन गया हूँ। मेरी भी अपेक्षा है कि प्रत्येक शिक्षक इसका वार्षिक शुल्क भेजकर ग्राहक बने। अब तो इसका प्रत्येक अंक ही एक विशेषांक लगता है। प्रतिध्वनि अच्छा लगा। इस अंक में अनेक लेखकों की एक से बढ़कर एक सशक्त रचना और उच्च पदस्थ अधिकारियों के महत्त्वपूर्ण आलेख देखकर सुखद आश्चर्य से अभिभूत हो रहा हूँ। हार्दिक बधाई ! दूरदर्शिता तथा अध्यवसाय से ही यह अनुष्ठान सम्पन्न हुआ, इसके लिए सम्पूर्ण शिक्षा जगत आभारी रहेगा। असंख्य बधाइयाँ !

–जगदीश चन्द्र शर्मा, गिलूंड (राजसमंद)-313207

शिविरा पत्रिका माह जुलाई, 2012 'स्वाध्याय अंक' के विविध लेख सम्पूर्ण शिक्षक एवं विभाग के मंत्रालयिक कार्मिकों के लिए पठनीय एवं शैक्षिक-मंथन के लिए परिपूर्ण हैं।

माननीय निदेशक महोदय ने दिशाकल्प में 'करें बच्चों का स्वागत' शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की मधुर जुगलबंदी ही समाज व राष्ट्र को ऊँचाइयाँ दिला सकती हैं। आइये, हम सब मिलकर इन बच्चों का स्वागत करें तथा उनके व्यक्तित्व व कृतित्व का निर्माण करने का संकल्प लें, प्रेरणादायक है तथा शिक्षक समाज को उत्प्रेरित किया है।

शिक्षक के सर्वस्व समर्पण, मनोयोग तथा कौशल के साथ अभिभावक तथा सामाजिक परिवेश भी बच्चों के विकास के सद्प्रयासों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर लें तो सुनहरे भारत का स्वप्न साकार होकर रहेगा। शिविरा के माध्यम से ज्ञानवर्द्धक सामग्री पाठकों हेतु प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद !

–देवेन्द्र कुमार कुमावत, सांगानेर, जयपुर

शिविरा पत्रिका जुलाई, 2012 अंक की समग्र विषयवस्तु लेखकों, निदेशक जी के उद्गार, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक विकास का सतत प्रवाह प्रवाहित करते हैं। वहीं कर्मयोग की ओर अग्रसर कर सम्मान से जीने और आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा भी देते हैं। डॉ. जाकिर हुसैन, राजेन्द्र भाणावत, 'सागर', जांगिड़, पण्ड्या के लेखों ने जीवन जीने की कला को बखूबी उकेरा है। अतः इन्हें ढेरों बधाई !

–साँवलाराम नामा, भीनमाल, जालौर

जुलाई 2012 का अंक अवकाश का सदुपयोग प्रसंग। असाक्षरों को साक्षर बनाना बच्चों को शाला जाने हेतु प्रेरित करना अवकाश का उत्कृष्ट उपयोग है। साथ ही साथ सबसे बड़ी समाज सेवा है। विद्यादान से बढ़कर कोई दान नहीं।

काश यह भावना हमारे अधिकांश बालगोपालों में पैदा हो जाए तो साक्षर भारत योजना निश्चित ही सफल हो जाय। नामांकन में भी बेतहासा वृद्धि का सबसे अच्छा व श्रेष्ठ माध्यम है यह। पुस्तक प्रेमी मास्टर मोतीलाल जी का प्रसंग अंक में समाहित करना पाठकों के लिए उपादेय सिद्ध होगा।

श्री श्री रविशंकर का मूल कथ्य कि सोच को सीमातीत बनाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इससे हम अवसाद से बचेंगे। जीवन को एक सीमित दायरे में बंधक न बनायें। सोच को सीमा से बाहर ले जाएँ। शिक्षा के पुरोधा आदरणीय डांडिया जी शतायु पार कर स्वस्थ व प्रसन्न हैं। यह इस अंक में पढ़ा। बड़ी प्रसन्नता हुई। ईश्वर से कामना है कि वे स्वस्थ व प्रसन्न रहें व समाज का मार्गदर्शन करते रहें।

–टेकचन्द्र शर्मा, झुंझुनूं

शिविरा माह जुलाई 2012 के अंक में राजेन्द्र भाणावत सा. का आलेख 'राजस्थान में प्रारम्भिक शिक्षा - दशा एवं दिशा' पढ़ा, भाणावत सा. ने आलेख के माध्यम से राजस्थान में प्रारम्भिक शिक्षा के पारदर्शी स्वरूप को उजागर कर शिक्षाविदों, योजनाकारों, प्रशासकों तथा जन सेवकों को मंथन करने के लिए मजबूर किया होगा ऐसा मानती हूँ। वर्तमान में सभी हाँ में हाँ मिलाते हैं, अधिकारियों को यथार्थ स्थिति से अवगत कराने का कोई साहस ही नहीं करता है। भाणावत सा. द्वारा सुझाए गए विचारों पर अमल करके अभी भी प्रारम्भिक शिक्षा को सही दशा एवं दिशा दी जा सकती है। शिविरा पत्रिका में ऐसा बेबाक आलेख प्रकाशित करने के लिए सम्पादक मण्डल के प्रति साधुवाद, भाणावत सा. को नमन्।

–विमला एस. सेठ, बांसवाड़ा

आभार

शिविरा के सुधि पाठकों से समय-समय पर मिलने वाली पाठकीय प्रतिक्रियाएं निश्चय ही हमारा पथ प्रदर्शन करने वाली होती हैं। इसके लिए हम विनीत भाव से उनके प्रति अपनी विनम्र कृतज्ञता प्रकट करते हैं। स्नेह की यह सरिता सतत प्रवाहित रहे, यही प्रार्थना है। –व.सं.

चिन्तन

जिस तालीम का असर हमारे चरित्र पर नहीं होता है, वह कुछ काम की नहीं है।
Education which does not mould our character is absolutely worthless.

–महात्मा गाँधी

सत्यमेव जयते

हर सहाय मीणा, आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

"... शिक्षकों को चाहिए कि स्वयं उदाहरण बनकर नैतिक गुणों का विकास अपने शिष्यों के मन में करें। ये उत्तम संस्कार निश्चय ही उनके भावी जीवन को निष्कंटक बनाने में मददगार होंगे। ..."

दिशाकल्प

शिक्षा और स्वतंत्रता

शिक्षा के उद्देश्यों को लेकर प्रायः यह कहा जाता है कि शिक्षा वह है जो बंधनों से मुक्ति दिलाए– ***सा विद्या या विमुक्तये।*** यहाँ मुक्ति का आशय जरा गहराई से समझना जरूरी है। पहला बंधन एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर होता है जिसे हम गुलामी कहते हैं और दूसरा बंधन व्यक्ति का स्वयं अपने पर होता है। इस दूसरे प्रकार के बंधन को समझने और उससे मुक्ति के बारे में उपाय करना ही शिक्षा का काम है। स्वयं को समझने में स्वतंत्रता, विवेक और अनुशासन सब कुछ है जो अन्ततः सुखद जीवन के आधार हैं। बुद्ध ने इसे 'अप्प दीपो भव' कहा है।

महान् दार्शनिक रूसो ने कहा है– Man is born free but everywhere he is in chains. व्यक्ति जन्म के समय स्वतंत्र होता है लेकिन बाद में हर जगह बंधनों में दिखाई देता है। यह स्वतंत्रता और बंधन क्या है? और बंधनों से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। इन बंधनों से मुक्ति का मार्ग शिक्षा ही है। व्यक्ति को ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना कहा जाता है। ईश्वर है या नहीं, हम इस विषय में नहीं पड़ते क्योंकि दुनिया में कोई भी शख्स ईश्वर से साक्षात्कार करने का दावा नहीं कर सकता। मगर ईश्वर को लेकर जिन उच्च मानवीय गुणों की चर्चा की जाती है, वे निश्चय ही विचारणीय हैं। दया प्रेम और उपकार को हम इन गुणों में सिरे रख सकते हैं। इन गुणों का विकास व्यक्ति के हृदय में करना निश्चय ही शिक्षा का काम है।

शिक्षकों को चाहिए कि स्वयं उदाहरण बनकर नैतिक गुणों का विकास अपने शिष्यों के मन में करें। ये उत्तम संस्कार निश्चय ही उनके भावी जीवन को निष्कंटक बनाने में मददगार होंगे। इस प्रकार समाज में एक आदर्श गुणमयी जीवन व्यवस्था की संरचना व स्थापना शिक्षा एवं शिक्षकों को करनी है। सदियों से शिक्षक ऐसा करते आये हैं। मुझे पूर्ण भरोसा है कि आज की पीढ़ी के हमारे शिक्षक इस महान कार्य को करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे।

अगस्त माह में भारत का स्वतंत्रता दिवस है। हजारों देशभक्तों की कुर्बानी से हासिल स्वतंत्रता का मूल्य समझना एवं उसे अक्षुण्ण बनाए रखना हर भारतीय का अहम् कर्तव्य है। इस माह में दिवंगत प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी एवं मदर टेरेसा के जन्मदिवस हैं। नई शिक्षा नीति एवं सूचना एवं सम्प्रेषण क्रान्ति के पुरोधा के रूप में राजीव गांधी जी को हम भूल नहीं सकते। वस्तुतः इस महान योगदान के कारण हमें मिल रही सुविधाओं के रूप में वे अमर रहेंगे। करुणा की भण्डार मदर टेरेसा को स्मरण करने मात्र से मन को सुकून मिलता है। इन दोनों महान विभूतियों को प्रणाम करते हुए मुझे गौरवानुभूति हो रही है।

पिछले महीने मैं कई विद्यालयों में निरीक्षण के लिए गया। मुझे यह लिखते हुए खेद हो रहा है कि विद्यालयों में शिक्षण, खेलकूद, कम्प्यूटर शिक्षा पाठ्यक्रम सहगामी गतिविधियों आदि के आयोजन में वांछित गम्भीरता मुझे दिखाई नहीं दी। सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था का भी प्रायः अभाव दिखाई दिया। मैं चाहता हूँ कि विद्यालय में शिक्षक से लेकर फील्ड में हमारे जिला शिक्षा अधिकारी एवं उपनिदेशक स्तर के अधिकारी इन कार्यों की तरफ ध्यान देकर उचित व्यवस्था व प्रभावी शैक्षिक पर्यावरण की निर्मिति में अपना योगदान दें।

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ,

(हर सहाय मीणा)
hsmeena2001@yahoo.com

गुरु अमृत की खान...

❑ देवदत्त शर्मा 'दाधीच'

तारणाय मनुष्याणां संसारे परिवर्तताम्।
नास्ति तीर्थ गुरुसमं बन्धन श्रेष्ठ कर्म दित्यम्।
अखण्ड मण्डालाकारं व्याप्तं येन चराचरम्।
तत् पदं दर्शित येन, तस्मै श्री गुरवे नमः।

संसार में भटकने वाले मनुष्यों को तारने के लिए गुरुदेव के समान बन्धन नाशक तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने भगवत गीता में श्री गुरुदेव को ढूंढ़ने और उन तक पहुँचने की विधि बताई। जैसे सूर्यदेव संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार श्री गुरुदेव अपने शिष्यों को उत्तम बुद्धि देकर उनके अन्तर्जगत को प्रकाशपूर्ण बनाते हैं। श्री गुरुग्रंथ साहब में गुरु की महिमा गाई 'गुरु पूरा बड़भागी पाइए- मिली साधु हरिनाम छिसाइए' मनुष्य चाहे कितना भी जप-तप करे, यह नियमों का पालन करे, परन्तु जब तक सद्गुरु की कृपा दृष्टि नहीं मिलती तब तक सब व्यर्थ है। मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिला है इसके जीने की कला, जीवन की सार्थकता हम गुरु से ही सीखते हैं।

गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः,
गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।

भारतीय संस्कृति में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया है। हमारी परम्पराओं के अनुसार गुरु के बिना न तो ज्ञान ही मिलता है और न ही संसार सागर से मुक्ति। रामचरित मानस में कहा है। 'गुरु बिन होय न ज्ञान' तथा 'गुरु बिन भव निधि तरई न कोई।' सच्चे गुरु माता-पिता होते हैं। परमात्मा भी हमारे माता-पिता के समान हैं। सब जगत के श्रीकृष्ण ही गुरु हैं 'कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं' उन्होंने जो गीता का उपदेश ज्ञान दिया वह समस्त जगत के प्राणी मात्र के लिए है।

'यह तन विष की बेल है, गुरु अमृत की खान। सीस दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान।' गुरु स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं परमार्थ सिद्धि के लिए होना चाहिए। एक बार आपने गुरु का चुनाव कर लिया है तो उसे जन्म भर निभाना चाहिए। गुरु शिष्य परम्परा बहुत पुरानी है। हमारे वेद, पुराण, रामायण, महाभारत व अन्य साहित्य कृतियों में भी गुरु शिष्यों की गाथाएं भरी पड़ी हैं। विचारकों ने चार गुरु माने हैं, ईश्वर, माता, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। धर्म, ज्ञान और भक्ति का उपदेश देने वाला गुरु कहलाता है। जिस घर में गुरु का आदर और सम्मान होता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। मोक्ष की प्राप्ति भी गुरु से दीक्षित हुए बिना संभव नहीं है।

गुरु-गोविन्द दोनों खड़े काकै लागूँ पायँ।
बलिहारी गुरु आपने गोविन्द दियो बताय।

प्राचीन काल से ही हमारी परम्परा रही है कि जो भी व्यक्ति जीवन में हमारा उचित मार्गदर्शन करे उसे हम गुरु का दर्जा देते आये हैं। गुरु के जीवन में आने पर प्रेम जागेगा व श्रद्धा उत्पन्न होगी। हम तीर बन जाते हैं और गुरु धनुष। बिना धनुष के तीर का कोई महत्व नहीं होता है इसलिए गुरु रूपी खींचे हुए धनुष पर शिष्यरूपी तीर चढ़ता है तो उसकी यात्रा ही परमात्मा की यात्रा होती है। शिक्षा किससे ग्रहण की जाए इसका स्पष्ट उत्तर है गुरु से। गुरु कौन? पौराणिक ग्रंथों में लिखा है सिर्फ मनुष्य ही नहीं पशु-पक्षी, कीट-पतंगा से भी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और ये किया है दत्तात्रेय स्वामी ने जो ऋषि अत्रि व सती अनुसुइया के पुत्र थे।

स्वर सभी असमर्थ, कैसे गुण कीर्तन करूं?
जी यही कहता गुरुवर मन ही मन सुमरण करूं?

गुरु का काम श्रद्धा और निष्ठा को परिपक्व करना है साधक की अपने गुरु में दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए जैसे एकलव्य की गुरु द्रोणाचार्य में। गुरु अपने शिष्यों के भ्रम को दूर करके उनको नष्ट करता है और लोहा से पारस बना देता है। सच्चा गुरु हमारे मिथ्या बोध को नष्ट कर देता है। रामचरित मानस में गोस्वामी ने गुरु के बारे में लिखा है। 'बंदऊ गुरु पद कंज कृपा सिन्धुनर रूपहरि, महा मोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर।' तथा हनुमान चालीसा में भी कहा। 'जय जय जय हनुमान गोसाईं कृपा करो गुरु देव की नाईं।' जिसको गुरु का अनुग्रह मिला हो गुरु सेवा के परमानन्द का जिसने भोग किया हो, वही गुरु की माधुरी जान सकता है। गजलगीता में भी गुरु को सबसे पहले प्रणाम किया है। 'प्रथम गुरु को शीश नवाऊँ, हरिचरणों में ध्यान लगाऊँ।' जिसने गुरु को नहीं पहचाना उसने भगवत प्राप्ति के लिए जड़ का सिंचन नहीं किया। गुरु क्षमाशील व करुणा की मूर्ति होते हैं श्रद्धा भाव को धारण करते हुए। भारत वर्ष में गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की परम्परा सदियों पुरानी है जो हम प्रति वर्ष आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को मनाते हैं। इस दिन शिष्य अपने भावी जीवन में सफलता एवं मोक्ष का आशीर्वाद प्राप्त करता है और प्रार्थना करता है। 'वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। पर सेवा पर उपकार करें हम जीवन सफल बना जावें।' आषाढ़ पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। यह गुरु भक्ति को समर्पित पवित्र दिन है। यह अट्ठाइसवें व्यास हैं जो द्वापर युग में हुए थे। यह महर्षि वशिष्ठ के प्रपोत्र व शक्ति ऋषि के पौत्र, पारशर ऋषि के पुत्र तथा सुखदेव जी के पिता थे। गीता में भी भगवान श्रीकृष्ण ने वेद व्यास जी को स्मरण किया है।

'अश्वत्थामा बलि व्यासों हनुमानश्च विभिषण कृप परशुरामश्च सप्तैत चिरजीविनः' (16 प्रातः स्मरण) एवं विभूतियोग के श्लोक 13 में भी 'असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रवीषि में।' (अध्याय=10) गुरुपूर्णिमा समर्पण, विसर्जन विलय का पर्व है। गुरु ज्ञान को आचरण में समाविष्ठ करना सच्ची गुरु दक्षिणा है। स्वामी रामसुख दासजी द्वारा लिखित पुस्तक 'क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं।' (1072) गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित को सभी को ध्यान पूर्वक पढ़कर

उस पर मनन करना चाहिए ताकि हमारा मन भगवान व गुरु में लग जाए और इस संसार सागर से हम पार हो सकें 'ध्यानमूलम, गुरोमूर्ति, पूजामूलं, गुरोपदमं। मंत्रमूलं, गुरोवाक्यं मोक्षमूलं, गुरुकृपा।' व्यास जी कहते हैं कि सच्चा शिक्षित व्यक्ति उसे ही देखे, तथा शील एवं विनय से मनुष्य विश्व को एक दिन में वश में कर सकता है तथा श्रेष्ठ शिक्षा के लिए शुद्धतम बुद्धि का आधार ही ब्रह्मचर्य, साधना व गायत्री मंत्र से बुद्धि शुद्ध होती है। पुराणों में भी व्यास जी ने अष्टांग आयुर्वेद आयुर्वेद का वर्णन किया है।

महाभारत का लेखन कार्य श्री गणेश जी से व्यास जी ने कराया। वेद पुराणों की रचना की। श्री वेद व्यास जी की जन्मभूमि के सम्बन्ध में अलग-अलग विचार हैं यह पूर्व रेलवे की हावड़ा नागपुर लाइन पर राउरकेला जंक्शन है वहाँ से 4 मील पश्चिम में शंख नदी, कोयले और ब्राह्म नदियों से गिरा द्वीप है उसको जन्मभूमि मानते हैं कुछ लोग युकादेव के हमीरपुर जिले में कालपी नामक कस्बा को जन्म स्थान मानते हैं। आजकल गुरुओं की बाढ़ आ गई है। बड़े-बड़े मठ मंदिर विशाल भवन बन गए हैं इनमें कुछ ऐसे निकले जिनके चरित्र से हमारी भारतीय संस्कृति के ऊपर धब्बा लगा है। अनेक शिक्षकों के कारनामे सभी को मालूम है। अतः व्यक्ति के जीवन में कभी-कभी दोष उत्पन्न हो जाते हैं इसलिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने व्यक्ति विशेष को गुरु न मानकर भारतीय संस्कृति का प्रतीक भगवा ध्वज को गुरु माना है। इसलिए कहते हैं।

'गुरु कीजै जान के, पानी पीजै छान के'

अतः गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम प्रतिज्ञा करें कि गुरु के प्रति हमेशा श्रद्धा रखेंगे व उसके दिए हुए ज्ञान का सबके कल्याण के लिए प्रचार-प्रसार करेंगे जिससे विश्व के प्राणिमात्र का कल्याण हो। 'सत्गुरु बिरला ही कोई, साधु सन्त अनेक। सर्प करोड़ों भूमि पर, मणियुक्त कोई एक॥' मन समर्पित तन समर्पित और जीवन समर्पित चाहता हूँ गुरुदेव आपको अभी कुछ और भी दूँ। आज श्रद्धा-सुमन अर्पित कर रहा हर्षित गगन, हे परम् अराध्य गुरु देव है शत-शत नमन॥

(साभार : मॉर्निंग न्यूज, जयपुर; 3.7.12)

भारतीय शिक्षा में शिक्षक शिक्षार्थी

तीर पर कैसे रुकूँ मैं

❑ डॉ. गिरधर लाल शर्मा

शिक्षा मनुष्य के लिए है और मनुष्य मानवता के लिए है। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का निर्माण करना है जो मानवता के काम आवे। मनुष्य इकाई है और उसे मानवता अर्थात समाज समष्टिक के लिए काम करना है। प्रत्येक मनुष्य को अपनी सीमा के बाहर आकर असीम की ओर बढ़ना है। मनुष्य के अन्तःकरण एवं मन में असीमित संभावनाएँ छिपी रहती हैं, जिनका विकास किया जाना अत्यावश्यक है। जो अन्दर है उसी की अभिव्यक्ति बाहर होती है। ज्ञान अपनी सम्पूर्णता में सबके भीतर स्थित है, जो अज्ञान के पर्दे से आवश्यक है जिसे अनावश्यक किया जाता है। इस अनावरण का प्रयास ही शिक्षा है। जैसे-जैसे अज्ञान का पर्दा हटता जायेगा वैसे-वैसे ज्ञान प्रतिभाषित होता है। जो कुछ एक में अर्थात पिण्ड में व्याप्त है, वही ब्रह्माण्ड में व्याप्त है। मनुष्य नाम, रूप, रंग से संसार में बँटा हुआ प्राणी नहीं है। मनुष्य नाम, रूप, रंग से संसार में बँटा हुआ प्राणी नहीं है। हम सब एक हैं, हम सब अद्वितीय हैं। इस अद्वितीयता की शिक्षा बचपन से ही दी जानी चाहिए। **'मैं पूर्ण हूँ' यह विश्वास प्रत्येक बच्चे में दृढ़ किया जाना चाहिए।** मानवेत्तर जीव जन्तु एवं पशु पक्षी आदि अपने निहित गुण धर्मों के अनुरूप स्वतः विकासशील रहते हैं, किन्तु अप्राप्त को प्राप्त करने, अनदेखे को देखने तथा असम्भव को सम्भव बनाने की आकांक्षा और उस हेतु तत्पर होना केवल मानव में दिखाई देता है। मानव जीवन पूर्णता में निहित होता है। पूर्णता का अर्थ सभी बंधनों, सभी सीमाओं तथा सभी भयों आदि से निवृत्ति है। सभी इच्छाओं आकांक्षाओं की समाप्ति कर पूर्ण काम होना और सभी दुःखों से निवृत्ति पाकर परम सुख प्राप्त करना है।

यह हमारा दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे देश में देशभक्ति तथा प्राच्य शिक्षा का नाश हुआ है। आज आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्रीय जागरूकता की वृद्धि तथा राष्ट्रीय एकीकरण एवं एकता के सुदृढ़ीकरण का उत्तरदायित्व शिक्षण संस्थाएँ एवं शिक्षकगण संभालें। **शिक्षा, शिक्षक तथा शिष्य की त्रिवेणी वास्तव में एक चित्र के तीन पहलू हैं।** एक की भी चर्चा की जाये तो शेष दो गतार्थ रहते हैं। अतएव ये तीनों परस्पर अविभाज्य हैं।

आज छात्र को उचित-अनुचित का ज्ञान कराना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है– क्योंकि आज हमारे देश में अच्छे डॉक्टर्स इंजीनियर, प्रोफेसर, जज व उद्योगपति बहुत है। किन्तु इंसानों का अभाव हो गया है। यह बताना गुरु का ही दायित्व है कि मंदिर में घी का दिया जलाना ज्यादा उपयोगी है। यह कार्य मूल्यों से अनुशासित शिक्षक ही कर पायेगा– ऐसा वह तभी कर पायेगा, जब वह स्वयं व्यसन मुक्त होगा तभी वह अच्छा शिक्षक बन पायेगा। यह केवल साधना के द्वारा ही सम्भव है। इसके लिए विचारों की साधना सबसे बड़ी साधना है, जो स्वाध्याय से ही सम्भव है। तभी राष्ट्र की अनगढ़ता को मिटाकर उसे सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया जा सकता है। शिक्षावान पीढ़ी को विद्यावान बनाकर तथा विद्यावान का आध्यात्मिक सामाजीकरण करके ही राष्ट्रीय अस्मिता को प्रकट किया जा सकता है। **जो दिया स्वयं जलता है, वही अन्य दीपकों को जला सकने का सामर्थ्य रखता है।**

शिक्षा मूलतः समाज का सरोकार व दायित्व है। अतएव इसे समाज द्वारा ही संचालित कराया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा न केवल व्यक्ति की आत्मिक मुक्ति के लिए है बल्कि विश्वमात्र के कल्याण के लिए है। *'आत्मनों मोक्षार्थ जगत् हिताय च।'*

व्यक्ति तथा समाज परस्परावलम्बी हैं। व्यक्ति समाजरूपी राष्ट्रीय सम्पत्ति का स्वामी होता है तथा राष्ट्रीय ज्ञान-सम्पदा एवं सत्ता सभी कुछ व्यक्ति की होती है। व्यक्ति के तन, मन, गुण, सम्पत्ति सभी राष्ट्रीय और समाजसेवा हेतु होते हैं। *'वसुधैव कुटुम्बकम् और धर्मार्थकाममोक्ष'* रूप मूल्यों को प्राप्त कर जीवन को सार्थक बनाना ही शिक्षा का महान अवदान है–

अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम्।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥

शिक्षक शिक्षा का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। किसी भी समाज और राष्ट्र की ऊँचाई तथा गरिमा वही होती है जो उसके शिक्षकों की होती है। आज शिक्षक को चाहिए कि वह उन्हीं गुणों का स्वयं पालन और विकास करे जिन्हें वह छात्रों को देना चाहता है। उसे अपने मन, वचन, कर्म में एकरूपता लानी होगी। इस प्रक्रिया में जब वह 'आत्मदीपो भव' का व्रत लेगा, तभी उसका शक्तिकरण संस्कार सार्थक होगा।

जीवन के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण– समूची सृष्टि में ही व्यक्ति एक ईश्वरीय व्यवस्था के अन्तर्गत क्रियाशील है। शिक्षक भी इस व्यवस्था में है। उसका कार्य जीवन निर्माण है न कि भवन निर्माण, शिक्षक इस तथ्य को गहराई से करे और इस आत्मबोध के सहारे अपने कर्तव्यों का निर्धारण करे।

चूँकि दीप से ही दीप जलाया जाता है। अतः विद्यार्थी के जीवन से पहले अपने जीवन का निर्माण करना, शिक्षक का पहला कर्तव्य है। शिक्षक यानी एक प्रमाणित व्यक्तित्व, ज्ञान की गरिमा, व्यक्तित्व की महिमा और श्रद्धा के प्रति संवेदना।

इस त्रिवेणी संगम में स्नान कर सके शिक्षक एक ऐसे चौराहे पर खड़ा होता है जहाँ छात्र-अभिभावक-समाज और शासन सभी मिलते हैं। उसके जीवन की ऊर्ध्वगामिता, इनके उन्नयन के लिए समर्पित हों। उसे चारों के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है।

अच्छे से अच्छे नागरिक समाज को उपलब्ध कराना केवल इन्फॉरमेशन ही नहीं बल्कि नॉलेज यानी ज्ञान की गहराई में उतारना। **सागर के किनारे खड़े-खड़े लहरें गिनते रहेंगे तो मोती कैसे मिलेंगे? मोतियों के लिए सागर में घुसना ही पड़ेगा।** चूँकि शिक्षा जीवन के लिए है इसलिए शिक्षक होने का तात्पर्य है छात्रों में जीवन की समझ पैदा करना जीवन का अर्थ केवल शरीर नहीं है बल्कि शरीर में प्रतिष्ठित जीव चेतना प्राण मन बुद्धि चित्त अन्तःकरण का सम्यक ज्ञान कराना और उनका दृष्टा बनाना। पवित्रताओं के सहारे आनन्दानुभूति तक ले जाना शिक्षक होने का तात्पर्य है दुहरा काम करना- छात्रों की मनोभूमि में संभ्रान्त जघन्य, जटिल और जड़ मनोविकारों का उत्खनन कर मनोभूति को इस योग्य बनाना कि उसमें सुसंस्कारों का बीजारोपण करना सरल हो।

जीवन की समझ के पश्चात् जीवन मूल्यों के प्रति ललक पैदा करना। शिक्षक छात्रों में यह संचालित करे कि सुख, सम्पत्ति से नहीं बल्कि श्रेष्ठ संस्कारों से मिलता है। वृत्तियों के परिमार्जन में सुख है ऊर्ध्वगामिता में सुख है। अधोमुखी वृत्तियों में तो दुःख-ही-दुःख भरा पड़ा है।

जीवन मूल्यों के कृत्यों से ही वृतियाँ ऊर्ध्वामुखी होती हैं। शिक्षक होने का तात्पर्य जीवन मूल्यों की चर्चा करना भी नहीं है बल्कि पाठ्यक्रम के साथ-साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से छात्रों को कुछ करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना है। शिक्षक होने से तात्पर्य है, छात्रों को क्रियाशील बनाकर उनकी केवल लकीर पीटी जाती है। शिक्षक कुछ नवीनता का नवोन्मेष कर सकें तो शिक्षक होने का तात्पर्य पूरा हो। इसी से उदात्त जीवन की संरचना संभव हो सकेगी।

क्रियाकलाप– मूल्य विकास के लिए उत्प्रेरण महामानकों, तपस्वियों, ऋषियों के संस्करणों का संकलन-छात्रों द्वारा चुने हुए बिन्दुओं पर मूल्यपरक घटनाओं का नाटकीकरण, अवांछनीय क्रियाकलापों की भर्त्सना, श्रेष्ठताओं की परीक्षा, विषम से विषम परिस्थितियों मूल्यों पर आरूढ़ रहना इस प्रकार दृश्य नाटकों और नुक्कड़ नाटकों में हो।

विचार मंत्र– केवल मूल्य आधारित पत्रिकाओं, फोल्डरों का प्रकाशन, हस्तलिखित, पत्रिकाओं का प्रदर्शन, संचयन, सामूहिकता के क्रिया-कलाप समूह में परस्पर सहयोग के क्रिया-कलाप मूल्यपरक तथ्यों का चयन और अन्य प्रयोग, मूल्यपरक जीवन ही क्यों? एक वाद-विवाद या भाषण प्रतियोगिता। जीवन मूल्यों पर साहित्य का सृजन, जीवन मूल्यों पर चित्र कथाएँ, जीवन मूल्यों से सम्बन्धित शिक्षाओं का संकलन, शिक्षक होने का तात्पर्य है, छात्रों में जीवन मूल्यों के आत्मसातीकरण की चेष्टा।

शिक्षक होने का तात्पर्य है, छात्रों के जीवन का सर्वांगीण विकास छात्र की अन्तर्निहित शक्तियों को विकसित करना।

सृजनशीलता– छात्रों में तर्क, तुलना, समीक्षा व्याख्या, विश्लेषण, संश्लेषण, चयन, संकलन, विवेचन, नियोजन, संयोजन निष्कर्ष, संक्षेपण, पल्लवन, विधि परिवर्तन। यदि ऐसा होता तो समस्याओं की पूर्तियाँ मूल लेखन, दूर दृष्टि, काव्य सृजन आदि अनेक अवसर देकर कौशल का विकास होगा।

स्वावलम्बी बनाना– सर्वांगीण विकास में आर्थिक विकास के अवसर उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। विद्यालय में एक सूचना केन्द्र खोलकर रोजगार सम्बन्धी अनेक प्रकार की सूचनाएँ दी जा सकती हैं। सभ्य, श्रेष्ठ और संस्कारित नागरिक बनाना, छात्रों को दृढ़प्रतिज्ञ और जुझारू बनाना, संतुलित और संयमित व्यक्तित्व का विकास करना, आत्म प्रतिष्ठा और राष्ट्रगौरव के प्रति जागरूक बनाना।

शिक्षा के स्तर में आई गिरावट के लिए कोई एक तथ्य नहीं, अनेक तथ्य जिम्मेदार हैं, जिनके कारण आज विश्व के फलक पर राष्ट्रीय छवि धूमिल होने लगी है। उन कारणों पर बहुत चर्चा हो चुकी अब समय उनके निवारण का है। अब हर भारतवासी द्वारा इस पर विचार करने का समय है– इस क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान देने का है। नल-नील, हनुमान, अंगद के साथ रेत ढोती गिलहरी को अनदेखा करने का समय बीत गया। दीपावली की रात में जब चाँद चमकरने से इन्कार कर देता है, तब नन्हें-नन्हें दीपक मिलकर रात की तमिसा को हर लेते हैं। **आने वाला समय ऐसी शिक्षा पद्धति की माँग कर रहा है, जो अतीत से प्रेरित, वर्तमान से प्रतिबद्ध तथा भविष्य के लिए उन्मुख हो।** अपने मूल्यों के आधार पर जिस पीढ़ी का निर्माण होगा वह कहेगी– शक्ति है अपनी अपरिमित, फिर थकन की बात क्या है?/सूर्य के हम सुत, हमारे सामने यह रात क्या है?/तब हमारे राष्ट्र की अस्मिता, उसकी छवि और पावन होगी और निखरेगी तथा चिर प्रणम्य रहेगी।

संदर्भ ग्रन्थ– 1. मूल्य मीमांसा– श्री गोविन्द चंद्र पाण्डेय। 2. निराला के काव्य में सांस्कृतिक चेतना– श्री जगदीश चंद्र। 3. भारतीय संस्कृति के आधार– श्री अरविन्द। 4. भारतीय संस्कृति की रूपरेखा– श्री राम शर्मा आचार्य। 5. मानव जीवन की गरिमा– डॉ. प्रणव पण्ड्या।

–प्राचार्य
बस स्टैण्ड के पीछे, पंजाबी मोहल्ला,
हनुमानगढ़ टाऊन (राज.) 335513

शिक्षा की गुणवत्ता का अभिवर्द्धन

❑ गायत्री शर्मा

यदि वास्तव में देखा जाये तो जीवन मूल्यों का बीजारोपण हमारे बाल्यकाल की अमूल्य धरोहर है जिसको विस्तारित एवं स्थायित्व प्रदान करने का कृत्य शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। सामाजिक विसंगतियों को तिरोहित करती हुई शिक्षा न केवल भौतिक विपन्नता एवं अज्ञानता विनाश की दिव्य अविरल धारा को साकार रूप प्रदान करती है बल्कि सुकोमल सृजनकर्ताओं की भावनाओं को शब्दांकित करती हुई उनकी गुणान्वेषक तुलिकाओं के माध्यम से मानवीय दृष्टिकोण को मुखरित करने का प्रयास भी करती है। शिक्षा सर्वांगीण विकास हेतु मार्ग प्रशस्त करती है। शिक्षा समाज की संस्कृति एवं विरासत भावी पीढ़ी को हस्तांतरित कर वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयारी भी करती है।

शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया है जिसे मात्र किसी कौशल या कार्य के निष्पादन तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है। इसके द्वारा विद्यार्थियों की आन्तरिक क्षमताओं का विकास करने के साथ-साथ ही उनके व्यक्तित्व को सामाजिक व राष्ट्रीय दृष्टि से उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया जा सकता है। यदि वास्तव में देखा जाये तो व्यक्ति में मानवता का बोध व सांस्कृतिक चेतना को जागृत करना शिक्षा द्वारा ही सम्भव है अतः इस व्यापक सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि शिक्षा वह शैक्षिक आयोजन है जिसमें विद्यार्थियों को इस तरह से शिक्षित किया जा सकता है कि वह ज्ञान व मूल्यों के हस्तांतरण के साथ-साथ वे शैक्षिक व विकासात्मक दायित्वों को ग्रहण व वहन करने में सक्षम हो सकें।

शिक्षा को जीवन की प्रयोगशाला कहा गया है। शिक्षा ही वह सशक्त उपागम है जिनके द्वारा व्यक्ति विभिन्न संस्कारों के माध्यम से अपने शरीर, मन, आत्मा का समन्वित विकास कर समाज एवं राष्ट्र का योग्य नागरिक बनाती है। नागरिकों को अपनी सम्भावनाओं की सर्वोच्चता पर प्रतिष्ठित करना गुणात्मक शिक्षा का कार्य है। परन्तु वर्तमान शिक्षा प्रणाली राष्ट्र निर्माण से दूर, सैद्धान्तिक व सूचनात्मक होती जा रही है। समाज एवं उसकी समस्याओं से सम्बन्ध विच्छेद सा हो गया है। शिक्षा प्रणाली में समग्रता का अभाव सा है, प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा जैसे कई स्तर बन गये हैं, जहाँ माध्यमिक शिक्षा के प्रति सरकार का दृष्टिकोण उदासीन है, वहीं प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण एवं उच्च शिक्षा का वैश्वीकरण हो रहा है।

शिक्षा की गुणवत्ता विकास के लिए शैक्षिक सुधारों का नियोजन, निरूपण व परिणाम में नियंत्रण व परिवर्तन में निरन्तर प्रयासों को बढ़ाना होगा। शैक्षिक गुणवत्ता, सुधार कार्यक्रमों को अति उत्साह से समूची विद्यालयीन शिक्षा पर लागू करना, सुधार प्रक्रिया में असंतुलन व अनियंत्रण पैदा करता है। किसी भी नये गुणवत्ता आधारित कार्यक्रम को कार्यरूप देने से पहले राज्य की शैक्षिक वस्तुस्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। गुणात्मक सुधार केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक आयाम को प्रभावित करते हैं।

आज शिक्षा एक निर्णायक मोड़ पर पहुँच गई है, जहाँ कम्प्यूटर के उदय के साथ स्मरणशक्ति पर शिक्षा की अत्यधिक निर्भरता समाप्त हो गई है। ऐसे में सीखने में निष्क्रियता दूर करनी होगी और उसके स्थान पर शिक्षा में व्यापक परिवर्तन करने हैं जिनमें बोध और संवेदनशीलता, सौन्दर्यबोध और अन्तरतम में उठने वाले गहन सवालों पर भी ध्यान देना होगा। शिक्षा कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे डाक अथवा शिक्षक द्वारा वितरित किया जा सके। वह तो बच्चों की भौतिक और सांस्कृतिक नींव में होती है और उसका पालन-पोषण माता-पिता, शिक्षकों, साथी विद्यार्थियों और समुदाय के माध्यम से होता है।

वर्तमान में शिक्षा संक्रमणकाल से गुजर रही है। आज सूचना को ज्ञान का पर्याय एवं शिक्षा को मापन के साथ-साथ साध्य बना दिया गया है। शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा तक सीमित रहकर केवल प्रमाणन तक रह गया है। शिक्षण संस्थाओं में शैक्षणिक परिवेश प्रायः लुप्त हो गये हैं। यद्यपि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए शिक्षण संस्थाओं में संख्यात्मक वृद्धि तो हुई है, परन्तु शिक्षा की गुणवत्ता का सर्वथा ह्रास ही हुआ है।

शिक्षा के गुणात्मक अभिवर्द्धन हेतु दृष्टि परिवर्तन आवश्यक है, जो निम्नलिखित हैं– 1. शिक्षा नीति पर पुनर्विचार कर उसकी नये ढंग से रचना की जाये। 2. शिक्षा में निरन्तर अनुसंधान एवं नवाचारों का प्रयोग किया जाये। 3. शिक्षा में स्थानीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक परिप्रेक्ष्य का समन्वय हो। 4. शैक्षिक विचारों में नैतिकता एवं आध्यात्मिकता से परिपूर्ण भारतीय सांस्कृतिक सोच का समावेश हो।

अन्त में इन सब बातों को चार पंक्तियों में इस प्रकार कहा जा सकता है– *सच्चे अर्थों में शिक्षा का मूल विनय है,/बुद्धि-ज्ञान-संवर्द्धन शामिल भी है लेकिन।/जब तक नहीं हृदय परिशुद्ध बनेगा तब तक,/कैसे होगा विमल आत्मा का अनुशासन॥*

–5/279, एस.एफ.एस., अग्रवाल फार्म,
मानसरोवर, जयपुर-302020

विद्यार्थी अपने नियत अध्ययन को पूरा कर लेने के बाद जो समय बचा सके, उसे अपने देश तथा धर्म के इतिहास, अपने पूर्वजों के चरित्र, अपने देश की विगत और वर्तमान अवस्था, दूसरे देशों के इतिहास, समाचार पत्र, पत्रिकाओं को पढ़ने और विचारने में लगाएँ। अपने अध्ययन को हानि न पहुँचाकर समय मिले तो सभा-समाजों में विद्वानों के व्याख्यानों को भी सुनें।

–पं. मदनमोहन मालवीय

अधिगम अक्षमता, कारण एवं निवारण

❑ बालाराम परमार 'हँसमुख'

दो अप्रैल, 2010 को सार्वभौमिक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की वैधता की घोषणा की गई तथा यह मानव अधिकार का आठवाँ अधिकार बन गया। शिक्षा के इस मौलिक अधिकार के सफलतापूर्वक लागू होने से लगभग एक करोड़ बालक जो किन्हीं कारणों से शिक्षा से वंचित हैं, लाभान्वित हो सकेंगे। शिक्षा के इस अधिकार की मुख्य भावना है, सर्वशिक्षा अभियान को सफल बनाना, वर्ष 2015 तक सम्पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करना तथा निरक्षरता के कलंक को धोना। इस पवित्र लक्ष्य को हासिल करने के लिए केन्द्र सरकार सम्पूर्ण राष्ट्र के 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों हेतु अनिवार्य रूप से प्रारम्भिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8 तक) प्रदान करने हेतु हर वर्ष घरेलू सकल आय की 1.8% धनराशि व्यय करेगी। खर्च का हिस्सा राज्य एवं केन्द्र का क्रमशः 35:65 होगा। इस प्रकार भारत विश्व का 135वाँ देश हो गया है, जहाँ पर 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है।

शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य अधिनियम 2009 एवं शिक्षण का मौलिक अधिकार 2010 में अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों के अतिरिक्त एक प्रावधान यह भी है कि 'प्राथमिक शिक्षा की समाप्ति से पूर्व किसी भी बच्चे को न तो रोका जाएगा, न ही फेल किया जाएगा, न ही विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा तथा बोर्ड परीक्षा पास करने की अनिवार्यता नहीं होगी।' और यहीं से शुरू होती है सामान्य अधिगमन की योग्यता रखने वाले बालकों की अधिगम समस्या। ऐसे बालक जो सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, तर्क करने, गणितीय योग्यताओं को सीखने तथा उनका दैनिक जीवन में प्रयोग लाने में गहन कठिनाइयों का सामना करते हैं, उनके लिए शिक्षा का अधिकार वरदान होते हुए भी अभिशाप निरूपित हो सकता है क्योंकि अभिभावकों एवं शिक्षकों को बालक की अधिगम अक्षमता का पता नहीं चलेगा। अभिभावक यह सोचकर आत्म संतुष्ट होंगे कि बालक पास होता जा रहा है इसका मतलब वह अच्छा पढ़ रहा है। शिक्षक उसे इसलिए नहीं रोक रहा है क्योंकि छात्र को अनुत्तीर्ण करने का प्रावधान ही नहीं है। इन दो सोच के बीच मंद गति से लिखने वाले बालक में अधिगम कला का अभाव हो जाएगा और कालांतर में वह उच्च शिक्षा से वंचित भी रह सकता है। अतः शिक्षण जगत से जुड़े सभी स्तम्भों की नैतिक जवाबदारी बनती है कि इस विषय पर चिंतन किया जाए तथा समय रहते निदान खोजा जाए।

अधिगमन अक्षम बालकों की पहचान– राष्ट्रहितार्थ, मानवताहितार्थ एवं आठवें मौलिक अधिकार हितार्थ शिक्षक, प्राचार्य एवं अभिभावक के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि ऐसे बालकों की पहचान शिक्षण सत्र के प्रथम माह में ही कर ली जाए ताकि उनकी शैक्षिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों को समझने तथा उनके समाधान में आसानी हो सके। स्मरण रहे अधिगम अक्षमता वाले बालक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ और सामान्य बुद्धि-लब्धि अथवा उच्च बुद्धि-लब्धि के भी हो सकते हैं। बस इनकी सीखने की गति अत्यधिक धीमी तथा शैक्षिक प्रगति असंतोषजनक होती है। अभिभावक तथा शिक्षक इनके प्रगति प्रायः से नाखुश एवं असंतुष्ट रहते हैं।

अधिगम अक्षम बालकों की पहचान निम्न बिन्दुओं के आधार पर की जा सकती है– 1. ऐसे बालक प्रायः अत्यधिक चिन्तित रहने वाले तथा मुड़ी स्वभाव के होते हैं। 2. ऐसे बालक एक अथवा अनेक व्यावहारिक समस्याओं से ग्रस्त पाये जाते हैं। 3. ऐसे बालक कक्षा से बाहर इधर-उधर घूमने में अधिक रुचि रखते हैं। 4. ऐसे बालक भाषायी कौशलों यथा सुनने, बोलने, पढ़ने व लिखने की दक्षता प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। 5. ऐसे बालक कक्षा शिक्षण के दौरान ध्यान को एकाग्र नहीं कर पाते हैं। फलतः सूचनाओं को व्यवस्थित कराने में कठिनाई का सामना कराते हैं। 6. इस प्रकार के बालकों में अत्यधिक व्यग्रता तथा अनावश्यक उत्तेजना देखने को मिलती है। 7. ऐसे बालकों में अहम् भाव अधिक देखने को मिलते हैं तथा ये संवेगात्मक समस्याओं से ग्रसित होते हैं। 8. अधिगम अक्षम बालकों में स्मृति, सामान्य अंग संचालन एवं नियंत्रण, प्रत्यक्षीकरण तथा क्रियाओं के उचित संवाहन एवं सम्पादन सम्बन्धी दोष भी देखने को मिलते हैं। 9. ऐसे बालकों में भाई-बहन तथा सह-पाठियों में समायोजन की समस्या होती है। 10. ऐसे बालक किसी खेल अथवा विषय अथवा रुचि को अधिक समय तक स्थाई नहीं रख पाते हैं। इनकी जिज्ञासा जल्दी शांत हो जाती है तथा ये अपनी रुचि कहीं और मोड़ देते हैं। 11. अधिकांश अधिगम अक्षम बालकों में न्यूरोलॉजिकल अनियमितताएँ देखने को मिलती हैं। 12. ऐसे बालक में नेतृत्व करने के गुण पाये जाते हैं।

अधिगम अक्षमता के प्रकार– मनोवैज्ञानिक, स्नायुतंत्र विशेषज्ञों तथा फिल्म 'तारे जमीं पर' के दृष्टिकोण से अक्षमता को पाँच प्रकार की श्रेणी में रखा जा सकता है।

1. अफेसिया (Aphasia)– इस प्रकार की अधिगम अक्षमता में श्रवण बालक के अन्दर भाषा श्रवण दोष होता है। अर्थात् कक्षा में पढ़ने वाले शिक्षक की बात को हू-ब-हू ग्रहण न करते हुए शिक्षक द्वारा उच्चारित शब्द अथवा वाक्य को दूसरे रूप में श्रवण कराते हैं। विशेषकर मातृभाषा से हटकर दूसरी भाषा का अध्ययन करते समय।

कारण– 1. श्रवण शक्ति दोष, 2. भाषा अध्यापक द्वारा क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग, 3. स्थानीय भाषा का अलग होना, 4. माता-पिता द्वारा स्थानीय बोली का सर्वाधिक प्रयोग, 5. उच्चारण दोष।

2. डिसलेसिया (Dyslexia)– इस प्रकार की अक्षमता में बालक में शब्दों एवं वाक्यों को हू-ब-हू पढ़ने में कठिनाइयों का सामना

करना पड़ता है। यह दोष मूलतः बाल्यावस्था में समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा बोल-चाल की बोली के प्रयोग के कारण होता है। जैसे पंजाब प्रांत में पला-बढ़ा बालक 'स्कूल' को सकूल, महाराष्ट्र में पला-बढ़ा बालक 'गणित' को गनित, मध्यप्रदेश के मालवा प्रांत में पला-बढ़ा 'शक्कर' को हक्कर, 'पत्थर' को 'फत्थर', 'शहद' को 'सहद' का उच्चारण करने का अभ्यस्त होने के कारण बड़ी कक्षाओं में भी त्रुटि करता है।

कारण– 1. उच्चारण दोष। 2. स्वराघात शक्ति का अभाव। 3. प्रारम्भिक कक्षा में शुद्ध उच्चारण पर ध्यान न दिया जाना। 4. स्थानीय बोली को सर्वाधिक महत्व। 5. क्षेत्रीयता को अधिक महत्व देना।

3. डिसकैलक्यूलिय (Dyscalculia)– जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस प्रकार के अक्षमता रखने वाले बालक गणितीय त्रुटि जैसे गुणा, भाग, जोड़ अथवा घटाने के क्रम को या तो भूल जाते हैं अथवा उल्टा सीधा कर देते हैं अथवा करने के आदि हो जाते हैं। उदाहरणार्थ– गुणा करते समय 9×3 = 27 के स्थान पर कुछ और लिख देना। जोड़ते अथवा घटाते समय 1356+3291 को दाहिने तरफ के स्थान पर बायें तरफ से जोड़ अथवा घटा देते हैं। भाग वाले सवाल कराते समय विभाजित संख्या के स्थान पर भाज्य अथवा एक दूसरे के विपरीत भाग कर देते हैं।

कारण– 1. गणितीय क्षमता का अभाव, 2. प्रारम्भिक शिक्षण के समय शिक्षण का गलत तरीके से गणित लिखना, 3. स्नायुतंत्र को गड़बड़ी, 4. बालक की उत्शृंखलता, 5. प्रारम्भ में गिनती-पहाड़े का मातृभाषा लिखना तथा बाद में अंग्रेजी में प्रयुक्त करना।

4. हाइपरलेक्सिया (Hyperlexia)– इस प्रकार की अक्षमता वाले बालक शब्दों अथवा वाक्यों को बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं। श्यामपट्ट पर लिखे गए शब्द ऊपर-नीचे दिखाई देते हैं।

कारण– 1. काँच के श्यामपट्ट पर प्रकाश पड़ना, 2. आँखों का निकट दृष्टिदोष, 3. दोनों प्रकार के दृष्टिदोष होना, 4. कक्षा में असुविधाजनक बैठक व्यवस्था। 5. उपयुक्त दूरी से कम अथवा अधिक दूरी पर बैठना।

5. डिसग्राफिया (Dysgraphia)– इनमें मुख्यतः अक्षर की पहचान, जैसे व और ब, 'ग्रह' और 'गृह', स और श आदि का उच्चारण एवं लेखन दोष पाया जाता है।

कारण– उपर्युक्त चारों अक्षमता में से अधिक अक्षमता की उपस्थिति के कारण डीस्ग्राफिया अक्षमता उत्पन्न होती है।

निदान– कक्षा शिक्षण के दौरान इस प्रकार की समस्या से प्रभावित बालक शिक्षक के सम्पर्क में आता है, तो एक मार्गदर्शक के रूप में इस प्रकार से समस्या का निदान किया जा सकता है– 1. श्रवण शक्ति कमजोर होने से बालक को अनेक मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अतः कक्षा के किसी बालक में ऐसा गुण पाये जाने पर सबसे पहले उसकी श्रवण शक्ति की पहचान करानी चाहिए। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह श्यामपट्ट के ठीक सामने वाली दीवार के पास बालक को खड़ा करें तथा स्वयं फुसफुसाना शुरू करें। अब बालक से पूछें कि फुसफुसाहट सुनाई देती है या नहीं। जैसे ही बालक हाँ कहे, उससे दो-तीन कदम आगे उसके बैठने की व्यवस्था कर दें। 2. विद्यालय के अन्य शिक्षकों को भी इस प्रकार की समस्या से अवगत कराएँ। 3. अन्य शिक्षक साथियों से निवेदन करें कि उक्त कक्षा में निर्देशन अथवा शिक्षण कराते समय उक्त छात्र के पास खड़े होकर अथवा सामान्य दूरी पर से ही निर्देश अथवा शिक्षण कार्य सम्पन्न करेंगे तथा स्वयं भी इसका अनुपालन करें। 4. कक्षा के अन्य बालकों को संवेदी बालकों से दोस्ती करने तथा साथ खेलने के लिए प्रोत्साहित करें। 5. विद्यालय में यदि मौखिक मूल्यांकन की व्यवस्था है, तो ऐसे बालकों की मौखिक मूल्यांकन की क्षतिपूर्ति लिखित मूल्यांकन के माध्यम से करने की चेष्टा करें।

–प्रभारी प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय, नांदेड़, महाराष्ट्र

सशक्तिकरण के लिए शिक्षक प्रशिक्षण

❑ प्रताप मल देवपुरा

वर्ष 2011 में की गई भारत की 15वीं जनगणना में साक्षरता का प्रतिशत 65% से बढ़कर 74% हो गया। देश में शिक्षा की माँग बढ़ी, उसी के अनुरूप शिक्षण सुविधाएँ भी बढ़ाये जाने की आवश्यकता हो रही है। छात्र-छात्राओं व विद्यालयों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की आवश्यकता भी बढ़ी है। शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों के कौशल में विकास किए जाने की आवश्यकता है। अनेक प्रशिक्षण संस्थान खुले हैं। प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने के उपायों पर निरन्तर विचार किया जा रहा है। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए संसद द्वारा शिक्षा अधिनियम-2009 पारित किया था जिससे नए विद्यालय बनाने उनमें निर्धारित संख्या में शिक्षक लगाने की आवश्यकता भी होगी। प्रशिक्षण के मुद्दों को समझने के लिए अनेक सवालों के जवाब तलाशने होंगे। उन्हीं में से कुछ मुद्दों पर यहाँ चर्चा की जा रही है।

शिक्षकों के लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों है?– शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता को प्रतिपादित करने के लिए अनेक कारण गिनाए जा सकते हैं। शिक्षकों के प्रशिक्षण के विभिन्न पक्षों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

- विषय वस्तु को बालक-बालिकाओं के समक्ष प्रस्तुत करने की विभिन्न विधाओं को समझना एवं प्रस्तुतीकरण का कौशल अर्जित करना। जिससे शिक्षण कला में निपुणता आ सके।
- जिन बालक-बालिकाओं के लिए शिक्षण की व्यवस्था की जानी है उनमें अनेक व्यक्तिगत भिन्नताएँ हैं, उन्हें समझने के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण आवश्यक है।
- बालकों के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली जानकारियों को अद्यतन करने की कला को सीखना।
- माता-पिता अपने बालकों को

शिक्षित, अनुशासित एवं नैतिक गुणों से परिपूर्ण करने के लिए शिक्षकों को सौंपते हैं। शिक्षकों का दायित्व है कि वे माता-पिता की आकांक्षाओं को पूरा करने का दायित्व निभाएँ।

• शिक्षक को यह सीखना पड़ेगा कि बालक/बालिका अपने परिवेश के साथ किस प्रकार से बेहतर समायोजन करें?

• बालक-बालिकाओं की दैनिक समस्याओं, व्यवस्था सम्बन्धित जानकारियों, प्रशासनिक व्यवस्थाओं, नीतिगत मामलों आदि मुद्दों को समझने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है।

• शिक्षा के जटिल मुद्दों जिनमें शिक्षाक्रम, मूल्यांकन आदि विषयों पर समझ विकसित करनी होती है।

• शिक्षक की कार्यक्षमता को बढ़ाकर उनके सोच एवं व्यवहार में मानवीय गुणों का विकास करना होता है।

• समता, संवेदनशीलता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता तथा सहभागिता के नियमों को जानना एवं तद्अनुरूप बालक-बालिकाओं में उन गुणों का विकास करना।

• आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, सहयोग एवं सक्रिय व्यवहार को बढ़ावा देकर नेतृत्व के गुणों का विकास किया जाना आवश्यक है।

• शिक्षक पर विभिन्न शैक्षिक सामाजिक जिम्मेदारियाँ भी डाली जाती हैं उन्हें चुनाव, जनगणना आपातकालीन सेवाएँ, वितरण प्रणाली, प्रशासनिक दायित्व आदि आकस्मिक सेवाओं को देने के लिए सक्षम बनना होता है।

प्रशिक्षण व्यवस्था किन समस्याओं का हल खोजना चाहती है?– • शिक्षण प्रक्रिया व्यावहारिक बने। • शिक्षण कला प्रभावी हो। • विभिन्न बौद्धिक स्तर के शिक्षार्थियों का शिक्षण एक साथ संभव हो। • शिक्षण के क्रियाकलाप मनोरंजक एवं रचनात्मक बनें। • बालक-बालिकाओं के उच्च बौद्धिक क्षमता के विकास पर ध्यान देना। • शिक्षण विधाओं का विकास एवं खोज जारी रखना। • अपने दायित्वों के प्रति शिक्षक सजग बनें।

शिक्षकों के समक्ष चुनौतियाँ– शिक्षकों के समक्ष अनेक चुनौतियाँ सदैव ही रही हैं। ये चुनौतियाँ कई प्रकार की हो सकती है। इसमें शिक्षार्थियों की विविधता के अनुरूप शिक्षण करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण चुनौती है। एक ही कक्षा में तीव्र एवं मंद बुद्धि अथवा विकलांग बालक का शिक्षण करना आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से पिछड़े अथवा अगड़े बालकों का एक साथ शिक्षण करना। विविधताओं से परिपूर्ण समस्त छात्र-छात्राओं को जो एक ही कक्षा में पढ़ रहे हैं उन्हें किसी समान स्तर तक लाने की चुनौती होती है।

दूसरी चुनौती विषय एवं कक्षा अनुरूप सुविधाएँ एवं सामग्री उपलब्ध नहीं होना। उनका प्रबन्ध करना भी एक टेढ़ी खीर है। एक बार एकत्रित सामग्री को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करना। उन्नत शिक्षण विधाओं की जानकारियाँ करना एवं उनका प्रयोग करना आना चाहिए। इसलिए शिक्षण सुविधाएँ और गुणवत्तायुक्त शिक्षण सामग्री जुटाने की चुनौती है।

तीसरी चुनौती प्रशासनिक व्यवस्थाओं में अनिर्णय की स्थिति, सूचना तंत्र का कमजोर होना, पदों की रिक्तियाँ होने से कार्य का दबाव, अवांछित स्थानान्तरण आदि अनेक समस्याएँ बनी रहती हैं। शिक्षण के अतिरिक्त अनेक राष्ट्रीय एवं स्थानीय कार्यक्रमों में दिए गए अतिरिक्त दायित्वों के कारण शिक्षण समय का अभाव रहता है। विभिन्न विभागों में समन्वय का अभाव होने से कार्य में कठिनाइयाँ रहती हैं। इनका सामना करने के लिए शिक्षक को सदैव तैयार रहना पड़ता है।

शिक्षण के लिए शिक्षक की तैयारी– • शिक्षण कार्य के राष्ट्रीय महत्व के संदर्भ में स्वयं के उत्तरदायित्वों को समझें और उसे ढंग से पूरा करें। • अपने शिष्यों को उनके माता-पिता के लिए संवेदनशील बनाना। इस नैतिक दायित्व को निभाने के लिए शिक्षक को तैयार रहना है। • छात्र-छात्राओं को सीखने के लिए निरन्तर प्रेरणा देना एवं उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। • बालक-बालिकाओं के सोच को सही दिशा देना जिससे वे यथास्थितिवाद की संस्कृति से बाहर निकल कर सामाजिक, शैक्षिक व सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए तैयार हों। • बालक-बालिकाओं में सीखने, नवीन खोज करने, समस्या समाधान करने की क्षमता पैदा करनी होगी। • सीखने की प्रक्रिया में सहभागी बनकर सामाजिक न्याय लिंग समता एवं समानता के उद्देश्यों को पूरा करना होगा। • अपने विद्यार्थियों में आत्मविश्वास जगाकर उनकी आवश्यक क्षमताओं में संवर्द्धन करना होगा। • समुचित प्रकार के शिक्षण साधनों एवं सहायक सामग्री का विकास कर जानकारियों को स्थानान्तरित करना होगा। • ऐसे वातावरण का निर्माण करना होगा जो कि छात्र-छात्राओं के लिए प्रभावशाली शिक्षण का मार्ग प्रशस्त कर सके।

विद्यालय गतिविधियों का संचालन– विद्यालय में विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ संचालित होती रहती हैं। उनमें निरन्तर सुधार भी करना होता है। नई जुड़ने वाली गतिविधियों को भी समझना पड़ता है। प्रशिक्षण के दौरान इन गतिविधियों के बारे में अधिक से अधिक जानना उन्हें स्वयं करके देखना एवं विद्यालय में जाकर अवलोकन भी करना आवश्यक है। इन गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं– प्रार्थना सभा संचालन, सांस्कृतिक शिक्षा, कक्षा-कक्ष की सज्जा, प्रदर्शनी लगाना, बाल सभा का आयोजन करना, शाला स्तर पर पत्रिका प्रकाशन, शैक्षिक भ्रमण, बालकों की व्यायाम शिक्षा, एन.सी.सी., स्काउट गाइड कार्यक्रम, पुस्तकालय संचालन, मुफ्त पुस्तक वितरण, मिड-डे-मील, प्रवेशोत्सव आयोजन, स्कूल प्रबन्धन समिति संचालन, छात्र-छात्रा का ट्रेक रिकॉर्ड रखना विद्यालय भवन एवं उसकी स्वच्छता, शौचालय व्यवस्था आदि अनेक गतिविधियाँ आयोजित करनी होती हैं। प्रत्येक गतिविधि के आयोजन की विद्या की जानकारियाँ करना आना चाहिए। विद्यालय में इन गतिविधियों को क्रियात्मक रूप में करने का कौशल विकसित किया जाना आवश्यक है।

प्रशिक्षण का दर्शन– शिक्षण प्रक्रिया में प्रशिक्षण कोई पृथक क्रिया न होकर निरन्तर सीखने की प्रक्रिया ही है। प्रशिक्षण द्वारा उचित कौशल और ज्ञान को बढ़ाने और शिक्षक में वांछित दृष्टिकोण और व्यवहार विकसित करने

का माध्यम है। प्रशिक्षण प्रक्रिया समाज के विकास के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने वाली प्रणाली है। अतः प्रशिक्षण को इस प्रकार लागू करना चाहिए जिससे कि विभिन्न कार्यक्रम एक दूसरे के साथ जुड़कर संचित सीख प्रक्रिया का निर्माण करें। प्रशिक्षण प्रक्रियाएँ शिक्षकों में विषयों की जानकारी एवं उनको लागू करने की योग्यता को विकसित करेगी।

प्रशिक्षण प्रक्रिया– प्रशिक्षण प्रक्रिया इस प्रकार तैयार की जानी चाहिए जिससे कि प्रशिक्षण में गतिरोध पैदा करने वाले कारकों को दूर किया जा सके। प्रशिक्षण के दौरान उन प्रशिक्षणार्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जो कहीं पिछड़ रहे हैं। ऐसा करने पर पूरे समूह पर प्रशिक्षण का अधिक अच्छा प्रभाव आयेगा। प्रशिक्षण में पी.एल.ए. पद्धतियों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे उनकी भागीदारी बढ़ेगी सीखने में सक्रिय रहेंगे। इसके अलावा भूमिका निर्वहन, नाटक, अनुभवों का आदान-प्रदान, सामूहिक चर्चा, कहानियाँ, वैयक्तिक अध्ययन आदि का भी प्रशिक्षण में उचित स्थानों पर उपयोग करना चाहिए। प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने में तीन आधारभूत सिद्धान्तों को अपनाया जाना चाहिए।

1. ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने का सिद्धान्त। 2. संचित सीख सिद्धान्त। 3. पुष्टिसीख का सिद्धान्त।

प्रशिक्षण प्रक्रिया को यदि छात्र-छात्राओं के विद्यालय में वास्तविक स्थितियों में क्रियान्वित किया जाएगा तो अधिक प्रभावशाली होगा। यथासंभव प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ ही विद्यालय भी जुड़ा रहना चाहिए।

मनोवैज्ञानिक पहुँच– शिक्षण कला के विकास में बालक-बालिकाओं के मनोविज्ञान का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। बालक-बालिका अधिक लम्बे समय तक बैठकर व्याख्यान सुनने के स्थान पर कम समय में सक्रिय रहकर सीखना ज्यादा पसन्द करते हैं। वे चाहते हैं कि विषयवस्तु उनके ज्ञान, परिवेश व उम्र के अनुरूप हो। बालक-बालिका शिक्षा प्राप्त करें वह भी 'बिना आँसू के'।

शिक्षण की गुणवत्ता और उसका प्रबन्धन श्रेष्ठ कोटि का होना चाहिए। बालक-बालिकाओं के विद्यालय में रुकने के समय का अधिकतम उपयोग हो जाना चाहिए। बालक की आवश्यकता, योग्यता, क्षमता एवं रुचि के अनुकूल पाठ्यक्रम एवं पाठ्यसामग्री सावधानी पूर्वक तैयार की जानी चाहिए।

बालक बालिकाओं द्वारा प्रकट की जाने वाली जिज्ञासा, पूछे गए प्रश्नों के अनुरूप शिक्षण में वांछित परिवर्तन, परिवर्द्धन किया जाना आवश्यक है। विषयवस्तु परिष्करण की प्रक्रिया निरन्तर जारी रखनी होगी। इसके लिए शिक्षक को सत्रपर्यन्त अपने अनुभवों का संकलन करना होगा।

प्रशिक्षक कौन और कैसे हों?– प्रशिक्षण कार्य शुरू करने के पहले प्रशिक्षकों का सावधानी से चयन किया जाना चाहिए तथा उनके चयन का आधार उनकी परिपक्वता उनका अनुभव और समय पर कार्य को पूरा करने जैसे गुणों को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। अतः प्रशिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उनमें विषय का पूरा ज्ञान हो तथा सहभागियों की भागीदारी को बनाये रखने की कुशलता भी हो। क्योंकि सहभागियों में अनेक ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें विषय का अच्छा ज्ञान होता है। उनमें अपनी बात पर अड़े रहने की जिद्दी आदत भी होती है। अतः सहभागियों के आत्मसम्मान तथा उनके ज्ञान को ध्यान में रखते हुए प्रतिभागियों में पाई जाने वाली प्रवृत्ति पर सावधानी रखना आवश्यक है। प्रशिक्षण के प्रबन्धकों के लिए यह आदर्श बात होगी कि वे अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं के लोगों, जैसे, एन.जी.ओ., विश्वविद्यालयों के विद्वान लोग तथा समाज में सामाजिक कार्यों से जुड़े अनुभवी लोगों, को प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए।

प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि किसी एक प्रशिक्षक को ही प्रशिक्षण का कार्य न सौंपा जाये। इसके लिए विभिन्न प्रशिक्षकों की योग्यता का भरपूर सदुपयोग करना चाहिए। उनकी कमजोरियों को अपने प्रशिक्षण में नहीं आने देना चाहिए। प्रत्येक प्रशिक्षक के अपने-अपने गुण व अवगुण भी होते हैं। समय-समय पर कार्यशालाओं का आयोजन करना व कार्यशालाओं में भाग लेना चाहिए। ऐसा करने से जो प्रशिक्षक मिलेंगे उनमें एकरूपता होगी। इस विधि से भले ही हमें भिन्न-भिन्न प्रकार के ज्ञान न मिलने का नुकसान होगा, फिर भी इसका लाभ यह मिलेगा कि प्रत्येक संस्था के विशिष्ट गुणों का फायदा उठाने का हमें अवसर मिलेगा। प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण गुणों को हम कार्यशालाओं के माध्यम से अपने प्रशिक्षकों में विकसित कर सकेंगे।

प्रशिक्षण स्थल– प्रशिक्षण स्थल का वातावरण शान्त, स्वच्छ और सुगम हो। ठहरने का स्थान प्रशिक्षण स्थल से अधिक दूर न हो। खान-पान एवं दैनिक कार्य के लिए समुचित सुविधाएँ होना आवश्यक है। खेल-कूद मनोरंजन एवं यातायात सुविधाएँ भी उचित प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रशिक्षण स्थल पर या उसके नजदीक ही विद्यालय स्थित हो जहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम को वास्तविक स्थितियों में चलाया जा सके। प्रशिक्षण तकनीक के आधुनिक साधन जैसे प्रोजेक्टर, एल.सी.डी., माडल्स, नक्शे चार्ट आदि संदर्भ साहित्य उपलब्ध हों। प्रशिक्षण कार्यक्रम उबाऊ न हों। समय चक्र का निर्धारण भी परस्पर विचार-विमर्श से किया जाए। प्रशिक्षण स्थल प्रशिक्षण कार्य करने के अनुकूल होना आवश्यक है।

नई पीढ़ी के उचित शिक्षण के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण की व्यवस्था को जितना सक्षम एवं कारगर बनाया जाएगा उतना ही देश की भावी पीढ़ी का सही विकास संभव होगा। यदि प्रशिक्षण व्यवस्था कमजोर एवं निरर्थक है तो देश का भविष्य अंधकारमय होगा। इस तरफ हमें सही दृष्टिकोण रखकर ध्यान देना होगा।

–पूर्व प्रधानाचार्य
1/सी, शिवाजी नगर (उदियापोल), उदयपुर

सम्प्रेषण कौशल

❑ विनोद कुमार सुथार

शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक और छात्र के मध्य प्रभावी अन्तःक्रिया, प्रभावी सम्प्रेषण द्वारा ही संभव है। सम्प्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को दूसरे तक पहुँचाता है। इसके लिए व्यक्ति संकेतों, भाषा या अन्य साधनों का प्रयोग करता है। सम्प्रेषण प्रक्रिया प्रेषक व प्राप्तकर्ता के बीच संचालित होती है, यहाँ विचारों का हस्तान्तरण न होकर पारस्परिक सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है।

कौशल से अभिप्राय है किसी कार्य को दक्षतापूर्वक करने की सामर्थ्य अर्जित करना। यह अर्जित अभिक्षमता है।

सम्प्रेषण कौशल– ये वे हैं जिन्हें सीखा जा सकता है और जिनका प्रयोग संदेश/विचार/सूचना को प्रभावी सम्प्रेषण हेतु किया जाता है। ये सम्प्रेषण दक्षता में वृद्धि करते हैं। प्रभावी सम्प्रेषण कक्षा-कक्ष अन्तःक्रिया का आधार है। बिना सम्प्रेषण के शिक्षण नहीं हो सकता है अतः यह आवश्यक है कि एक शिक्षक को अच्छा सम्प्रेषक होना चाहिए। यदि सम्प्रेषक द्वारा प्रभावी सम्प्रेषण से सम्प्रेषी पर प्रभाव पड़ता है तो उसके व्यवहार में वाँछित परिवर्तन होता है। सम्प्रेषण तभी प्रभावी होगा जब सम्प्रेषक अपनी बात अच्छी तरह सम्प्रेषी तक पहुँचाये अर्थात् वह अपनी बात अच्छी तरह प्रभावी ढंग से कहे। और सम्प्रेषी (विद्यार्थी) अध्यापक के द्वारा दी गई बातों व सूचनाओं को ध्यानपूर्वक सुने अन्यथा सम्प्रेषण अपूर्ण ही रहेगा तथा प्रभावी नहीं रहेगा। इसलिए अध्यापक व छात्र दोनों में सम्प्रेषण कौशलों का विकास करना आवश्यक है। सम्प्रेषण कौशलों को दो भागों में बाँटा जा सकता है।

सम्प्रेषण कौशल– 1. प्राप्त करना (Receving)– सुनने का कौशल (Skill of listening)। 2. भेजना (Sending)– कहने का कौशल (Skill of Speaking)।

1. सुनने का कौशल : सूचना प्राप्त करने में महत्वपूर्ण क्रिया सुनना है अतः एक अच्छे सम्प्रेषक के साथ एक अच्छा श्रोता होना भी जरूरी है। अच्छा श्रोता या सुनने की क्षमता रखना सम्बन्धों को बेहतर बनाने तथा शिक्षण को प्रभावी बनाने में उपयोगी है।

एक अध्यापक को अपना शिक्षण कार्य करते समय विद्यार्थियों की बात को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए यदि वह ध्यानपूर्वक सुनेगा तो उनका समाधान भी कर सकता है। अध्यापक को सुनने के कौशल को विकसित करने में डॉ. सरोज शर्मा के अनुसार निम्न सूत्र का उपयोग करके छात्र की समस्या का समाधान अच्छी तरह से कर सकता है। जिसे संक्षेप में 'SLLR' कहते हैं– (i) रुको (stop), (ii) देखो (Look), (iii) सुनो (Listen), (iv) अनुक्रिया करो (Responce)।

(i) रुको (stop) : जब छात्र अपनी कोई समस्या लेकर आता है तो शिक्षक अपना जो भी कार्य कर रहा है उसे रोक कर छात्र की ओर ध्यान देना चाहिए।

(ii) देखो (Look) : छात्र के सामने सौहार्द्रपूर्ण भाव से देखें जिससे उसे अपनी बात कहने का साहस पैदा होगा।

(iii) सुनो (Listen) : शिक्षक को छात्र के उन संदेशों, तथ्यों, विचारों को ध्यान पूर्वक सुनना तथा शब्दों व उसके भावों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए जो विद्यार्थी कहना चाहता है।

(iv) उचित अनुक्रिया (Responce): शिक्षक को विद्यार्थी द्वारा कही गई बात को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद उस सम्बन्ध में उचित अनुक्रिया करनी चाहिए। अतः अध्यापक एक अच्छा श्रोता होने के साथ-साथ छात्र में भी सुनने का कौशल विकसित कर सकेगा।

सुनने का कौशल विकसित करने के महत्त्वपूर्ण बिन्दु : यदि सुनने की क्रिया जितनी अधिक प्रभावी होगी उतना ही सम्प्रेषण अधिक प्रभावी होगा। सम्प्रेषक व सम्प्रेषी सुनने के कौशलों को विकसित करने में निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखना चाहिए– 1. जो भी सुनें उसे पूरे मन से सुनें। 2. सुनने के लिए हमेशा उत्सुकता बनाये रखें। 3. अपने अन्दर संवेदनशीलता का विकास करें। 4. अपने आसपास के व्यवधानों को दूर करें। 5. उचित प्रतिक्रिया देने से पूर्व सम्प्रेषक की बात पूरी तरह ध्यानपूर्वक सुनकर ही प्रतिक्रिया देवें। 6. अपनी सभी ज्ञानेन्द्रियों को हमेशा सक्रिय रखें। 7. अध्यापक द्वारा पढ़ाई जाने वाली विषयवस्तु पर पूर्ण ध्यान रखें। 8. सभी मुख्य बातों को ध्यानपूर्वक नोट करें। 9. अपने मस्तिष्क को सक्रिय रखें और ध्यान केन्द्रित करें। 10. बीच-बीच में प्रश्न पूछें।

एक अध्यापक के लिए एक सम्प्रेषक/वक्ता के रूप में यह जरूरी है कि वह विद्यार्थियों का ध्यान सुनने के प्रति केन्द्रित कर सकें इसके लिए अध्यापक को निम्न क्रिया करनी चाहिए–

1. कक्षा शिक्षण के समय छात्रों की भागीदारी बढ़ावें। 2. छात्रों के समक्ष सही तरह से अपनी विषयवस्तु की व्याख्या करें। 3. यह भी ध्यान रखें की श्रोता आपकी बात समझ रहा है या नहीं। 4. विद्यार्थियों की भावनाओं और संवेदों का आदर करें। 5. पाठ के कठिन बिन्दुओं को उचित उदाहरणों के साथ उसकी व्याख्या करें। 6. विषयवस्तु को विद्यार्थी के परिवेश से जोड़ते हुए शिक्षण कार्य करें। 7. छात्रों के पूर्वज्ञान के स्तर का ध्यान रखें। 8. कक्षा का वातावरण शान्त हो तथा कक्षा में विद्यार्थियों के बैठने की उचित व्यवस्था हो। 9. अपनी विषयवस्तु को उचित शिक्षण सामग्री के साथ प्रस्तुत करें तथा उसकी सही तरह से व्याख्या करें। 10. वाणी कक्षा के अनुकूल होनी चाहिए।

2. बोलने/कहने का कौशल (Skill of Speaking) : एक अच्छे शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए उसे बात अच्छी तरह से कहना चाहिए। शिक्षक अपनी सम्प्रेषी तक अपनी पहुँच बनाने के लिए यह

आवश्यक है कि सम्प्रेषक अपनी बात (वक्तव्य) को प्रभावी व दोषरहित तरीके से प्रस्तुत करे। शिक्षक अपने प्रभावी वक्तव्य को निम्न बिन्दुओं के आधार पर बना सकता है।

1. शारीरिक भाषा एवं स्थिति : शिक्षण कार्य करते समय शिक्षक अपनी शारीरिक भाषा के आधार पर शिक्षण अन्तःक्रिया को प्रभावी बना सकता है। इसके लिए शिक्षक अपने चेहरे के भाव, आँखों के संकेत, मुखमुद्रा का उपयोग कर सकता है जिससे सम्प्रेषी पर अच्छा प्रभाव पड़े। यदि सम्प्रेषक सुनने वाले का ध्यान अपनी ओर उपयुक्त शारीरिक भाषा, स्थितियों से आकर्षित कर लेता है तो अपने कार्य में आधी सफलता को प्राप्त कर लेता है।

2. नेत्र सम्पर्क : श्रोता/विद्यार्थी से तादात्म्य स्थापित करने का एक प्रभावी साधन है। इसके शिक्षक अपने शिक्षण कार्य करते समय निम्न बातों का ध्यान रखें– • सुनने वाले की तरफ देखें। • बोलने से पहले थोड़ा रुकें। • अपने वक्तव्य के बीच उचित विराम देवें। • अपने विचारों को छोटे खण्डों में बोलना चाहिए। • बोलते समय विद्यार्थियों से नेत्र सम्पर्क बनाये रखें ताकि सुनने वाले की प्रतिक्रिया, हाव-भाव देखकर यह ज्ञात हो सके कि सम्प्रेषण प्रभावी है या नहीं। • वार्ता के बीच सुनने वाले को कुछ क्षण दिये जायें ताकि वह विचारों को ग्रहण कर सके।

3. आवाज में परिवर्तन : कक्षा शिक्षण के समय विषय की प्रकृति तथा आवश्यकतानुसार अपनी आवाज में उतार-चढ़ाव लाना चाहिए। कक्षा में अपनी आवाज प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक निम्न प्रयास करें। ताकि सम्प्रेषण प्रभावी हो सके। • कक्षा में मुख्य बातों पर उतार चढ़ाव लायें। • शब्दों का उच्चारण सही तरीके से करें। • आवाज की गति सामान्य बनाये रखें। • शब्दों को बार-बार ना दोहरायें। • आवाज कक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या के आधार पर करें।

4. प्रस्तुतिकरण : कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए यह जरूरी है कि शिक्षक अपना वक्तव्य समयानुसार तथा विषयवस्तु को क्रमबद्ध करें। अपनी पाठयोजना कालांश समय के अनुसार प्रस्तुत करें। अपनी शुरुआत बहुत कम समय में रोचक तरीके से छात्रों के पूर्वज्ञान का उपयोग करके पाठ की शुरुआत करता है। इसके लिए अपनी भूमिका के लिए 5 मिनट का उपयोग कर सकता है। 20-25 मिनट अपने पाठ को पढ़ाने, प्रश्न पूछने, उदाहरण प्रस्तुत करने में कर सकता है। पाठ के बीच रोचक उदाहरणों से छात्रों का ध्यान केन्द्रित करना चाहिए तथा छात्रों में जिज्ञासा को बनाये रखें।

उपसंहार : शिक्षण अन्तःक्रिया में सम्प्रेषण बहुत अधिक महत्वपूर्ण है शिक्षक अपने सम्प्रेषण को सुनने व कहने के कौशल को प्रभावी बनाकर अपना शिक्षण कार्य अधिक बोधगम्य बना सकता है।

–प्राध्यापक, जीव विज्ञान
जवाहर विद्यापीठ शि.प्र. महाविद्यालय
कानोड़, उदयपुर (राज.) 313604

मानव कल्याण के लिए रसायन : आशाएँ एवं चिन्ताएँ

❑ **नीना पाण्डेय**

'अध्ययन से सृजनात्मकता आती है,
सृजनात्मकता विचारों को आगे बढ़ाती है,
विचारों से ज्ञानवर्धन होता है और
ज्ञान आपको महान बनाता है।'

आज के वैज्ञानिक युग में देश तथा समाज की प्रगति विज्ञान पर निर्भर है। विज्ञान एक बहुमानवीय प्रयत्न है और मूलतः यह प्रकृति के नियमों तथा साधनों को उचित ढंग से समझने का माध्यम है। जिज्ञासा, अन्धविश्वासों से मुक्ति समस्या का क्रमबद्ध समाधान, धैर्य, उदार मानसिकता व ईमानदारी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मूल तत्त्व हैं, रासायनिकी विज्ञान की एक अति महत्त्वपूर्ण शाखा है।

रासायनिकी की शाखाएँ– कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन, जैव रसायन, अनुप्रयुक्त रसायन, औद्योगिक रसायन।

प्रकृति की प्रत्येक संरचना जैविक-अजैविक अति सुन्दर रासायनिक कृतियाँ हैं और हमारी सारी गतिविधियाँ रसायन द्वारा नियंत्रित हैं।

मानव कल्याण के लिए रसायन को निम्नलिखित रूप से चित्रित किया जा सकता है।

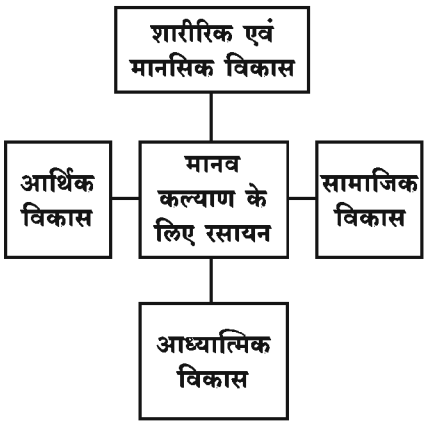

रसायन विज्ञान हमारी मूलभूत आवश्यकताओं (रोटी, कपड़ा और मकान) की पूर्ति करता है। विभिन्न पदार्थों का निर्माण, संगठन, संरचना, स्वभाव, संश्लेषण व गुणों का अध्ययन एवं उपयोगिता, औद्योगिक उत्पादन, रासायनिक के गहन अध्ययन से हो गया है जैसे– साबुन, डिटरजेंट, कॉस्मेटिक, मैटेलिक आभूषण, बर्तन, पेट्रोल, इस्पात, प्लास्टिक, सीमेन्ट, रंग पेंट, कांच, रबर, उर्वरक कीटाणु नाशक औषधियाँ, जीवोपयोगी औषधियाँ, एनॉलजेसिक, एंटीबायोटिक, कृत्रिम रेशें, (टेरिलीन, नाइलॉन, ऑरलोन) मैलेमाइन, बैकेलाइट, पैराशूट, मिलिट्री सामग्री, ग्लास फाईबर, मैटिनिक फाईबर, प्लास्टर ऑफ पैरिस, प्लास्टिक, सिन्थेटिक, फाईबर, इलेक्ट्रोनिक सेल्स, आण्विक संयंत्र आदि सब रसायन विज्ञान की देन है। आग बुझाने वाला अग्निशामक यंत्र रासायनिक अभिक्रिया पर निर्भर है। एल.पी.जी., सी.एन.जी. किफायती व प्रदूषण रहित ईंधन है।

जीवन की उत्पत्ति का जिक्र करें तो यही

ज्ञात होता है कि रसायनों के संयोग से ही अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन का निर्माण हुआ।

संगठन के स्तर– परमाणु→अणु→यौगिक→कोशिका→ऊतक→अंग→अंग-तंत्र→जीव→जनसंख्या→जैव समुदाय→परिस्थितिकी तंत्र→जैव मंडल।

इसलिए यह कहा जा सकता है 'Chemistry is life and for Human Development' आज रासायनिकी की कुछ शाखाओं के सम्मिश्रण से बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की गई हैं। (Bio-chemistry)

1. Stem cell पद्धति के द्वारा असाध्य रोगों का ईलाज व अंगों का परिवर्धन व प्रत्यारोपण (Transplantation) किया जाता है। 2. Tracer Technique के द्वारा विभिन्न रोगों का Diagonosis किया जाता है। 3. Cloning के द्वारा जीवों की प्रतिकृति उनकी रासायनिक संरचना निर्मित कर समान प्रतिकृति उत्पन्न की गई है। (भेड़ में सफल)। 4. Genetic Engineering के द्वारा Parents इच्छित गुणों की सन्तान प्राप्त करते हैं। 5. हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाएँ उदाहरण पाचन, श्वसन, परिसंचरण आदि सभी Bio chemical अभिक्रियाओं पर निर्भर है जो कि जैव रसायनों के द्वारा पूर्ण की जाती है। 6. Jurassic Park फिल्म में D.N.A. Extracts की सहायता से Dinosour निर्मित किये गये थे। आज बच्चा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर चुका है आज गोवा का एक बच्चा जब कहता कि मैं एक इलेक्ट्रॉन बन जाऊँगा और Orbit में स्थित e (–) की तरह अपने देश के लिए अनवरत कार्य करता रहूँगा। तब हमें अपने देश पर गर्व होने लगता है।

आशाएँ– 1. सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न बौद्धिक उत्पादों तथा प्रणालियों, जैव रासायनिकी प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी द्वारा लोगों के जीवन को संवर्धित किया जा सकेगा। 2. अन्य ग्रहों में उपस्थित विभिन्न पदार्थों के रासायनिक संगठन का पता लगाकर वहाँ पर जीवन की सम्भावनाएँ तलाशी जाएँगी। 3. Genomic तथा जैव रासायनिकी प्रौद्योगिकी शोध द्वारा मानव जीवन को अधिक दीर्घायु बनाया जा सकेगा। 4. खाद्य योग्य रासायनिक टीके निर्मित किये जाएँगे। 5. पर्यावरण प्रदूषण कम करने के लिए Bio-diesel हिलियम & Bio-diesel Hydrogen के नये वैकल्पिक स्रोत खोजे जाएँगे। 6. टीके के लिए Plant System विकसित किया जा सकेगा। 7. सैरेमिक अकार्बनिक अधात्विक पोलिमर्स निर्मित किए जा सकेंगे। 8. स्टील से अधिक शक्तिशाली, टोइटेनियम से अधिक कठोर एवं एल्यूमिनियम से मुलायम कार्बन फाइबर विकसित किया जा सकेगा जिसका उपयोग हड्डियों को जोड़ने के लिए व कृत्रिम हृदय में प्रयुक्त किया जा सकेगा। 9. हरित रसायनिकी से पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सकेगा। 10. नैनो टेक्नोलोजी का उपयोग इलेक्ट्रोनिक में, ऑटोमोबाईल्स में, कृषि में किया जा सकेगा। 11. कार्बन नैनो ट्यूब्स का उपयोग संचार माध्यम में सेलफोन में, रिचार्जेबल लिथियम बैटरी में, मेडिकल अभिकरणों में व कम्प्यूटर डिस्प्ले आदि में किया जा सकेगा। 12. पृथ्वी पर उपस्थित कुछ और नए तत्वों की खोज कर ली जाएगी। 13. इच्छित समय पर वर्षा की जा सकेगी। 14. अपराधियों के नारकोटेस्ट में उपयोग हो सकेगा, आदि।

चिन्ताएँ– रसायन विज्ञान जहाँ मानव के लिए अत्यन्त लाभकारी, सुरक्षाप्रद साबित हुआ है। वहीं इसका विध्वंसात्मक रूप भी दर्शित हुआ है। जिसके लिए मानव समाज की सम्पूर्ण विश्व में चिन्ताएँ अपेक्षित हैं।

1. रसायनों का उपयोग आत्महत्या करने के लिए भी किया जा रहा है। (जिंक फास्फाईड, पोटैशियम साइनाइड, मरक्यूरिक क्लोराइड आदि।) 2. सन् 2001 में अमेरिका पर एन्थ्रेक्स आक्रमण किया गया। 3. कीटनाशकों के बहुत अधिक उपयोग से खाद्य पदार्थों पर जहरीला प्रभाव देखा गया है। 4. खिलाड़ी अधिक शक्ति के लिए एल्केलोइडस का उपयोग करते हैं। 5. फलों के अतिशीघ्र परिवर्धन हेतु ऑक्सीन का उपयोग किया जाता है। 6. लड़कियों के अंगों के जल्दी परिवर्धन हेतु Oxytocin injection, capsule का उपयोग किया जाता है। 7. ग्लोबल वार्मिंग (गैसीय असंतुलन) से पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि हो रही है यह एक प्रकार का गैसों का असंतुलन है। 8. ओजोन परत के पतला होने से अल्ट्रा वाइलेट (Ultra Violate) किरणें पृथ्वी तक पहुँच रही हैं जिससे त्वचा कैंसर आनुवांशिक लक्षणों में परिवर्तन, एल्ब्यूमिन (Albumin) निर्माण स्कंदन की क्रिया का रुकना, प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी ग्लोबल वार्मिंग त्वचा का सूजना आदि घातक प्रभाव देखे जा सकते हैं। यह Hydro-chlorocarbon के कारण हैं। 9. अम्ल वर्षा के दुष्प्रभाव– (1) इमारतों के गड्ढे उत्पन्न करना। (2) संगमरमर पत्थर का खराब होना। उदाहरण ताजमहल का क्षरण। (3) झीलों की मछलियों व अन्य जीवों का अन्त होना। (4) मृदा की उर्वरक क्षमता खत्म होना तथा अम्लीय बढ़ना। (5) रेल मार्ग पर बने पुलों को कमजोर करना। अम्ल वर्षा का संगठन। 10. H_2SO_4+H_2CO_3+HNO_3 व वायुमण्डल में उपस्थित HCl 11. परमाणु बमों का नरसंहार हेतु उपयोग। 12. फिशन और फ्यूजन अभिक्रियाओं का दुरुपयोग। 13. पृथ्वी पर रसायनों के असंतुलन बढ़ने से शीघ्र ही पृथ्वी की स्थिति मंगल उपग्रह जैसी हो जाएगी। 14. कोल्ड ड्रिंक्स में पेस्टीसाईडस का उपयोग आदि।

इस प्रकार हम देखते हैं कि रसायन विज्ञान ने जहाँ हमें जीवन में अनन्य तोहफों से अलंकृत किया है वहीं ??? प्रश्न चिह्न खड़े कर दिये हैं जिनके निराकरण के उपाय अतिआवश्यक हैं नहीं तो यह भविष्य में हमारे सामने अनगिनत चुनौतियाँ खड़ी कर देगा।

–विभागाध्यक्ष, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रसार सेवा विभाग-7, रा.रा.शै.अ.प्र.सं., उदयपुर

दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करें जो हमें अपने लिए स्वीकार नहीं।

***

सबसे बड़ा दीन-दुर्बल वह है जिसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं।

स्वदेशीव्रत इस युग का महाव्रत है। जो वस्तु आत्मा का धर्म है, लेकिन अज्ञान या अन्य कारण से आत्मा को जिसका भान नहीं रहा, उसके पालने के लिए व्रत लेने की जरूरत पड़ती है। जो स्वभावतः निरामिषाहारी है उसे आमिषाहार न करने का व्रत नहीं लेना रहता। आमिष उसके लिए प्रलोभन की चीज नहीं होती, बल्कि आमिष देखकर उसे उल्टी आवेगी।

स्वदेशी आत्मा का धर्म है, पर वह बिसर गया है, इससे उसके विषय में व्रत लेने की जरूरत रहती है। आत्मा के लिए स्वदेशी का अंतिम अर्थ सारे स्थूल सम्बन्धों से आत्यंतिक मुक्ति है। देह भी उसके लिए परदेशी है; क्योंकि देह अन्य आत्माओं के साथ एकता स्थापित करने में बाधक होती है, उसके मार्ग में विघ्नरूप है। जीवमात्र के साथ ऐक्य साधते हुए स्वदेशी धर्म को जानने और पाने वाला देह का भी त्याग करता है।

यह अर्थ सत्य हो तो हम अनायास समझ सकते हैं कि अपने पास रहने वालों की सेवा में ओत-प्रोत हुए रहना स्वदेशी धर्म है। यह सेवा करते हुए ऐसा आभासित होना संभव है कि दूर वाले बाकी रह जाते हैं अथवा उनको हानि होती है; पर वह केवल आभास ही होगा। स्वदेशी की शुद्ध सेवा करने में परदेशी की भी शुद्ध सेवा होती ही है। यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे।

इनके विरुद्ध दूर की सेवा करने का मोह रखने में वह हो नहीं पाती और पड़ोसी की सेवा छूट जाती है। यों इधर-उधर दोनों बिगड़ते हैं। मुझ पर आधार रखने वले कुटुम्बी-जन अथवा ग्रामवासियों को मैंने छोड़ा तो मुझ पर उसका जो आधार था वह चला गया। दूर वालों की सेवा करने जाने में उनकी सेवा करने का जिसका धर्म है वह उसे भूलता है। वहाँ का वातावरण बिगड़ा और अपना तो बिगड़कर चला ही था। यों हर तरह से उसने नुकसान ही किया। ऐसे अनगिनत हिसाब सामने रखकर स्वदेशी-धर्म सिद्ध किया जा सकता है। इसी से 'स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः', वाक्य की उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ इस प्रकार अवश्य किया जा सकता है कि 'स्वदेशी पालते हुए मौत हो तो भी अच्छा है, परदेशी तो भयानक ही है।' स्वधर्म अर्थात् स्वदेशी।

स्वदेशी को समझ न पाने से ही गड़बड़ी होती है। कुटुंब पर मोह रखकर मैं उसे पोसूँ, उसके लिए धन चुराऊँ, दूसरे प्रपंच रचूँ, तो यह

बापू की सीख-14

स्वदेशी

❑ मो. क. गाँधी

महात्मा गाँधी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। राजनीति, अर्थनीति, समाजनीति एवं शिक्षा सभी क्षेत्रों में उनके विचार बहुत उपयोगी हैं। वस्तुतः वे एक मनोवैज्ञानिक शिक्षक थे। उनकी शिक्षा सम्बन्धी 21 रचनाएं 'बापू की सीख' नामक पुस्तक में प्रकाशित हुई हैं। शिविरा के सुधि पाठकों के लिए उन्हें शृंखलाबद्ध प्रकाशित किए जाने का निर्णय लिया गया है। आशा है पाठक इन विचारों को पठन, मनन के साथ आचरण में लाने का प्रयास करेंगे। —वरिष्ठ सम्पादक

स्वदेशी नहीं है। मुझे तो उनके प्रति मेरा जो धर्म है उसे पालना है। उस धर्म की खोज करते और पालते हुए मुझे सर्वव्यापी धर्म मिल जाता है। स्वधर्म के पालने से परधर्मी को या पर-धर्म को कभी हानि पहुँच ही नहीं सकती, न पहुँचनी चाहिए। पहुँचे तो माना हुआ धर्म स्वधर्म नहीं; बल्कि स्वाभिमान है, अतः वह त्याज्य है।

स्वदेशी का पालन करते हुए कुटुम्ब का बलिदान भी देना पड़ता है; पर वैसा करना पड़े तो उसमें भी कुटुम्ब की सेवा होनी चाहिए। यह संभव है कि हम जैसे अपने को खोकर अपनी रक्षा कर सकते हैं वैसे कुटुम्ब को खोकर कुटुंब की रक्षा कर सकते हैं। मानिए, मेरे गांव में महामारी हो गई। इस बीमारी के चंगुल में फँसे हुओं की सेवा में मैं अपने को, पत्नी को, पुत्रों को, पुत्रियों को लगाऊँ और इस रोग में फँसकर वे मौत के मुँह में चले जाएँ तो मैंने कुटुम्ब का संहार नहीं किया, मैंने उसकी सेवा की। स्वदेशी में स्वार्थ नहीं है अथवा है तो वह शुद्ध स्वार्थ है। शुद्ध स्वार्थ मानी परमार्थ; शुद्ध स्वदेशी यानी परमार्थ की पराकाष्ठा।

इस विचारधारा के अनुसार मैंने खादी में सामाजिक शुद्ध स्वदेशी धर्म देखा। सबकी समझ में आने योग्य, सभी को जिसके पालने की इस युग में, इस देश में भारी आवश्यकता हो, ऐसा कौन स्वदेशी धर्म हो सकता है? जिसके अनायास पालने से भी हिन्दुस्तान के करोड़ो की रक्षा हो सकती है, ऐसा कौन-सा स्वदेशी धर्म हो सकता है? जवाब में चर्खा अथवा खादी मिली।

कोई यह न माने कि इस धर्म के पालने से परदेशी मिल वालों का नुकसान होता है। चोर को चुराई हुई चीज वापस देनी पड़े या वह चोरी करते रोका जाय तो इसमें उसे नुकसान नहीं है, फायदा है। पड़ोसी शराब पीना या अफीम खाना छोड़ दे तो इससे कलवार को या अफीम के दुकानदार को नुकसान नहीं, लाभ है। अयोग्य रीति से जो अर्थ साधते हों उनके उस अर्थ का नाश होने में उनको और जगत को फायदा ही है।

पर जो चर्खे द्वारा जैसे-तैसे सूत कातकर, खादी पहन-पहन कर स्वदेशी धर्म का पूर्ण पालन हुआ मान बैठते हैं वे महामोह में डूबे हुए हैं। खादी सामाजिक स्वदेशी की पहली सीढ़ी है, इस स्वदेशी धर्म की परिसीमा नहीं है। ऐसे खादीधारी देखे गये हैं जो अन्य सब सामान परदेशी भरे रहते हैं। वे स्वदेशी का पालन नहीं करते। वे तो प्रवाह में बहने वाले हैं। स्वदेशी व्रत का पालन करने वाला हमेशा अपने आस-पास निरीक्षण करेगा और जहाँ-जहाँ पड़ोसी की सेवा की जा सकती है अर्थात् जहाँ-जहाँ उनके हाथ का तैयार किया हुआ आवश्यक माल होगा वहाँ-वहाँ वह दूसरा छोड़कर उसे लेगा, फिर चाहे स्वदेशी वस्तु भले महँगी और कम दर्जे की ही क्यों न हो इसे व्रतधारी सुधारने और सुधरवाने का प्रयत्न करेगा। कायर बनकर, स्वदेशी खराब है इससे, परदेशी काम में नहीं लाने लग जाएगा।

किन्तु स्वदेशी धर्म जानने वाला अपने कुएँ में डूबेगा नहीं। जो वस्तु स्वदेश में नहीं बनती अथवा महाकष्ट से ही बन सकती है वह परदेश के द्वेष के कारण अपने देश में बनाने बैठ जाएँ तो उसमें स्वदेशी धर्म नहीं है। स्वदेशी धर्म पालने वाला परदेशी का कभी द्वेष नहीं करेगा। अतः पूर्ण स्वदेशी में किसी का द्वेष नहीं है। यह संकुचित धर्म नहीं है। यह प्रेम में से, अहिंसा में से पैदा हुआ सुन्दर धर्म है।

'मंगल-प्रभात' से

शिविरा पंचांग माह अगस्त, 2012

कार्य दिवस 23 • रविवार 04 • अवकाश 04 • उत्सव 03 • 1 अगस्त से 15 सितम्बर– विद्यार्थियों की स्वास्थ्य जांच एवं अभिलेख संधारण, सामुदायिक मुखियाओं की एक दिवसीय कार्यशाला (एससी/एसटी/अल्पसंख्यक) का आयोजन। **02 अगस्त**– रक्षा बन्धन (अवकाश), संस्कृत दिवस (उत्सव)। **7 अगस्त**– बालिका शिक्षा (नवाचार) प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत अध्यापिका मंच की प्रथम बैठक का आयोजन। **06 से 10 अगस्त**– प्रत्येक विद्यालय में बाल संसद का गठन। **10 अगस्त**– जन्माष्टमी (अवकाश–उत्सव)। **11 अगस्त**– माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा शिक्षकों के व्यावसायिक कौशल उन्नयन की प्रतियोगिता के लिए जिला स्तर पर पूर्व तैयारी। मीना मंच के अन्तर्गत कहानी "अन्धेरे में देखना" वाचन एवं समूह चर्चा। **13 अगस्त**– माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा शिक्षकों के व्यावसायिक कौशल उन्नयन की प्रतियोगिता के लिए जिला स्तर पर आयोजन। **15 अगस्त**– स्वतन्त्रता दिवस (अवकाश–उत्सव अनिवार्य), केजीबीवी में कक्षा 8 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली एससी/एसटी बालिकाओं को अवार्ड का वितरण। **17 अगस्त**– इस दिनांक से पूर्व प्रथम/द्वितीय/तृतीय समूह (माध्यमिक एवं प्रारम्भिक) कक्षावार, दलवार खेलकूद प्रतियोगिता एवं नेहरू हॉकी का आयोजन (15 वर्ष छात्र)। **18–19 अगस्त**– जिला स्तरीय नेहरू हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन (15 वर्ष छात्र), माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतियोगिता के लिए तहसील स्तर पर पूर्व तैयारी। **20 अगस्त**– ईदुलफितर (अवकाश चन्द्रदर्शनानुसार)। **21–23 अगस्त**– प्रथम परख (सभी कक्षाओं के लिए)। **25 अगस्त**– डाइस हेतु संकुल/ब्लॉकवार विद्यालयों की सूची तैयार करना (प्रारम्भिक) मीना मंच के अन्तर्गत " लड़कियों की वापसी" कहानी पर चर्चा। **25–31 अगस्त**– एनपीईजीईएल के अन्तर्गत विद्यालय स्तर पर "आओ देखो सीखो" प्रतियोगिता का आयोजन। **27 – 28 अगस्त**– माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों की तहसील स्तर पर सृजनात्मक प्रतियोगिता का आयोजन। **27–29 अगस्त**– राज्य स्तरीय नेहरू हॉकी प्रतियोगिता। **29 अगस्त**– ध्यानचन्द जयन्ती पर विद्यालयों द्वारा खेलकूद गतिविधियों का आयोजन करना। **31 अगस्त**– श्रेष्ठ राजकीय विद्यालय पुरस्कार–2012 के लिए राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम) को आवेदन करना। अभिभावकों एवं शिक्षकों की संयुक्त बैठक आयोजित कर प्रथम परख के प्रगति–पत्र विद्यार्थियों/अभिभावकों को वितरण एवं शैक्षिक प्रगति हेतु विचार विमर्श। **नोट :– प्रा. शिक्षा– 1.** कक्षा–शिक्षण की समेकित आवश्यकता के आधार पर टी.एल.एम. का क्रय **2.** लहर (तीन दिवसीय), इंडेक्शन, समावेशित शिक्षा, एसएमसी, कम्प्यूटर, ई–कन्टेंट व स्वेस प्रशिक्षण। **3.** कक्षा–शिक्षण प्रक्रिया सम्बलन के लिए अधिकारियों द्वारा विद्यालयों का अवलोकन **4.** टीएलएम/एसएफजी/एमआर वितरण की कार्ययोजना एवं राशि हस्तान्तरण। **5.** प्रत्येक पाठ पढ़ाने के पश्चात कार्य पुस्तिकाओं में अभ्यास कार्य कराना। **6.** केजीबीवी शैक्षिक भ्रमण 22 अगस्त से 31 अगस्त 2011 के मध्य।

विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम

माह : अगस्त, 2012 — **प्रसारण समय : दोपहर 2.10 से 2.30 तक**

दिनांक	वार	आकाशवाणी केन्द्र	कक्षा	विषय	पाठ्यपुस्तक का नाम	पाठ क्रमांक	पाठ का नाम
1.08.2012	बुधवार	जोधपुर	8	सामाजिक विज्ञान	संसाधन एवं विकास	1	संसाधन
3.08.2012	शुक्रवार	उदयपुर	8	सामाजिक विज्ञान	सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन-III	1	भारतीय संविधान
4.08.2012	शनिवार	बीकानेर	9	हिन्दी	कृतिका भाग-1	1	इस जल प्रलय में
6.08.2012	सोमवार	जयपुर	4	हिन्दी	हिन्दी	1	सुखधाम
7.08.2012	मंगलवार	जोधपुर	9	सामाजिक विज्ञान	आपदा प्रबन्धन	1	आपदा प्रबंधन से परिचय-आपदा प्रबंधक बनाना
8.08.2012	बुधवार	उदयपुर	7	हिन्दी	बसंत भाग-II	3	हिमालय की बेटियाँ
9.08.2012	गुरुवार	बीकानेर	12	राजस्थान अध्ययन	राजस्थान अध्ययन भाग-4	1	राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश
11.08.2012	शनिवार	जयपुर	5	हिन्दी	हिन्दी	1	बोलो वह है देश कौन-सा
13.08.2012	सोमवार	जोधपुर	10	हिन्दी	क्षितिज भाग-II	1	सूरदास
14.08.2012	मंगलवार	उदयपुर	9	संस्कृत	शेमुषी – प्रथमो भागः	3	सोमप्रभम्
16.08.2012	गुरुवार	बीकानेर	9	सामाजिक विज्ञान	लोकतान्त्रिक राजनीति	2	लोकतंत्र क्या? लोकतंत्र क्यों?
17.08.2012	शुक्रवार	जयपुर	10	राजस्थान अध्ययन	राजस्थान अध्ययन भाग-II	1	स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान में सामाजिक सुधार
18.08.2012	शनिवार	जोधपुर	8	विज्ञान	विज्ञान	2	सूक्ष्मजीव : मित्र एवं शत्रु
24.08.2012	शुक्रवार	उदयपुर	12	राजस्थान अध्ययन	राजस्थान अध्ययन भाग-4	3	भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की भूमिका
25.08.2012	शनिवार	बीकानेर	9	सामाजिक विज्ञान	अर्थशास्त्र	3	निर्धनता : एक चुनौती
27.08.2012	सोमवार	जयपुर	11	हिन्दी	वितान भाग-I	1	भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ : लता मंगेशकर
28.08.2012	मंगलवार	जोधपुर	11	हिन्दी	वितान भाग-I	2	राजस्थान की रजत बूँदे
29.08.2012	बुधवार	उदयपुर		गैरपाठ्यक्रम			ध्यानचन्द जयन्ती
30.08.2012	गुरुवार	बीकानेर	8	सामाजिक विज्ञान	संसाधन एवं विकास	5	उद्योग
31.08.2012	शुक्रवार	जयपुर	8	विज्ञान	विज्ञान	2	भोजन के घटक

1. राज्य में सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन पायलट प्रोजेक्ट के विस्तार के सम्बन्ध में। ☐ 2. सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2012-13 के तहत सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के सम्बन्ध में। ☐ 3. विद्यालयों में प्रवेश देते समय मूल निवास प्रमाण-पत्र की मांग जारी निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निर्देश ☐ 4. सर्वश्रेष्ठ राजकीय विद्यालय पुरस्कार, 2012 ☐ 5. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों का कठोरता से पालना करने बाबत ☐ 6. निःशक्त जनों का सरकारी सेवाओं में 3 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में। ☐ 7. राजस्थान के श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में शिक्षण सत्र 2012-13 में तृतीय भाषा पंजाबी की आदर्श पंजाबी प्रबोध कक्षा 6 की पुस्तक यथावत लागू करने के क्रम में। ☐ 8. बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ट्रान्सपोर्ट वाउचर योजना के संचालन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश : वर्ष 2012-13 ☐ 9. कल्प कार्यक्रम अंतर्गत संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षण हेतु कालांश व्यवस्था के सम्बन्ध में। ☐ 10. अधिकारियों के निरीक्षण/दौरे एवं रात्रि विश्राम के सम्बन्ध में ☐ 11. सत्र 2012-13 की विद्यालयी छात्र-छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन हेतु प्रतियोगिता पंचांग आवश्यक निर्देशों सहित अनुपालनार्थ ☐ 12. 57 वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक (16, 17 व 19 वर्ष आयु वर्ग) विद्यालयी छात्र-छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता, आयोजन हेतु पंचांग एवं आवश्यक निर्देश अनुपालनार्थ।

1. राज्य में सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन पायलट प्रोजेक्ट के विस्तार के सम्बन्ध में।

• कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/एबी/3521/सीसीई/2009-12 दिनांक : 25.06.12 • विषय : राज्य में सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन पायलट प्रोजेक्ट के विस्तार के सम्बन्ध में। • प्रसंग : राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् जयपुर के पत्रांक राप्राशिप/जय/सीसीई/2012/1492-93 दिनांक 01.05.12, 02.05.12 एवं 30.05.12 • उपरोक्त विषयांतर्गत एवं प्रासंगिक पत्रानुसार लेख है कि पायलेट प्रोजेक्ट के उत्साहजनक परिणाम के आधार पर राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सीसीई कार्यक्रम को सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दो फेज में लागू किया जावे। प्रथम फेज में 'लहर कार्यक्रम' वाले 3059 विद्यालयों में अकादमिक सत्र 2012-13 से तथा द्वितीय फेज में सत्र 2013-14 से सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया गया है।

इस सम्बन्ध में आपके जिले सम्बन्धित विद्यालयों की सूची एवं सीसीई के दिशा-निर्देश की प्रति संलग्न कर निर्देश दिये जाते हैं कि आप सम्बन्धित विद्यालयों के संस्था प्रधानों को उक्त दिशा-निर्देशों की प्रति भिजवाकर इसकी पालना इसी शिक्षा सत्र 2012-13 से करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : सीसीई अंतर्गत चयनित विद्यालयों की सूची एवं सीसीई दिशा-निर्देश। • ह., निदेशक।

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विस्तार हेतु चयनित विद्यालय सूची सत्र 2012-13 *1/5/2012*

S.No.	Dist. Name	C-1	C-2	C-3	C-4	C-5	Total Enrl.	TOT TCH	No. of School
1.	AJMER	4138	5101	4599	4140	4002	21980	558	139
2.	ALWAR	3440	4322	3670	2932	2746	17110	503	138
3.	BANSWARA	4593	4596	4078	3491	3564	20322	704	193
4.	BARAN	724	866	811	871	793	4065	119	30
5.	BARMER	2232	2208	1788	1481	1385	9094	297	99
6.	BHARATPUR	3721	4458	3880	3371	3131	18561	592	154
7.	BHILWARA	2200	2654	2494	2191	2098	11637	355	94
8.	BIKANER	3376	4597	3837	3078	2517	17405	512	128
9.	BUNDI	499	731	652	585	564	3031	106	27
10.	CHITTAURGARH	361	434	360	277	272	1704	57	15
11.	CHURU	698	808	727	583	585	3401	113	29
12.	DAUSA	1691	2245	1880	1590	1511	8917	269	77
13.	DHAULPUR	1868	2481	2340	2045	1924	10658	267	76
14.	DUNGARPUR	2834	2978	2496	2217	2282	12807	476	142
15.	GANGANAGAR	1005	1325	973	895	935	5133	163	44
16.	HANUMANGARH	2015	2876	2156	1976	1973	10996	490	107
17.	JAIPUR	3427	3904	3530	2832	2774	16467	645	175
18.	JAISALMER	943	766	605	433	382	3129	78	22
19.	JALOR	763	592	485	435	438	2713	73	21

S.No.	Dist. Name	C-1	C-2	C-3	C-4	C-5	Total Enrl.	TOT TCH	No. of School
20.	JHALAWAR	763	862	844	761	732	3962	120	34
21.	JHUNJHUNUN	1230	1513	1220	1053	1045	6061	284	78
22.	JODHPUR	4218	4029	3185	2586	2327	16345	661	165
23.	KARAULI	1901	2380	2146	1810	1837	10074	422	109
24.	KOTA	1578	2039	2039	1836	1732	9224	338	71
25.	NAGAUR	2652	2586	2058	1717	1659	10672	350	98
26.	PALI	1748	2136	1769	1501	1492	8646	271	65
27.	PRATAPGARH	308	351	270	290	268	1487	41	12
28.	RAJSAMAND	974	947	748	697	708	4074	133	40
29.	SAWAIMADHOPUR	1472	2108	2077	1682	1524	8863	322	90
30.	SIKAR	2636	2915	2531	2114	2049	12245	621	167
31.	SIROHI	2668	2885	2576	2266	2122	12517	314	80
32.	TONK	1267	1782	1615	1374	1303	7341	296	70
33.	UDAIPUR	7862	7160	6013	5161	5033	31229	983	270
	Grand	**71805**	**81635**	**70452**	**60271**	**57707**	**341870**	**11533**	**3059**

2. सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2012-13 के तहत सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के सम्बन्ध में।

• राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक-5, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर • क्रमांक : राप्राशिप/जय/औ.शि./2012-13/1404 दिनांक : 01/05/12 • दिशा-निर्देश सत्र 2012-13 • विषय : सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2012-13 के तहत सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के सम्बन्ध में। • विषयान्तर्गत लेख है कि सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2012-13 की प्रति आपको योजना शाखा द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। तद्नुसार सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश संलग्न हैं। जिला परियोजना समन्वयक यह सुनिश्चित करेंगे कि ये दिशा-निर्देश सम्बन्धित विद्यालयों/कार्यालयों को उपलब्ध हो गये हैं। यह एक समयबद्ध कार्यक्रम है। साथ ही इनके प्रभावी एवं समुचित क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग, योजनाबद्ध रूप से करते हुए संलग्न दिशा-निर्देश अनुरूप सम्बन्धित एसएमसी को मानदण्डानुसार राशि हस्तानान्तरित करवाना सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही से राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् को अवगत करावें।

संलग्न : विस्तृत दिशा-निर्देश, 2012-13 • ह., आयुक्त • क्रमांक : राप्राशिप/जय/औ.शि./2012-13/1405 दिनांक : 1.5.2012

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन : दिशा-निर्देश

पृष्ठभूमि एवं अवधारणा : सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (सी.सी.ई.) का अर्थ विद्यार्थी के स्कूल-आधारित मूल्यांकन व्यवस्था से है, जो विद्यार्थी के सीखने के सभी पक्षों पर ध्यान देती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बच्चों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाएगा। कक्षागत प्रक्रियाएं इस प्रकार की होंगी कि बच्चों में अन्वेषण और खोजने की प्रवृत्ति विकसित हो साथ ही बच्चों की अंतर्निहित क्षमताओं के विकास का अवसर देती हो। ये सब गुणवत्ता की बातें इस बात का आधार है कि बच्चों की कक्षा कक्ष प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित हो और कार्य करने के अधिकतम अवसर उपलब्ध हों।

अधिनियम में यह कहा गया है कि बच्चों को प्रारम्भिक कक्षा (कक्षा 1 से 8) समाप्ति तक किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा। बालकों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एवं बालकों को फेल न करना इन दोनों पहलुओं को समग्रता में देखना आवश्यक है। इसका सकारात्मक पक्ष यह है कि सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया से बच्चों का सीखना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है ताकि उसे किसी कक्षा में रोकने की आवश्यकता ही नहीं रहे। इस सम्बन्ध में यह अंतर्निहित है कि विद्यालयी प्रक्रिया में शिक्षक और अभिभावक बच्चों के सीखने को सुनिश्चित करने और मॉनिटरिंग के लिए उत्तरदायी है।

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कोई नई अवधारणा नहीं है। कोई शिक्षण विधा जिसमें बच्चों के मूल्यांकन/मूल्यांकन की प्रक्रिया सीखने सिखाने की गतिविधियों में शामिल नहीं है तो उस विधा को उपयुक्त शिक्षण विधा नहीं कहा जा सकता। अत यह स्पष्ट समझ लिया जाना चाहिए कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शिक्षण विधा यानि सीखने सिखाने की विधा का ही हिस्सा है कोई अलग अवधारणा नहीं है।

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में **सततता** जहाँ एक ओर कक्षा प्रक्रिया के रूप में होगी वहीं सावधिक मूल्यांकन के रूप में भी होगी। **व्यापकता** उन मुद्दों को प्रमुख रूप से रेखांकित करेगी जो बच्चों के विभिन्न कौशल, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष को उजागर करेगी। अतः ज्ञानात्मक मूल्यांकन के साथ छात्र का भावात्मक एवं बौद्धिक विकास का सतत मूल्यांकन भी अपेक्षित है। विषयों में भी व्यापकता के पहलू को देखा जाना आवश्यक है जो कि दरअसल पाठ्यक्रम के उद्देश्यों में स्पष्ट परिभाषित होते हैं और शिक्षा के उद्देश्यों की ओर इंगित करते हैं।

राज्य में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लागू करने के चरण (2012-13) : राज्य में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु सत्र 2010-11 से एक पायलेट प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसमें अलवर एवं जयपुर जिले के क्रमशः 40 एवं 20 विद्यालयों को सम्मिलित किया गया एवं कक्षा 1-5 एनसीईआरटी आधारित पाठ्यपुस्तकों को आधार मानकर कार्य किया गया। प्रोजेक्ट के प्रारम्भिक परिणाम इस प्रकार रहे– • बच्चों के शैक्षिक स्तर में वृद्धि हुई है। • बच्चों के प्रवेश, नियमितता और ठहराव में सराहनीय वृद्धि हुई है। • कक्षा कक्ष में सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों की रुचि और भागीदारी बढ़ी है। • बच्चों और शिक्षकों के बीच रिश्तों में गुणात्मक सुधार आया है। • अभिभावकों ने मूल्यांकन के नये तरीकों की सराहना की और स्वीकार भी किया है। • अभिभावकों ने बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता को महसूस किया है। • विद्यालय प्रबंधन समिति की भागीदारी बढ़ी है। • शिक्षकों ने एनसीएफ 2005 की मंशा के अनुरूप किए गए पाठ्यक्रम विभाजन को स्वीकार किया है। • अधिकतर शिक्षकों ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के मुद्दों पर संवाद करना प्रारम्भ किया है। • कक्षा कक्ष में शिक्षकों द्वारा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रशंसनीय बदलाव किया गया है। • कक्षा कक्ष में गतिविधि आधारित अधिगम प्रक्रिया प्रयोग की जाने लगी है। • कक्षा कक्ष में सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कला, संगीत और खेलों को पर्याप्त महत्ता मिलने लगी है।

पायलेट परियोजना के उत्साह जनक परिणाम के आधार पर राज्य सरकार ने अकादमिक सत्र 2012-13 से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया को राज्य के 3059 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में लागू करने का निर्णय लिया है। इन विद्यालयों के चयन का प्रमुख आधार रहा है– • ऐसे प्राथमिक विद्यालय जिनमें लहर कार्यक्रम संचालित हैं। • जिनमें 3 या 3 से अधिक शिक्षक हैं।

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से जुड़ी शब्दावली

1. फॉर्मेटिव (रचनात्मक) और समेटिव (योगात्मक) मूल्यांकन

फॉर्मेटिव मूल्यांकन : फॉरमेटिव मूल्यांकन एक ऐसा तरीका है जिसमें शिक्षक भयमुक्त वातावरण में कक्षा कक्ष की शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही निरन्तर बच्चों के सीखने का मूल्यांकन करते हैं। इसमें जहाँ एक ओर बच्चों की प्रगति के बारे में पता चलता है वहीं दूसरी ओर शिक्षण कार्य योजना बनाने में मदद मिलती है।

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का 'सतत' पक्ष मूल्यांकन की 'निरंतरता' (continual) और 'आवर्तन' (periodicity) पर ध्यान देता है।

सतत मूल्यांकन में प्रत्येक बच्चे पर शिक्षक शिक्षिका द्वारा विस्तृत टिप्पणी की जाती है और इसमें यथा सम्भव बच्चों की भागीदारी भी ली जाती है। इस प्रक्रिया में बच्चों को स्वयं भी अपने काम को देखने और समझने का अवसर मिलता है।

मूल्यांकन के इस तरीके में शिक्षक को यह भी पता चलता है कि बच्चों के सीखने को कौनसी चीजें प्रभावित करती है। बच्चों के अनुभवों को आधार बनाकर कक्षा में सीखने की प्रक्रिया में शामिल होने के अवसर दिए जाते हैं।

कक्षा में मौजूद बच्चों के सीखने के अलग-अलग तरीकों को भी इस मूल्यांकन प्रक्रिया में जगह मिल जाती है। इसमें बच्चों को अपने साथियों का सहयोग देने और सहयोग लेने के नियमित अभ्यास मिलते हैं जो कि अंततः सीखने की प्रक्रिया की दक्षता को बढ़ाते हैं।

यानि बच्चों की प्रगति का लगातार अवलोकन करना तथा उसके आधार पर शिक्षण योजना बनाना। यही सतत रचनात्मक मूल्यांकन (Formative Assessment) है।

समेटिव मूल्यांकन : आवर्तन का अर्थ विभिन्न परीक्षणों तथा मूल्यांकन की विविध तकनीकों का उपयोग करते हुए निश्चित अवधि (टर्म) के अंत में निष्पत्ति (performance) का आकलन। यही योगात्मक मूल्यांकन (Summative Evaluation) है।

समेटिव मूल्यांकन एक विशेष समयावधि में किए जाते हैं। इसके माध्यम से यह पता चलता है कि बच्चों ने अंततः पाठ्यक्रम में से क्या सीखा है। इसमें किसी एक तय पैमाने को आधार बनाकर अंक या ग्रेड देकर मूल्यांकन किया जाता है। इन दोनों प्रारूपों को एक साथ देखा जाना आवश्यक है क्योंकि तभी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहा जाएगा। दरअसल समेटिव मूल्यांकन फॉर्मेटिव मूल्यांकन का ही अंग है।

'व्यापक' (Comprehensive) अवयव बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के मूल्यांकन पर ध्यान देता है। व्यापकता उन मुद्दों को प्रमुख रूप से रेखांकित करेगी जो बच्चों के ज्ञानात्मक मूल्यांकन के साथ-साथ भावात्मक एवं बौद्धिक विकास को उजागर करते हैं। इसके अंतर्गत संगीत, चित्रकला, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा एवं व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्तियाँ देखी जाती हैं।

विषयों में भी व्यापकता के पहलू को देखा जाना आवश्यक है जो कि दरअसल पाठ्यक्रम के उद्देश्यों में स्पष्ट परिभाषित होते हैं और शिक्षा के उद्देश्यों की ओर इंगित करते हैं।

मूल्यांकन की प्रक्रिया अकादमिक वर्ष में इस प्रकार आयोजित की जाएगी–

प्रथम रचनात्मक मूल्यांकन (F1)	अगस्त	दिनांक 20 से 30 तक
द्वितीय रचनात्मक मूल्यांकन (F2)	अक्टूबर	दिनांक 20 से 30 तक
प्रथम योगात्मक मूल्यांकन (S1)	नवम्बर	दिनांक 20 से 30 तक
तृतीय रचनात्मक मूल्यांकन (F3)	जनवरी	दिनांक 20 से 30 तक
चतुर्थ रचनात्मक मूल्यांकन (F4)	मार्च	दिनांक 20 से 30 तक
द्वितीय योगात्मक मूल्यांकन (S2)	अप्रैल	दिनांक 20 से 30 तक

2. मूल्यांकन उपकरण एवं प्रक्रिया : अवलोकन अभिलेखन, मौखिक प्रश्न, प्रश्न पत्र, कार्यपत्रक, प्रदत्त कार्य, प्रोजेक्ट वर्क, पोर्टफोलियो एवं निदानात्मक परीक्षण आदि मूल्यांकन उपकरण हैं।

3. सतत अवलोकन अभिलेखन : विविध गतिविधियों एवं अवसरों पर (यथा; सामूहिक कार्यों, व्यक्तिगत कार्यों, कक्षा शिक्षण, खेल आदि) किए गए अवलोकन के आधार पर, बच्चे की कार्य स्थिति, शैली एवं स्तर के सम्बन्ध में शिक्षक द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार टिप्पणी/सुझाव/संकेत/चिह्न दर्ज करना।

4. पोर्टफोलियो : सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए यह आवश्यक है कि बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक के पास पर्याप्त एवीडेंस (साक्ष्य) हों। इसके लिए बच्चों के द्वारा किए गए कामों को संकलित किया जाना चाहिए। बच्चों के बेहतरीन कार्यों को रखने के लिए एक फाईल बनाई जा सकती है जो कि उसके मूल्यांकन में एवीडेंस (साक्ष्य) के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है। इस फाईल को ही पोर्टफोलियो फाईल कहते हैं।

5. प्रश्नपत्र : समय-समय पर शिक्षक बच्चों की किसी एक अधिगम क्षेत्र पर स्थिति यानि सीखने के स्तर को जानने के लिए लिखित प्रश्नपत्र का प्रयोग करते हैं।

6. कार्यपत्रक (Worksheet) : शिक्षण के दौरान बच्चों को पर्याप्त अभ्यास दिए जाने की जरूरत होती है। प्रत्येक अवधारणा पर स्पष्टता के लिए

बच्चों को अभ्यास करने के लिए कार्यपत्रक दिए जाने आवश्यक हैं।

7. प्रोजेक्ट वर्क : कक्षा-कक्ष में बच्चे अपने ज्ञान की रचना स्वयं कर सकें इसके लिए इस तरह के अभ्यास दिए जाने आवश्यक हैं जिससे बच्चों में खोजने की प्रवृत्ति, मिलकर काम करने की प्रवृत्ति और विषयों को समग्रता में देखने का अवसर मिले। प्रोजेक्ट वर्क के माध्यम से इन सभी क्षमताओं पर सामूहिक रूप से कार्य किया जा सकता है।

8. चैकलिस्ट : पाठ्यक्रम के अनुसार अधिगम क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक दो माह के लिए विभिन्न मूल्यांकन सूचकों का निर्धारण किया गया है। जिन्हें कक्षाकक्ष में कार्य करवाने के दौरान बच्चों के सीखने में आए परिवर्तनों को (किसी भी अधिगम क्षेत्र/अवधारणा में सम्मिलित सूचक के अंतर्गत) शिक्षक द्वारा दो माह के अंतराल में प्रत्येक सूचक को दो-दो बार आकलित किया जाएगा।

9. टर्म मॉड्यूल : प्रत्येक कक्षा के पाठ्यक्रम को दो अवधि (टर्म) में विभाजित किया गया है। प्रत्येक टर्म के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम को 'टर्म मॉड्यूल' नाम दिया गया है।

मूल्यांकन के क्षेत्र और तरीके : ऊपर लिखी बातों से यह स्पष्ट है कि बच्चों के मूल्यांकन का एक मात्र तरीका कागज पैन के द्वारा एक दिन में ली जाने वाली परीक्षा ही नहीं है, बल्कि कक्षा में शिक्षक को एक सतर्क एवं सहज व्यक्ति के रूप में कार्य करना होगा। बच्चे के बारे में जानने के जो भी संभव तार्किक और रचनात्मक तरीके हैं उनसे मूल्यांकन करना आवश्यक है यह तरीके कक्षा में सीखने-सिखाने की प्रक्रिया के दौरान चलते रहेंगे यही 'सतत मूल्यांकन' है। बच्चों के उन सभी पक्षों जो उसके व्यक्तित्व की समग्रता को दिखाते हैं उन्हें मूल्यांकन के दायरे में लाना ही 'व्यापक मूल्यांकन' है। इस व्यापकता में विषयाधारित अवधारणाओं के साथ, तार्किक सोच, समूह में व्यवहार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सौंदर्य बोध, न्याय एवं समता के प्रति दृष्टिकोण इत्यादि शामिल है। यह सभी संज्ञानात्मक क्षेत्र के पहलू हैं। क्योंकि यह सभी शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। दरअसल विद्यालय में सीखने सिखाने की सभी प्रक्रियाएं संज्ञानात्मक क्षेत्र की होती है।

बच्चों की प्रगति को फॉर्मेटिव एवं समेटिव फॉर्मेट में दर्ज करने के लिए ग्रेड दिया जाना तय किया गया है। इसका आधार इस प्रकार है–

A – स्वतंत्र रूप से कर लेता है।

B – शिक्षक की मदद से कर पाता है।

C – विशेष मदद की आवश्यकता है।

कक्षा 1 व 2 में लहर की प्रक्रिया एवं लैडर में दिए गए माईलस्टोन के अनुसार उसी प्रकार रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन दर्ज किया जाएगा जिस प्रकार कक्षा 3 से 5 तक में व्यवस्था दी गई है। इस व्यवस्था का विवरण इस प्रकार है–

प्रत्येक कक्षा के पाठ्यक्रम को दो भागों में विभाजित करते हुए कक्षा 3 से 5 तक अधिगम उद्देश्यों को 6 मॉड्यूल्स की एक शृंखला (सांतत्य) में व्यवस्थित किया गया है।

शिक्षण-सत्र को पाँच-पाँच माह के दो टर्मों में बाँटा गया है। प्रथम-टर्म; जुलाई से नवम्बर तक तथा द्वितीय-टर्म; दिसम्बर से अप्रैल तक। प्रत्येक मॉड्यूल पर कार्य करने के लिए एक टर्म का समय निर्धारित किया गया है। प्रत्येक मॉड्यूल के अधिगम लक्ष्य आगे दो भागों (Parts) में विभाजित हैं; भाग-एक तथा भाग-दो। प्रत्येक भाग पर कार्य करने के लिए 2 माह का समय निर्धारित किया गया है। अपेक्षा यह है कि एक भाग को पूरा करने के लिए 45 कार्य-दिवस उपलब्ध हो सकें।

मूल्यांकन प्रक्रिया : शिक्षक योजनानुसार निर्धारित मॉड्यूल के भाग-एक पर शिक्षण करते हुए अवलोकन-अभिलेखन, चैकलिस्टों, पोर्टफोलियो, होमवर्क, वर्कशीट, बातचीत एवं प्रोजेक्ट गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण एवं अधिगम का सतत मूल्यांकन करते रहेंगे। इस मूल्यांकन प्रक्रिया से बच्चों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिणामों के बारे में निरन्तर प्राप्त हो रही सूचनाओं के आधार पर बच्चों के समूहों/उपसमूहों के शिक्षण हेतु पाक्षिक योजना बनाते हुए कार्य करेंगे। कार्य के दौरान किए गए मूल्यांकन के आधार पर समीक्षा करेंगे और योजना में आवश्यकतानुसार मध्यवर्ती परिवर्तन करेंगे तथा आगामी टर्म की योजना का निर्माण करते हुए आगे बढ़ेंगे। कार्ययोजना, शिक्षण, मूल्यांकन, समीक्षा एवं आगामी योजना के सभी पक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए तथा सतत प्रक्रिया शिक्षण-अधिगम के सुधार का आधार होगी।

इस प्रक्रिया से कार्य करते हुए मॉड्यूल-पाठ्यक्रम के भाग-एक का कार्य दो माह में सम्पन्न किया जाएगा। इस अवधि में किए गए सतत-मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सम्बन्ध में प्रथम रचनात्मक मूल्यांकन-पत्रक भरा जाएगा। सभी विद्यार्थियों के इन पत्रकों को भरने का कार्य 20 से 30 अगस्त के मध्य किया जाएगा।

इसी प्रकार आगामी 2 माह में मॉड्यूल के भाग-दो पर कार्य किया जाएगा एवं उसके अन्त में प्रत्येक विद्यार्थी का द्वितीय रचनात्मक मूल्यांकन-पत्रक भरा जाएगा। सभी विद्यार्थियों के इन पत्रकों को भरने का कार्य 20 से 30 अक्टूबर के मध्य किया जाएगा।

मॉड्यूल के दोनों भागों पर किए गए कार्य एवं उनके सम्बन्ध में दोनों रचनात्मक मूल्यांकनों से प्राप्त सूचनाओं की समीक्षा की जाएगी। इसके माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी की अधिगम स्थिति, प्रगति एवं आवश्यकता को पहचाना जाएगा और उसे सुदृढ़ करने एवं जरूरत के अनुसार सुधारने के लिए, दो बार पाक्षिक योजनाएँ बनाते हुए, प्रत्येक विद्यार्थी को उसके द्वारा अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त करने में सहयोग दिया जाएगा। माह के अन्त में (20 से 30 नवम्बर के मध्य) सम्पूर्ण मॉड्यूल के पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में टर्म प्रथम योगात्मक मूल्यांकन-पत्रक भरे जाएंगे।

इस प्रक्रिया के पाँच माह की अवधि में एक मॉड्यूल के दोनों भागों पर कार्य सम्पन्न करते हुए तीन मूल्यांकन सम्पन्न होंगे, जिसमें तीसरा मूल्यांकन उस टर्म का समेकित मूल्यांकन होगा। इसी तरह आगामी पाँच माह में (दिसम्बर से अप्रैल तक) अगले-मॉड्यूल पर शिक्षण कार्य एवं सतत मूल्यांकन किया जाएगा, जिसका समयचक्र अग्रवत होगा : तृतीय रचनात्मक मूल्यांकन 20 से 30 जनवरी के मध्य एवं चतुर्थ रचनात्मक मूल्यांकन 20 से 30 मार्च के मध्य तथा टर्म द्वितीय योगात्मक मूल्यांकन 20 से 30 अप्रैल के मध्य किया जायेगा।

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य में विद्यालय का स्वरूप : सतत एवं व्यापक मूल्यांकन दरअसल सीखने सिखाने या दूसरे अर्थ में शिक्षण व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव की बात है। यह सिर्फ मूल्यांकन प्रक्रिया की बात नहीं करता बल्कि यह विद्यालय को उस उत्तरदायित्व को पूरा करने का अवसर देता है जिसके लिए विद्यालय नामक संस्था की संकल्पना की गई है। अतः सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लागू करना एक समग्र दृष्टि की अपेक्षा करता है। एक विद्यालय को इस व्यवस्था को समग्रता में अपनाना होगा और विद्यालय की सभी प्रक्रियाएँ इसकी पूरक के रूप में होंगी।

• शिक्षकों को अपनी शिक्षण योजना में बदलाव करना होगा। • पाठ्यक्रम का प्रबंधन इस प्रकार करना होगा कि दक्षताओं पर समग्रता के साथ काम किया जाए। • बच्चों का नियमित मूल्यांकन करना होगा। • कक्षा प्रबंधन एवं समय प्रबंधन को बच्चों के मूल्यांकन के आधार पर लचीला बनाना होगा। • विद्यालय में मूल्यांकन के उपकरणों और तरीकों में बदलाव करना होगा। • बच्चों की प्रगति

को दर्ज करने के ऐसे तरीके अपनाने होंगे जो बच्चों के बारे में शिक्षा के उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में जानने आवश्यक हों। • शिक्षण अधिगम सामग्री इस तरह तैयार करनी होगी जो कि अंततः बच्चों को ज्ञान के सृजन के अवसर देती हो।

शिक्षक की भूमिका : सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में तीन काम किए जा रहे होते हैं। पहला यह देखना कि बच्चों ने क्या वो सीखा है जो कि उन्हें सीखना चाहिए? दूसरा उनके सीखने की प्रगति क्या है? और तीसरे उनकी सतत उपलब्धि क्या है? इन तीनों कामों में शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह– • शिक्षक द्वारा बच्चों का मूल्यांकन दो स्थितियों में किया जाना आवश्यक है। पहला बच्चे का व्यक्तिगत कार्यक्षेत्र में और दूसरा सामूहिक कार्यक्षेत्र में। इसका अर्थ है कि बच्चे कक्षा में या तो समूह में होते हैं या व्यक्तिगत कार्य कर रहे होते हैं। मूल्यांकन के कुछ आयाम समूह में विशेष तौर पर देखे जा सकते हैं जैसे– समूह भावना, सहयोग लेने व देने का कौशल, न्याय एवं समता के प्रति दृष्टिकोण, नेतृत्व का गुण इत्यादि।

• देखें कि बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं। यानि बच्चों के सीखने के तरीके क्या हैं? उनमें क्या किसी बदलाव की गुंजाईश है? शिक्षक इन बातों को अपनी डायरी में अपने अनुसार लिख लें ताकि बाद में उस बच्चे के बारे में लिखते समय यह टिप्पणी काम आ सके। क्योंकि एक शिक्षक के लिए सभी बातों को याद रखना संभव नहीं है। अतः शिक्षक को स्वयं की मदद के लिए यह दर्ज करते रहना चाहिए।

• शिक्षक यह देखे कि जो विषयवस्तु बच्चे को सीखनी थी वो सीखी या नहीं। इसे दर्ज किया जा सकता है। कुछ समय बाद पाठ्यक्रम के आधार पर बच्चे की प्रगति का मूल्यांकन किया जा सकता है। यह काम बच्चे के द्वारा किए गए विभिन्न तरह के कार्यों के अवलोकन के माध्यम से किया जा सकता है। यह काम हैं– बच्चों का कक्षा कार्य या गृह कार्य, बच्चों द्वारा अभ्यास पत्रक पर किया गया कार्य, बच्चों द्वारा समूह पत्र पर किया गया कार्य, बच्चों के द्वारा गतिविधियों के दौरान की गई टिप्पणियाँ।

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के विस्तार में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री : 1. स्रोत पुस्तिका– सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया पर बेहतर समझ बनाने एवं शिक्षक को कक्षा कक्ष में कार्य करने के दौरान आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक शिक्षक के लिए विषयवार स्रोत पुस्तिका दी जा रही है। कक्षा 1 व 2 के लिए एक ही स्रोत पुस्तिका है तथा कक्षा 3, 4 एवं 5 के लिए विषयवार स्रोत पुस्तिकाएँ दी जा रही हैं। इस प्रकार कुल 6 स्रोत पुस्तिकाएँ दी जा रही हैं। हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन, कला शिक्षा एवं कक्षा 1 व 2 के लिए एक। यह पुस्तिका राज्य स्तर से ही प्रत्येक शिक्षक के लिए दी जाएगी। इसका निर्माण, मुद्रण एवं वितरण राज्य स्तर से ही किया जाएगा।

2. रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन फॉर्मेट एवं मॉड्यूल– सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में प्रत्येक बच्चे का मूल्यांकन दर्ज किया जाना है। इसके लिए प्रत्येक बच्चे के लिए रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन फॉर्मेट दिया जाना है। इस फॉर्मेट में प्रत्येक कक्षा के पाठ्यक्रम को दो टर्म में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक टर्म के अंतर्गत दो रचनात्मक एवं एक योगात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। इस फॉर्मेट का निर्माण, मुद्रण एवं वितरण राज्य स्तर से ही किया जाएगा।

3. कार्यपत्रक (Worksheet)– बच्चों को सीखने सिखाने की गतिविधि में पर्याप्त अभ्यास की आवश्यकता होती है। एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वो समय-समय बच्चों को सिखाई गई अवधारणा पर अभ्यास कार्य देते रहें। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य स्तर से प्रत्येक कक्षा एवं प्रत्येक अवधारणा पर अभ्यास के लिए कार्य पत्रकों का निर्माण किया जा रहा है। शिक्षक इन कार्य पत्रकों पर बच्चों द्वारा काम करने के बाद इन्हें उनके पोर्टफोलियो में एवीडेन्स के तौर पर लगाया जा सकता है।

4. लेखन सामग्री– सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए आवश्यक है कक्षा कक्ष में सतत एवं व्यापक शिक्षण कार्य किया जाए। इसके लिए आवश्यक है बच्चों को अभिव्यक्ति के पर्याप्त अवसर दिए जाएँ। इस कार्य के लिए बच्चों को कलर, पेंसिल, शार्पनर और स्केच पैन के साथ ड्रॉइंग शीट (प्रति बालक 200 प्रतिवर्ष) दी जानी है। इसकी खरीद विद्यालय की एस एम सी के द्वारा की जानी है।

5. पोर्टफोलियो फाईल– सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए यह आवश्यक है कि बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक के पास पर्याप्त एवीडेंस (साक्ष्य) होना चाहिए। इसके लिए बच्चों के द्वारा किए गए कामों को संकलित किया जाना चाहिए। बच्चों के बेहतरीन कार्यों को रखने के लिए एक फाईल बनाई जा सकती है। इस फाईल को ही पोर्टफोलियो फाईल कहते हैं। इसकी खरीद विद्यालय की एस एम सी के द्वारा की जानी है।

6. आर्टकिट– मूल्यांकन की व्यापकता के लिए यह आवश्यक है कि बच्चों को कला पर काम करने का अवसर मिले। इसके लिए जरूरी है कि विद्यालय में सामग्री उपलब्ध हो। इस हेतु कलर पेपर, फेविकॉल, क्रियोंस कलर, ग्लेज पेपर और धागा 1 रोल बच्चों के लिए उपलब्ध होगा। इस हेतु विद्यालय की एस एम सी के द्वारा उपरोक्त सामग्री की खरीद की जानी है।

इस सामग्री का अनुमानित व्यय विवरण इस प्रकार है–

S.No.	सामग्री	Unit cost (in Rs.)
1.	रंग (पेंसिल वाले, वाटर कलर और मोम कलर), पेंसिल, शार्पनर, स्केच पैन, कैची (1 नग) और स्केल (10 नग)	85 प्रति छात्र
	ड्रॉइंग शीट प्रति छात्र (200 नग)	50 प्रति छात्र
2.	पोर्टफोलियो फाईल (6 नग प्रति छात्र)	20 प्रति छात्र
3.	कलर पेपर, फेविकॉल, क्रियोंस कलर, ग्लेज पेपर और धागा 1 रोल (आर्ट किट)	6 प्रति छात्र

3. विद्यालयों में प्रवेश देते समय मूल निवास प्रमाण-पत्र की मांग जारी निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निर्देश

• राजस्थान सरकार, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग • क्रमांक : प.21(1)प्राशि/आयो./2012 जयपुर दिनांक : 17.05.12 • आदेश • प्रायः यह देखने में आया है कि विभिन्न राजकीय/निजी/अनुदानित **विद्यालयों में प्रवेश** देते समय संस्था प्रधान/संस्था प्रबंधन द्वारा प्रवेशोच्छुक छात्र/छात्रा से प्रत्येक वर्ष जाति प्रमाण एवं **मूल निवास प्रमाण पत्र की मांग** की जाती है एवं कई बार प्रवेश फार्म के अन्दर दिये गये प्रफोर्मा में जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र की मांग की जाती है, जिससे विद्यार्थियों को अनावश्यक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में पूर्व में समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं लेकिन उनका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। अतः इस सम्बन्ध में अब तक प्रसारित पूर्व आदेशों के अनुसरण में निम्नानुसार **निर्देश** प्रदान किये जाते हैं–

1. जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र प्रथम प्रवेश के समय ही लिया जावे तथा प्रतिवर्ष विद्यार्थी से उपरोक्त प्रमाण पत्रों की मांग नहीं की जावे। प्रथम प्रवेश के समय लिये गये उक्त प्रमाण पत्रों के आधार पर विद्यार्थी को जाति के अनुसार राजकीय नियमानुसार जो भी लाभ दिया जाना है नियमानुसार दिया जावे।

2. एक विद्यालय से अन्य विद्यालय में प्रवेश पाने की स्थिति में पूर्व विद्यालय द्वारा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (T.C.) साथ प्रथम प्रवेश के समय प्रस्तुत

जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भी संलग्न की जावे। प्रवेश देने वाले विद्यालय द्वारा पुनः इन प्रमाण पत्रों की मांग नहीं की जावे।

3. प्रवेश फार्म के अन्दर दिये गये प्रफोर्मा में जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्रों की अनिवार्यता को समाप्त किया जावे तथा फार्म में एक नोट लगा दिया जावे कि यदि सक्षम स्तर से जारी जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर दी जाती है तो उसे स्वीकार किया जायेगा।

उक्त निर्देशों की पालना कठोरता से किया जाना सुनिश्चित किया जावे। • ह., प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा • क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/एबी/3515/प्रवेश/07-09 दिनांक : 19.06.12

4. सर्वश्रेष्ठ राजकीय विद्यालय पुरस्कार, 2012

• क्रमांक : शिविरा/मा/निप्र/डी-1/21902/वि.पु./2011 दि. 19.7.12 • राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के सहयोग से राज्य, मण्डल एवं जिला स्तरीय सर्वश्रेष्ठ राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु पुरस्कार योजना संचालित की जा रही है। शैक्षिक सत्र 2011-12 की उपलब्धि के लिए निम्नानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1.	राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को आवेदन की अंतिम तिथि।	31 अगस्त, 2012
2.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा उप निदेशक (माध्यमिक) परिक्षेत्र को प्रस्ताव भिजवाने की अंतिम तिथि।	14 सितम्बर, 2012
3.	उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग द्वारा समीक्षा उपरान्त प्रस्ताव निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि।	28 सितम्बर, 2012

पुरस्कार राशि

राज्य स्तर	50,000/-
मण्डल स्तर	40,000/-
जिला स्तर	25,000/-

विद्यालयों द्वारा आवेदन पत्र परिशिष्ट 1 में तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना है।

(आवेदन पत्र स्थानाभाव के कारण नहीं दिया जा रहा है। कृपया जि.शि.अ. कार्यालय से प्राप्त करें। –व.सं.)

5. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों का कठोरता से पालना करने बाबत

• कार्यालय- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा/प्रारं/सूअ/13705/रास/2012/ दिनांक : 30.5.2012 • विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों का कठोरता से पालना करने बाबत। • प्रसंग : शासन उप सचिव एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, जयपुर के पत्र दिनांक– 11.05.2012 एवं राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर का पत्र दिनांक 11.04.12 • विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर से प्राप्त निर्देशों की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि आयोग द्वारा पारित निर्णयों की अनुपालना यथा समय कर दी जाए। आदेशों की पालना में विलम्ब न हो और अनुपालना नहीं होने के फलस्वरूप आयोग में परिवाद प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न न हो।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों की कठोरता से पालना करना सुनिश्चित करावें। उपरोक्त निर्देशों की अवगति अपने अधीनस्थ समस्त अपीलीय एवं लोक सूचना अधिकारियों को प्रेषित करावें।

• ह. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त निदेशक (शैक्षिक), प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

• राजस्थान सरकार, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग • क्रमांक : प.17(27)प्राशि/10 जयपुर, दिनांक : 11.5.12 • विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों का कठोरता से पालना करने बाबत। • प्रसंग : राजस्थान सूचना आयोग का पत्रांक प.3()/रासूआ/परिवाद विविध/2012/19300 दिनांक 11.4.12 • उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भ में निर्देशानुसार प्राप्त पत्र की छाया प्रति संलग्न प्रेषित है। इस सम्बन्ध में आपको आदेशित/निर्देशित किया जाता है कि आयोग द्वारा पारित आदेशों की पालना में विलम्ब न हो और अनुपालना नहीं होने के फलस्वरूप आयोग में परिवाद प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न न हो। • ह. शासन उप सचिव एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी।

• राजस्थान सूचना आयोग, सी-विंग, वित्त भवन, जनपथ मार्ग, राजस्थान विधान सभा के पास, ज्योति नगर, जयपुर (फोन एवं फैक्स नं. 0141-2742406 • क्रमांक : प.3()/रा.सू.आ./परिवाद विविध/2012/19300 दिनांक : 11.04.2012 • राज्य सूचना आयोग द्वारा लिये गये निर्णय एक लम्बी प्रक्रिया का प्रतिफल होता है और आयोग के निर्णय की अनुपालना नहीं होने की स्थिति में आयोग के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किये जाते हैं। सभी सम्बन्धित विभागों का यह दायित्व है कि आयोग द्वारा निर्णय पारित किये जाने के पश्चात निर्णय की अनुपालना यथा समय कर दी जावें और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का कठोरता से पालना किया जावे, ताकि इस अधिनियम के प्रावधान अनुसार चाही गई सूचनाएँ आवेदकों को समय पर मिल सके। आपसे अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्षों/लोक सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों को निर्देशित करें कि आयोग द्वारा पारित आदेशों की पालना में विलम्ब न हो और अनुपालना नहीं होने के फलस्वरूप आयोग में परिवाद प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न न हो। • ह., सचिव।

6. निःशक्त जनों का सरकारी सेवाओं में 3 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।

• राजस्थान सरकार, कार्मिक (क-2) विभाग • विषय : निःशक्त जनों का सरकारी सेवाओं में 3 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में। • निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी), अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अधिसूचित राजस्थान निःशक्त जन (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 दिनांक 21.07.2011 को जारी किये गये जो दिनांक 26.07.2011 से राज्य में प्रभावी हो गये हैं। इन नियमों में निःशक्त जनों के लिए सरकारी सेवाओं में तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

इस परिप्रेक्ष्य में कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा जारी किये गये राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 दिनांक 03.01.2012 की अधिसूचना द्वारा उक्त नियमों के प्रभावी होने की तिथि 26.07.2011 से ही निरसित किये गये हैं।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि विभिन्न सेवा नियमों में निःशक्तजनों के लिए सरकारी सेवाओं में तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जिसके सम्बन्ध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा कार्मिक विभाग के

ध्यान में यह लाया गया है कि कतिपय विभागों द्वारा उक्त नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत सरकारी सेवाओं में तीन प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था को सुनिश्चित नहीं किये जाने के कारण अधिनियम, 1995 में उपलब्ध प्रावधानों की भावनानुसार जारी किये गये नियम, 2011 के अन्तर्गत राजकीय सेवाओं में निःशक्तजनों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो रहा है।

अतः समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों से अनुरोध है कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 में सरकारी सेवाओं में निःशक्त जनों हेतु किये गये तीन प्रतिशत आरक्षण के प्रावधानों की पूर्णरूपेण पालना सुनिश्चित करावें ताकि निःशक्त जनों को सरकारी सेवाओं में पूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। • ह., प्रमुख शासन सचिव।

समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित)। • अशा.टीप सं.प.17(3)कार्मिक/क-2/2012 जयपुर, दिनांक : 01.06.2012

• कार्यालय आयुक्त माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा/माध्य/अभिलेख/5906/2012 दिनांक : 27.06.12

7. राजस्थान के श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में शिक्षण सत्र 2012-13 में तृतीय भाषा पंजाबी की आदर्श पंजाबी प्रबोध कक्षा 6 की पुस्तक यथावत लागू करने के क्रम में।

• राजस्थान सरकार, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग • क्रमांक : प.15(2)प्राशि आयो/2011 जयपुर, दिनांक : 19.06.2012 • विषय : राजस्थान के श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में शिक्षण सत्र 2012-13 में तृतीय भाषा पंजाबी की आदर्श प्रबोध कक्षा-6 की पुस्तक यथावत लागू करने के क्रम में। • संदर्भ : विकास पब्लिकेशन्स, अलवर का पत्र दिनांक 12.04.2012 • उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान के श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में शिक्षण सत्र 2012-13 में तृतीय भाषा पंजाबी की आदर्श पंजाबी प्रबोध कक्षा 6 विकास पब्लिकेशन्स, अलवर द्वारा प्रकाशित पुस्तक को यथावत (पूर्वानुसार) लागू करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। • ह., शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) • कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सी/19510/07 दिनांक : 4.7.12

8. बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ट्रान्सपोर्ट वाउचर योजना के संचालन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश : वर्ष 2012-13

• कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/स-1/ट्रा.वा./22474/2012-13/ दिनांक : 19.7.2012 • विषय : बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ट्रान्सपोर्ट वाउचर योजना के संचालन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश : वर्ष 2012-13 • बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं के लिए पूर्व वर्षों की भाँति वर्ष 2012-13 में भी ट्रान्सपोर्ट वाउचर योजना का संचालन किया जाएगा। योजना के संचालन के सम्बन्ध में निम्न निर्देश जारी किए जा रहे हैं जिनका भलीभाँति अवलोकन कर आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करें–

1. ट्रान्सपोर्ट वाउचर योजना के तहत छात्रा ग्रामीण क्षेत्र की राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत **(कक्षा 9 से 12 तक)** होना एवं राजकीय विद्यालय उसके निवास स्थल से **5 किलोमीटर** अथवा **इससे अधिक** होना आवश्यक है।
2. छात्रा द्वारा रोडवेज बस/प्राईवेट बस/प्राईवेट टैक्सी में निश्चित किराए की दर से यात्रा करना एकल व्यवस्था माना जावेगा।
3. विद्यालय विकास समिति द्वारा मासिक किराए की दर पर टैक्सी व्यवस्था करने पर जहाँ रोडवेज बस/प्राईवेट बस/प्राईवेट टैक्सी का निश्चित किराए पर संचालन नहीं है, न्यूनतम पाँच छात्राओं द्वारा एक साथ यात्रा करना सामूहिक व्यवस्था माना जावेगा।
4. एकल/सामूहिक व्यवस्था में प्रत्येक छात्रा को प्रतिदिन विद्यालय आने/जाने (दो तरफा) का वास्तविक किराया अथवा प्रतिदिन पाँच रुपये में से जो भी कम हो देय होगा।
5. एकल व्यवस्था में छात्रा को 100/- (एक सौ रुपये मात्र) अग्रिम दिया जाना है तथा इसका समायोजन मार्च 2013 में करना होगा।
6. विद्यालय आने/जाने (दो तरफा) का प्रतिदिन का किराया पाँच रुपये से अधिक होने पर अधिक राशि को स्वयं छात्रा द्वारा वहन किया जावेगा।
7. सामूहिक व्यवस्था में छात्राओं की अग्रिम राशि देय नहीं है बल्कि प्राईवेट बस/प्राईवेट टैक्सी का मासिक किराया विद्यालय विकास समिति द्वारा निश्चित किया जावेगा तथा पाँच रुपये प्रति छात्रा कुल मासिक विद्यालय कार्य दिवस के हिसाब से समस्त छात्राओं को किराया (राजकीय अंशदान) राजकीय मद से और शेष प्राईवेट बस/प्राईवेट टैक्सी मासिक किराया समस्त छात्राओं द्वारा बराबर हिस्से से (छात्र अंशदान) विद्यालय विकास समिति कोष में जमा कराया जावेगा तथा प्रत्येक को प्राप्ति रसीद भी दी जावेगी। इस प्रकार से राजकीय मद और छात्राओं को प्राप्त शेष मासिक किराया मिलाकर विद्यालय विकास समिति द्वारा प्राईवेट बस/प्राईवेट टैक्सी मासिक को चुकाया जाएगा।
8. छात्राओं को साइकिल योजना के स्थान पर ट्रान्सपोर्ट वाउचर योजना का लाभ लेने का विकल्प दिया जाएगा लेकिन इस योजना के अन्तर्गत पात्र छात्राओं को साइकिल योजना या ट्रान्सपोर्ट वाउचर योजना में से किसी एक योजना का ही लाभ दिया जाएगा।
9. कक्षा 9 में साइकिल योजना से लाभान्वित छात्राओं को आगामी कक्षा में ट्रान्सपोर्ट वाउचर योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा यदि वह उसी विद्यालय में अध्ययनरत रहती हैं। लेकिन यदि कोई छात्रा दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अन्य किसी ऐसे उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश लेती है जो उसके रहवास से 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है तो उस छात्रा को ट्रान्सपोर्ट वाउचर योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा सकता है।
10. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय) प्रत्येक माह की सात तारीख तक व्यय एवं लाभान्वित छात्राओं की संख्या अपने मण्डल अधिकारी को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं मण्डल अधिकारी प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अपने अधीनस्थ जिलों की सूचना निम्नांकित प्रपत्र में फैक्स से इस कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे–

प्रपत्र : ट्रान्सपोर्ट वाउचर योजना प्रगति माह : .....

क्र.सं.	जिले का नाम	आवंटित बजट	योजना से लाभान्वित विद्यालयों की संख्या	कुल पात्र छात्राओं की संख्या	गत माह का व्यय	वर्तमान माह का व्यय	कुल व्यय (कॉलम 6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

इस योजना के उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे एवं योजना का लाभ प्रत्येक पात्र छात्रा को दिलाना सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय के सूचनापट्ट पर जानकारी के साथ-साथ प्रार्थना सभा में इस योजना की विस्तृत जानकारी भी छात्राओं को प्रदान की जावे। शेष निर्देश समसंख्यक पत्र दिनांक 16.6.2009 के अनुसार रहेंगे अतः इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों का भी भली-भाँति अवलोकन कर लें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें। • ह., निदेशक।

9. कल्प कार्यक्रम अंतर्गत संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षण हेतु कालांश व्यवस्था के सम्बन्ध में।

• कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा-/प्रारं/शैक्षिक/एबी/कालांश/3521/12-13 दिनांक : 16.07.12 • विषय : कल्प कार्यक्रम अंतर्गत संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षण हेतु कालांश व्यवस्था के सम्बन्ध में। • प्रसंग : निदेशक एसआईईआरटी उदयपुर का पत्रांक रा.रा.शै.अ.प्र.स./उदय/वि-9/प्र-1/फा-8382/2012 दिनांक 18.06.12 • उपरोक्त विषयान्तर्गत अतिरिक्त आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर के पत्रांक राप्रशिप/जय/औ.शि./2012-13/2238 दिनांक 17.05.12 के क्रम में प्रासंगिक पत्रानुसार निर्देशित किया जाता है कि राज्य में सर्व शिक्षा अभियान द्वारा कल्प-कार्यक्रम के तहत संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों (जहाँ कम्प्यूटर उपलब्ध हैं) के लिए वर्ष 2012-13 में प्रति सप्ताह निदानात्मक शिक्षण के लिए आवंटित पाँच कालांशों में से कम्प्यूटर शिक्षण के लिए दो कालांश प्रयुक्त किए जावें। इन विद्यालयों में विभिन्न कोर विषयों के निदानात्मक शिक्षण के लिए शेष बचे हुए तीन कालांशों में एकान्तर व्यवस्था लागू की जावें। इस सम्बन्ध में आप अपने अधीनस्थ सम्बन्धित विद्यालयों के संस्था प्रधानों को पालनार्थ निर्देश जारी करें। • ह., अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)।

10. अधिकारियों के निरीक्षण/दौरे एवं रात्रि विश्राम के सम्बन्ध में

• कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा-/प्रारं/निरीक्षण/3518(मु.)/11-12 दिनांक : 17.07.12 • विषयः अधिकारियों के निरीक्षण/दौरे एवं रात्रि विश्राम के सम्बन्ध में। • विभाग द्वारा समय-समय पर समस्त अधिकारियों को निरीक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों को भिजवाते हुए उनके निरीक्षण करने के निर्देश प्रदान किए जाते रहे हैं।

प्रायः यह देखने में आता है कि अधिकारीगण मुख्य मार्गों पर स्थित विद्यालयों का ही निरीक्षण करते हैं। वे दूरस्थ ग्राम/ढाणी में स्थित विद्यालयों का निरीक्षण नहीं करते हैं। इससे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के अध्ययन-अध्यापन एवं विभाग के निर्देशों के क्रम में विद्यालय द्वारा की गई अनुपालना की जानकारी नहीं हो पाती है। इस सम्बन्ध में आपको यह निर्देश दिये जाते हैं कि आप स्वयं एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी प्राथमिकता से दूरस्थ ग्राम/ढाणी में स्थित विद्यालयों का निरीक्षण कराना सुनिश्चित करावें इससे उक्त विद्यालयों में अध्ययन-अध्यापन, विभाग की गतिविधियों की जानकारी के साथ-साथ दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को प्रोत्साहन भी मिल सकेगा। • ह., निदेशक।

11. सत्र 2012-13 की विद्यालयी छात्र-छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन हेतु प्रतियोगिता पंचांग आवश्यक निर्देशों सहित अनुपालनार्थ

• कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर • कार्यालय आदेश • सत्र 2012-13 की विद्यालयी छात्र-छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन हेतु प्रतियोगिता पंचांग आवश्यक निर्देशों सहित अनुपालनार्थ प्रसारित किया जा रहा है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधिनस्थ विद्यालयों में पंचांग एवं निर्देशों को शीघ्रातिशीघ्र प्रसारित करें। विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन हेतु खेल समूह बनाये गये हैं, जो निम्न प्रकार हैं–

प्रथम समूह

बास्केट बॉल	14 वर्ष	छात्र-छात्रा
क्रिकेट	14 वर्ष	छात्र
बैडमिंटन	14 वर्ष	छात्र-छात्रा
कबड्डी	14 वर्ष	छात्र-छात्रा
खो-खो	14 वर्ष	छात्र-छात्रा
जूड़ो	14 वर्ष	छात्र-छात्रा
कुश्ती	14 वर्ष	छात्र
सॉफ्टबॉल	14 वर्ष	छात्र-छात्रा

द्वितीय समूह

जिम्नास्टिक	14 वर्ष	छात्र-छात्रा
तैराकी	14 वर्ष	छात्र-छात्रा
हैण्डबॉल	14 वर्ष	छात्र-छात्रा
हॉकी	14 वर्ष	छात्र-छात्रा
फुटबॉल	14 वर्ष	छात्र
टेबल-टेनिस	14 वर्ष	छात्र-छात्रा
बॉलीबॉल	14 वर्ष	छात्र-छात्रा

तृतीय समूह

ऐथेलेटिक्स	14 वर्ष	छात्र-छात्रा

प्रतियोगिताएँ निम्न तिथियों के अनुसार आयोजित की जावेगी–

समूह	विद्यालय स्तर	जिला स्तर	राज्य स्तर
प्रथम समूह	17.8.12 से पूर्व	01.9.12 से 9.9.12 अधिकतम 4 दिवस	13.9.12 से 18.9.12
द्वितीय समूह	17.8.12 से पूर्व	01.9.12 से 9.9.12 अधिकतम 4 दिवस	21.9.12 से 26.9.12
तृतीय समूह	17.8.12 से पूर्व	30.9.12 से 3.10.12	10.10.12 से 15.10.12

प्राथमिक विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताएँ दिनांक 29.9.12 से 01.10.12 तक केवल जिला स्तर पर मार्गदर्शिका के अनुसार आयोजित की जावेगी। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ कार्यक्रम विद्यालय/क्षेत्रीय/जिला स्तर तक का आयोजन विभागीय खेलकूद नियमावली एवं मार्गदर्शिका, 2009 के अनुसार जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं से पूर्व आयोजित करवाएँ।

नोट : जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं से पूर्व खण्डीय प्रतियोगिताएँ आवश्यकतानुसार आयोजित करवाई जावें।

सत्र 2012-13 की 57वीं राज्य स्तरीय उच्च प्राथमिक (14 वर्ष आयुवर्ग) विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजक विद्यालयों के नाम एवं स्थान परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। सत्र 2012-13 की प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन हेतु प्रारम्भिक शिक्षा विभागीय खेलकूद प्रतियोगिता नियमावली एवं मार्गदर्शिका 2009-10 में निर्दिष्ट नियमों एवं निर्देशों के अनुसार आयोजित होगी। फिर भी निम्नांकित निर्देश प्रदान किये जाते हैं। **1.** समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों से अनुरोध है कि उक्त निर्धारित तिथियों के मध्य ही जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को आयोजित करें। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता निर्धारित स्थानों पर निर्धारित विद्यालयों द्वारा ही आयोजित की जावेगी, तिथियों एवं स्थान में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। **2.** प्रतियोगिता आयोजन के कार्यक्रम को निर्धारित करने (ड्रॉज डालने) की सुविधा हेतु सत्र 2011-12 की राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं के परिणाम परिशिष्ट-2 पर संलग्न किये जा रहे हैं। **3.** सत्र 2012-13 की छात्र-छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन प्रारम्भिक शिक्षा विभागीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता नियमावली एवं मार्गदर्शिका 2009 में दर्शाये गये नियमों व निर्देशों के अनुरूप ही किया जावे। **4.** विशेष विद्यालय जैसे सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्रों के विद्यालय खेल छात्रावास के विद्यालय, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा संचालित खेल छात्रावास एवं उनके द्वारा अधिग्रहित विद्यालय सम्बन्धित जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालय जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग न लेकर सीधे ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। उक्त विशिष्ट विद्यालयों का दल बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जावे कि जो खिलाड़ी जिस खेल में इन विद्यालयों में प्रवेश लेता है वह अपने सम्बन्धित खेल में ही भाग लेवें। इन विद्यालयों के अन्य श्रेष्ठ खिलाड़ी अपरिहार्य कारणों से प्रतियोगिता में भाग न ले सके तो चयन समिति की अभिशंसा पर निर्धारित संख्या के अलावा इनका नाम पूर्व राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर हेतु चयनित किया जाता है, तो निर्धारित संख्या में सम्मिलित होंगे। विशिष्ट विद्यालयों के खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता स्थल पर अपने प्रशिक्षक एवं प्रधानाचार्य की अभिशंसा पर चयन परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे। **5.** निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत आयोजित की जाने वाली विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में अगर सी.बी.एस.सी. से मान्यता प्राप्त विद्यालय भाग लेते हैं तो उन्हें निर्धारित प्रतियोगिता शुल्क अनिवार्य रूप से जमा करवाना होगा। उक्त विद्यालयों के खिलाड़ी/छात्र-छात्रा के चयन पूर्व राज्य/राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर एवं चयन परीक्षण के लिए होता है तो उन्हें अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा अन्यथा प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी वर्ष की खेलकूद प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। **6.** उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक प.15(1)शिक्षा-6/99 जयपुर दिनांक 27.9.99 के अनुसार संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत निहित प्रवेशिका एवं उपाध्याय छात्र-छात्रा खिलाड़ियों की प्रतियोगिताएँ पूर्व व्यवस्थानुसार पृथक से आयोजित करवाई जावे। **7.** टेबल-टेनिस की प्रतियोगिताएँ न्यू स्वेथलिंग कप के आधार पर आयोजित होगी। टेबल-टेनिस एवं बैडमिंटन में अच्छे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करने हेतु दलीय स्पर्धा के क्वार्टर फाईनल में पहुँचने वाले दलों के तीन-तीन खिलाड़ी एवं सेमीफाइनल में पहुँचने वाले दलों के पाँचों खिलाड़ी व्यक्तिगत स्पर्धा में भाग ले सकेंगे। अन्य दलों से पूर्व की भाँति एक ही खिलाड़ी व्यक्तिगत स्पर्धा में भाग ले सकेगा। व्यक्तिगत स्पर्धा हेतु ड्राज डालते समय अच्छे खिलाड़ियों को सीडिंग दी जावे। ड्राज दलीय स्पर्धा में सेमीफाइनल पहुँचने वाले दलों का निर्धारण होने के बाद डाली जावें। क्वाटर फाइनल एवं सेमीफाइनल में पहुँचने वाले दलों के खिलाड़ियों के नाम व्यक्तिगत क्रमानुसार प्रभारी से लिखित में लिये जावें। उसके बाद सीडिंग देकर ड्राज डालते समय इस बात का ध्यान रखा जावे कि सेमीफाइनल पहुँचने वाले दलों के प्रथम वरीयता वाले खिलाड़ियों का सेमीफाइनल से पहले मैच न हो सके। **8.** निदेशक महोदय के आदेश क्रमांक शिविरा/प्रारं/खेकू/स्वाशि/7551/08-11/124 दिनांक 15.06.11 के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा विभाग विद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता नियमावली एवं मार्गदर्शिका 2009-10 के पृष्ठ संख्या 24 पर उल्लेखित नियम 10.3.5 में दर्शाये गये खेलों में विजेता दल के अधिकतम संख्या में चयन को तुरन्त प्रभाव से विलोपित किया जाता है। सत्र 2012-13 में जिला स्तरीय खेलदल का गठन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु खुली चयन प्रणाली से किया जायेगा शेष नियम यथावत रहेंगे।

एथेलेटिक्स, तैराकी, कुश्ती, जूड़ो तथा जिम्नास्टिक स्पर्धा के खेल हैं। एथेलेटिक्स व तैराकी में छात्र-छात्राओं द्वारा व्यक्तिगत स्पर्धा में विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने वाले प्रथम व द्वितीय व रिले में समय के आधार पर श्रेष्ठ चार, कुश्ती व जूड़ो के प्रत्येक भार में प्रथम आने वाला व जिम्नास्टिक में कुल अंकों के 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर मानदण्ड पूर्ण करने वाले खिलाड़ी वरीयतानुसार निर्धारित संख्या में राज्य स्तर पर भाग लेंगे। यह सुनिश्चित करने का दायित्व सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, शिविर संचालक, टीम प्रभारी एवं चयन समिति का होगा। मानदण्ड पूरा न करने वाले खिलाड़ियों को भाग लेने/ मैरिट प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाएगा। **9.** राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले जिले के चयनित खिलाड़ियों का विभागीय परिपत्र क्रमांक शिविरा/प्रार/खेकू/स्वाशि/7551/2008-11/85 दिनांक 10.05.10 के अनुसार मेडिकल परीक्षण करवाने के पश्चात मेडिकल प्रमाण पत्र सहित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु टीम भेजने का दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा का होगा। **10.** जिला स्तरीय पश्चात राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से पूर्व तीन दिन का आवासीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जायेगा। यह आवासीय प्रशिक्षण शिविर जिले की विजेता टीम के विद्यालय में लगाया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा अपने स्तर पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन स्थल बदल सकते हैं। **11.** खिलाड़ियों के योग्यता प्रमाण-पत्रों की सम्बन्धित शारीरिक शिक्षक/अध्यापक व संस्था प्रधान भलीभाँति जाँच कर मिलान करें, यथा छात्र की जन्म तिथि, नाम, पिता का नाम, कक्षा, प्रवेश क्रमांक मिलान करने के पश्चात् ही संस्था प्रधान योग्यता प्रमाण-पत्र प्रमाणित करें। विभिन्न स्तर की खेलकूद प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों द्वारा भाग लेने/मैरिट प्रमाण-पत्र संस्था द्वारा प्रमाणित योग्यता प्रमाण-पत्र के आधार पर तैयार किये जाते हैं। अतः बाद में इन प्रमाण-पत्रों में दर्शाई गई जन्मतिथि व नाम आदि में परिवर्तन नहीं किया जायेगा। **12.** योग्यता प्रमाण-पत्र में विद्यालय एवं गृह का पूर्ण पता व फोन नं. अंकित होना अनिवार्य है ताकि पत्र प्रेषण में कठिनाई न हो। **13.** राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजक संस्थाप्रधान समस्त प्रकार के प्रतियोगिता अभिलेखों की एक प्रति अपने विद्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकतानुसार चाही गई सूचना संस्था विद्यालय अभिलेख से मिलान करके दे सके। **14.** जिलों की टीम के साथ आने वाले शारीरिक शिक्षकों को निर्णायक के रूप में नियुक्त किया जाता है तो सम्बन्धित शारीरिक शिक्षक खेल भावना परिचय देते हुए निर्णायक कार्य में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। **15.** समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा आयोजक जिला स्तरीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता अपने जिले की समस्त खेलों की प्रतियोगिताओं के समेकित परिणाम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से पूर्व निम्न प्रारूप में जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा) प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को निश्चित रूप से भिजवावें–

क्र. सं.	खेल का नाम	प्रतियोगिता स्थल का नाम	प्रतियोगिता अवधि	प्रथम तीन स्थानों के परिणाम (विद्यालय के नाम सहित)	संभागी टीमों की सं.	कुल खिलाड़ी संख्या	निर्णायकों की संख्या	अन्य कार्मिकों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9

16. जिला एवं राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के संभागित्व एवं मैरिट प्रमाण पत्र प्रतियोगिता स्थल पर ही खिलाड़ी को अनिवार्यतः वितरित किये जावें। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा एवं उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा इसकी सुनिश्चितता अवश्य करें। उक्त प्रमाण पत्र खिलाड़ियों के योग्यता प्रमाण पत्र की फोटो से मिलान करने के पश्चात प्रतिपर्ण पर खिलाड़ी के हस्ताक्षर लेकर उपस्थित खिलाड़ी को ही दिया जावे। मैरिट प्रमाण पत्र प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को ही दिया जावे। व्यक्तिगत एवं दलीय स्पर्द्धा में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को भी मैरिट प्रमाण पत्र दिये जावें। कुश्ती एवं जूडो में सेमीफाईनल में रेफरचार्ज पद्धति होने से सेमीफाईनल में हारने (बाउट हारने) वाले प्रतियोगी को तृतीय स्थान का मैरिट प्रमाण पत्र देय होगा।

17. सभी स्तर के खेलकूद प्रतियोगिताओं में छात्रा टीम के साथ महिला शारीरिक शिक्षिका/अध्यापिका को ही भेजा जावे।

18. एथेलेटिक्स, जूडो, कुश्ती एवं तैराकी में राष्ट्रीय विद्यालयी खेलों में आयोजित स्पर्द्धाओं के अनुरूप ही जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में इनकी स्पर्द्धाएँ करवाई जावें। इस हेतु निर्धारित स्पर्द्धाएँ एवं मानदण्ड इस खेल पंचांग में आगे दर्शाए गए हैं। तदानुसार प्रतियोगिताएँ आयोजित करवाई जावें।

19. सत्र 2011-12 में कबड्डी खेल विधा की क्षेत्रीय/जिला/राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएँ स्कूल गेम्स फैडरेशन ऑफ इण्डिया के संशोधित नियमों एवं निर्देशों के अनुसार आयोजित होंगी जो सभी उप निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा को इस कार्यालय के पत्रांक शिविरा/प्रार/खेकू/स्वाशि/7551/2008-09/दिनांक 16.07.2010 के द्वारा पूर्व में ही प्रेषित किये जा चुके हैं।

20. राज्य स्तरीय प्रतियोगिता समाप्ति के पश्चात्, निदेशालय भेजा जाने वाला समस्त रिकार्ड कम्प्यूटराइज करवाकर अनिवार्य रूप 15 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करें।

21. प्रतियोगिता में परिवाद प्रस्तुत होने पर सक्षम जिला/राज्य स्तरीय परिवाद समिति द्वारा यथा समय निर्णय दिया जावे। निदेशालय को प्रतिवाद प्रकरण नहीं भेजें। इसे गम्भीरता से लें।

नोट :– 1. जिला/राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में ऐथेलेटिक्स/तैराकी/कुश्ती/टेबल-टेनिस/बैड मिंटन एवं जिम्नास्टिक सहित सभी खेलों में चयन समिति नियुक्त की जावे।

2. राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं में आवश्यकतानुसार निर्णायक निदेशालय द्वारा पूर्व की भाँति लगाये जायेंगे।

3. चयन समिति द्वारा पूर्व राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर हेतु जो चयन समिति बनाई जावेगी वह प्रतियोगिता स्थल पर चयनित खिलाड़ी घोषित न करके पूर्ण रूप से गोपनीयता रखते हुए बन्द लिफाफे में निदेशालय के वाहक के साथ भेजेंगे।

4. राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु बनाई जाने वाली सूची में चयन समिति की नजर में यदि कोई खिलाड़ी 14 वर्ष से अधिक आयु का प्रतीत होता हो तो उसका चयन नहीं करें। प्रतिवाद की स्थिति में संयोजक एवं सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह उस खिलाड़ी की मेडिकल जाँच करवाये।

5. क्रिकेट छात्र 14 वर्ष की प्रतियोगिता में नॉक आउट पद्धति द्वारा खेली जावेगी, प्रत्येक मैच 20 ओवर का होगा एवं सेमीफाईनल 25-25 ओवर के होंगे। प्रतियोगिता संचालन एम.सी.सी. के नियमानुसार होगा।

6. प्रायः यह देखने में आया है कि जिला/राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के दौरान अत्यधिक संख्या में सामान्य अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों की प्रतिनियुक्तियाँ कर दी जाती हैं जिससे राज्य सरकार पर अनावश्यक वित्तीय भार पड़ता है अतः आवश्यकतानुसार ही प्रतिनियुक्तियाँ की जावें। यथासंभव स्थानीय कार्मिकों की सेवाएँ ली जावें।

7. प्रत्येक विद्यालय को जिला स्तर पर कम से कम एक खेल में भाग लेना अनिवार्य है। यदि जिले का कोई विद्यालय खेलों में भाग नहीं लेता है तो उस विद्यालय के शारीरिक शिक्षक/प्रधानाध्यापक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

तैराकी के निर्धारित इवेन्ट एवं मानदण्ड

क्र. सं.	नाम इवेन्ट्स	मानदण्ड (छात्र)	मानदण्ड (छात्रा)
1.	फ्री स्टाईल 50 मीटर	0.45 मिनट	0.50 मिनट
2.	बटर फ्लाई 50 मीटर	0.50 मिनट	0.55 मिनट
3.	ब्रेस्ट स्ट्रॉक 50 मीटर	0.50 मिनट	0.55 मिनट
4.	बैक स्ट्रॉक 50 मीटर	0.45 मिनट	0.50 मिनट
5.	फ्री स्टाइल 100 मीटर	1.45 मिनट	2.35 मिनट
6.	फ्री स्टाइल 200 मीटर	3.30 मिनट	5.30 मिनट
7.	व्यक्तिगत मैडले 200 मीटर	3.50 मिनट	6.45 मिनट
8.	बैक स्ट्रॉक 100 मीटर	2.00 मिनट	2.10 मिनट
9.	ब्रेस्ट स्ट्रॉक 100 मीटर	2.00 मिनट	2.30 मिनट
10.	बैक स्ट्रॉक 200 मीटर	4.00 मिनट	6.30 मिनट
11.	ब्रेस्ट स्ट्रॉक 200 मीटर	4.50 मिनट	6.40 मिनट
12.	बटर फ्लाई 100 मीटर	1.50 मिनट	2.10 मिनट
13.	फ्री स्टाइल 4 गुणा 100 मीटर	9.45 मिनट	12.00 मिनट
14.	मेडले रिले 4 गुणा 100 मीटर	10.00 मिनट	12.00 मिनट

एथेलेटिक्स के निर्धारित इवेन्ट एवं मानदण्ड

क्र. सं.	नाम इवेन्ट्स	मानदण्ड (छात्र)	मानदण्ड (छात्रा)
1.	100 मीटर दौड़	13.50 सेकण्ड	15.00 सेकण्ड
2.	200 मीटर दौड़	29.00 सेकण्ड	34.00 सेकण्ड
3.	400 मीटर दौड़	1.00 मिनट	1.15 मिनट
4.	600 मीटर दौड़	1.40 मिनट	1.55 मिनट
5.	80 मीटर बाधा दौड़	15.00 सेकण्ड	17.00 सेकण्ड
6.	ऊँची कूद	1.40 मीटर	1.15 मीटर
7.	लम्बी कूद	5.00 मीटर	4.00 मीटर
8.	गोला फेंक (4 किलो)	10.00 मीटर	7.00 मीटर
9.	तश्तरी फेंक (1 किलो)	28.00 मीटर	17.00 मीटर
10.	रिले दौड़ (4 गुणा 100 मीटर)	54.00 सेकण्ड	1.50 सेकण्ड

कुश्ती (छात्र) एवं जूड़ो (छात्र-छात्रा) 14 वर्ष आयुवर्ग हेतु निर्धारित वजन

कुश्ती	जूड़ो	
छात्र	छात्र	छात्रा
32 किलो	25 किलो	23 किलो
35 किलो	30 किलो	27 किलो
38 किलो	35 किलो	32 किलो
41 किलो	40 किलो	36 किलो
45 किलो	45 किलो	40 किलो
49 किलो	50 किलो	44 किलो
55 किलो	50 किलो	44 किलो
60 किलो		
कुल वजन-8	कुल वजन-7	कुल वजन-7
विजेता पहलवान वजनवार	वजनवार एक विजेता	वजनवार एक विजेता

सभी खेलों में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमें रेल्वे कन्सेशन का लाभ लेते हुए जहाँ रेल्वे की आने-जाने की सुविधाएँ हैं उसी से ही यात्रा करें, जहाँ पर रेल की सुविधा नहीं है उसी स्थान के लिए बस की रियायती दर से यात्रा करें। विभाग द्वारा जहाँ रेल सुविधाएँ हैं उसी अनुसार कन्सेशन दर से किराया देय होगा।

सभी जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा इन आदेशों को प्रसारण अपने अधीनस्थ विद्यालयों में शीघ्रातिशीघ्र करें। जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का स्थान निर्धारित कर विद्यालयों एवं इस कार्यालय को भी सूचित करें।

आशान्वित हूँ कि जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन में आपका पूर्ण सहयोग मिलेगा। • ह., निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर। • क्रमांक : शिविरा/प्रारं/खेकू/स्वाशि/7509/पंचांग/2012-13/63 दिनांक : 18.7.2012

राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता 14 वर्ष छात्र-छात्रा सत्र 2012-13 के आयोजक विद्यालयों के नाम व स्थान निम्नानुसार है–

प्रथम समूह (13.9.12 से 18.9.12)

क्र. सं.	खेल का नाम	छात्र-छात्रा	आयोजक विद्यालय का नाम
1.	कबड्डी	छात्र-छात्रा	रा.उ.प्रा.वि., मेहन्दीपुर बालाजी, सिकराय, दौसा
2.	जूडो कुश्ती	छात्र-छात्रा छात्र	रा.उ.प्रा.वि., पाबूपुरा, जोधपुर
3.	खो-खो	छात्र-छात्रा	रा.उ.प्रा. गंगा बाल वि.,बीकानेर
4.	बैडमिन्टन/ क्रिकेट	छात्र-छात्रा छात्र	फ्लॉवर किड्स स्कूल पंचवटी, सागवाड़ा, डूंगरपुर
5.	बास्केटबॉल	छात्र-छात्रा	स्कालर पब्लिक उप्रावि, धौलपुर
6.	सॉफ्टबॉल	छात्र-छात्रा	राउप्रावि, नं.1, कुचामनसिटी, नागौर

द्वितीय समूह (21.9.12 से 26.9.12)

क्र. सं.	खेल का नाम	छात्र-छात्रा	आयोजक विद्यालय का नाम
1.	हॉकी	छात्र-छात्रा	रा.उ.प्रा.वि.,सूरजपोल, कांकरोली, राजसमन्द
2.	हैण्डबॉल	छात्र-छात्रा	रा.उ.प्रा.वि., पीलखाना, अलवर
3.	फुटबॉल/ टेबल-टेनिस	छात्र छात्र-छात्रा	रा.विशिष्ठ पूर्व उ.प्रा.वि., मोन्टेन्सरी, किला परिसर, भरतपुर
4.	बॉलीबॉल	छात्र-छात्रा	रा.उ.प्रा.वि., स्टेशन रोड, बारां
5.	जिम्नास्टिक/तैराकी	छात्र-छात्रा	रा.उ.प्रा.वि., सिन्धी नादिरजी नाहरगढ़ रोड, जयपुर

तृतीय समूह (10.10.12 से 15.10.12)

क्र. सं.	खेल का नाम	छात्र-छात्रा	आयोजक विद्यालय का नाम
1.	ऐथेलेटिक्स	छात्र-छात्रा	रा.उ.प्रा.वि.,भाटपुरा, प्रतापगढ़

• ह., उप निदेशक (कनिष्ठ), प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

12. 57 वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक (16, 17 व 19 वर्ष आयु वर्ग) विद्यालयी छात्र-छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता, आयोजन हेतु पंचांग एवं आवश्यक निर्देश अनुपालनार्थ

• कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • कार्यालय आदेश • सत्र 2012-2013 की 57वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक (16, 17 व 19 वर्ष आयु वर्ग) विद्यालयी छात्र-छात्रा खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु प्रतियोगिता पंचांग आवश्यक निर्देशों सहित अनुपालनार्थ प्रसारित किया जाता है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ विद्यालयों में पंचांग एवं निर्देशों को अविलम्ब प्रसारित करें।

विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु निम्नानुसार खेल समूह बनाये गये हैं–

प्रथम समूह

तैराकी	17, 19 वर्ष	छात्र-छात्रा
वॉलीबाल	17, 19 वर्ष	छात्र-छात्रा
हैण्डबाल	17, 19 वर्ष	छात्र-छात्रा
हॉकी	17, 19 वर्ष	छात्र-छात्रा
सॉफ्टबाल	17, 19 वर्ष	छात्र-छात्रा
फुटबॉल	17, 19 वर्ष	छात्र
जूडो	17, 19 वर्ष	छात्र-छात्रा
कुश्ती	17, 19 वर्ष	छात्र
जिम्नास्टिक	17, 19 वर्ष	छात्र-छात्रा
बास्केटबॉल	17, 19 वर्ष	छात्र-छात्रा

द्वितीय समूह

क्रिकेट	16, 19 वर्ष	छात्र
बैडमिंटन	17, 19 वर्ष	छात्र-छात्रा
टेबल टेनिस	17, 19 वर्ष	छात्र-छात्रा
कबड्डी	17, 19 वर्ष	छात्र-छात्रा
खो-खो	17, 19 वर्ष	छात्र-छात्रा
लॉन टेनिस	17, 19 वर्ष	छात्र-छात्रा
तीरंदाजी (इण्डियन राउण्ड)	17, 19 वर्ष	छात्र-छात्रा
तीरंदाजी (फीटा राउण्ड)	17, 19 वर्ष	छात्र-छात्रा

तृतीय समूह

एथलेटिक्स	17 व 19 वर्ष	छात्र-छात्रा

प्रतियोगिताएँ निम्न तिथियों के अनुसार ही आयोजित की जावें–

समूह	विद्यालय स्तर	जिला स्तर	राज्य स्तर
प्रथम समूह	17.8.12 से पूर्व	01.9.12 से 9.9.12 अधिकतम 4 दिवस	12.9.12 से 17.9.12
द्वितीय समूह	17.8.12 से पूर्व	01.9.12 से 9.9.12 अधिकतम 4 दिवस	21.9.12 से 26.9.12
तृतीय समूह	17.8.12 से पूर्व	30.9.12 से 3.10.12	10.10.12 से 15.10.12

निम्नांकित खेल की राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता माह सितम्बर के प्रथम सप्ताह में आयोजित होने के कारण इस प्रतियोगिता की तिथियाँ निम्नानुसार होंगी–

खेल का नाम	विद्यालय स्तर	जिला स्तर	राज्य स्तर
1. फुटबॉल (17 वर्ष छात्र)	20.7.2012 से पूर्व	27.7.2012 से 30.7.2012 तक	4.8.2012 से 9.8.2012

साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ कार्यक्रम विद्यालय/क्षेत्रीय/जिला स्तर तक का आयोजन विभागीय खेलकूद नियमावली एवं मार्गदर्शिका 2005 के अनुसार पूर्ववत जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं से पूर्व आयोजित करवाएँ।

दिनांक 29 अगस्त 2012 मेजर ध्यानचंद जयन्ती को खेल दिवस के रूप में विद्यालय स्तर पर विविध खेलों के आयोजन किये जावें।

सत्र 2012-2013 की 57वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक 16, 17 वर्ष एवं 19 वर्ष आयुवर्ग विद्यालयी छात्र-छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता आयोजक विद्यालयों के नाम व स्थान परिशिष्ट-1 व 2 पर संलग्न हैं।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008-2009 में खेलकूद प्रतियोगिताओं के नियमों में निम्नांकित परिवर्तन/परिवर्द्धन मुख्य रूप से किये गये, जो यथावत रहेंगे–

1. 16 वर्ष छात्र आयुवर्ग में क्रिकेट खेलकूद प्रतियोगिताएँ भी आयोजित की जायेगी।
2. राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए 17 वर्ष (छात्र/छात्रा) व क्रिकेट 16 वर्ष (छात्र) आयुवर्ग के खिलाड़ियों का दल का गठन भी 19 वर्ष की भाँति ही चयन विधि द्वारा किया जावेगा।
3. राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए लीग प्रतियोगिता के मैच (पूर्व निर्धारित खेलों के लिए) में खेलने हेतु राज्य की टीमों/दलों के 16 के स्थान पर 8 पूल बनाये जावेंगे।

   इस सम्बन्ध में विस्तृत आदेश क्रमांक शिविरा-माध्य/खेलकूद/निजी/35427/05-06/108 दिनांक 04.7.08 के द्वारा पूर्व में प्रसारित किये जा चुके हैं।

सत्र 2012-2013 की प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन हेतु निम्नांकित निर्देश प्रसारित किये जाते हैं–

1. सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित तिथियों के मध्य टीमों की संख्या के आधार पर न्यूनतम दिनों का कार्यक्रम तय कर जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं को आयोजित करें परन्तु क्षेत्रीय प्रतियोगिता आवश्यकतानुसार विद्यालयी स्तर की प्रतियोगिता के पश्चात एवं जिला स्तरीय प्रतियोगिता से पूर्व आयोजित करावें। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएँ निर्धारित तिथियों एवं स्थानों पर निर्धारित विद्यालयों द्वारा ही आयोजित की जावेगी। तिथियों एवं प्रतियोगिताओं के स्थलों में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
2. सत्र 2012-13 में सभी स्तर की प्रतियोगिताओं में संभागित्व के लिए खिलाड़ियों की जन्मतिथि निम्नानुसार होगी– (1) 19 वर्ष आयुवर्ग-छात्र-छात्रा के लिए 01.01.1994 या उसके पश्चात एवं कक्षा 6 से 12 तक नियमित अध्ययनरत। (2) 17 वर्ष आयुवर्ग-छात्र-छात्रा के लिए 01.01.1996 या उसके पश्चात एवं कक्षा 6 से 10 तक नियमित अध्ययनरत। (3) 16 वर्ष आयुवर्ग क्रिकेट छात्र के लिए 01.1.1997 या उसके पश्चात एवं कक्षा 6 से 10 तक नियमित अध्ययनरत।

3. पूर्व की भाँति राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ही इन प्रतियोगिताओं हेतु पात्र होंगे।
4. शिक्षा विभागीय सभी खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु खिलाड़ी की पात्रता प्रवेश तिथि सभी कक्षाओं के लिए वास्तविक प्रवेश तिथि मान्य होगी।
5. प्रतियोगिता आयोजन के कार्यक्रम को निर्धारित करने (ड्राज डालने) की सुविधा हेतु सत्र 2011-12 में राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता के प्रथम आठ स्थानों के परिणाम परिशिष्ठ-3 से 6 पर संलग्न किये जा रहे हैं।
6. सभी स्तर की विद्यालयी छात्र-छात्रा खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन के समय प्रतियोगिता के संचालन हेतु निदेशालय के आदेश क्रमांक– शिविरा/खेलकूद-3/35101/04-05 दिनांक 20 अगस्त 2005 के अनुसार ही प्रतिनियुक्तियाँ की जावें। यथासंभव स्थानीय कार्मिकों/ अध्यापकों की सेवाएँ ली जावें।
7. सत्र 2012-13 की छात्र-छात्रा खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन शिक्षा विभागीय खेलकूद नियमावली एवं मार्गदर्शिका 2005 व उसके पश्चात समय-समय पर नियमों में हुए संशोधन एवं प्रदत निर्देशों के अनुरूप ही किया जावे तथा खेलों के नियम सम्बन्धित खेल संघों के जो वर्तमान में संशोधित रूप में लागू है, के अनुरूप ही प्रतियोगिताओं को आयोजित किया जावे, परन्तु विभागीय आदेशों/नियमों को ध्यान में रखते हुए अनुपालना हो।
8. विशिष्ट विद्यालय जैसे सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर, सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र, शिक्षा विभागीय खेल छात्रावास के विद्यालय, संस्कृत शिक्षा निदेशालय के अधीनस्थ अध्ययनरत खिलाड़ियों का दल, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर द्वारा संचालित खेल विद्यालय/छात्रावास/अकादमी के दल पूर्व की भाँति सीधे ही राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे।
9. राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर द्वारा संचालित खेल विद्यालय/ छात्रावास/अकादमी में प्रशिक्षणरत/अध्ययनरत खिलाड़ियों की सूची मय पूर्ण विवरण दिनांक 13.08.2012 तक आवश्यक रूप से वाहक स्तर पर इस कार्यालय को भिजवावें (खेलवार छात्र सूची निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को 10 अगस्त 2012 तक प्रस्तुत की जावे जिससे जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) स्तर पर पूर्ण छानबीन पश्चात् प्रमाणित करते हुए उक्त सूचियाँ वाहक स्तर पर इस कार्यालय को दिनांक 13.08.2012 तक भिजवाई जावेगी) अन्यथा इन्हें सम्बद्ध खेल की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु ड्राज में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा। जिसका सम्पूर्ण दायित्व सचिव/अध्यक्ष राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर एवं सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) का होगा।
10. उक्त विशिष्ट विद्यालयों का दल पूर्ण नहीं होता है तो इन विशिष्ट विद्यालयों के खिलाड़ी एवं अन्य किसी विद्यालय का पूर्व राष्ट्रीय विद्यालयी प्रतियोगिता में भाग ले चुका श्रेष्ठ खिलाड़ी किसी विशेष कारण से जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सका है तो राज्य स्तरीय चयन समिति के समक्ष उस खिलाड़ी का उक्त सत्र में प्रतियोगिता के समय अपने विद्यालय के संस्था प्रधान का नियमित विद्यार्थी होने का पत्र मय योग्यता प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में संभागित्व प्रमाण पत्र (केवल पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी हेतु) की प्रमाणित छाया प्रति सहित खिलाड़ी स्वयं लेकर उपस्थित होता है तो चयन समिति द्वारा उसका परीक्षण किया जाकर चयन होने की स्थिति में निर्धारित संख्या में ही पूर्व राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर की राज्य स्तर पर तैयार की जाने वाली चयन सूची में सम्मिलित किया जाएगा। ऐसे खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता स्थल पर चयन परीक्षण हेतु प्रतियोगिता समाप्ति से तीन दिन पूर्व प्रातः 11.00 बजे तक प्रतियोगिता आयोजक संस्था प्रधान को उपस्थिति देवें। छात्रा खिलाड़ी महिला प्रभारी के साथ उपस्थिति देवें।
11. सभी सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र एवं शिक्षा विभागीय खेल छात्रावासों के संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि सत्र 2012-13 की राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में खेल विशेष हेतु प्रशिक्षण योजनान्तर्गत चयनित खिलाड़ियों में से ही अपने दल का गठन करे। विद्यालय के अचयनित खिलाड़ियों को सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र/खेल छात्रावास के दल में सम्मिलित नहीं किया जावे। शिक्षा विभाग का विशिष्ट विद्यालय सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर के अन्तर्गत प्रवेश लिए खिलाड़ी सम्बन्धित खेल में सीधे ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे, एथलेटिक्स के छात्र अन्य खेलों में भी भाग ले सकते हैं, अन्य खेलों के छात्र एथलेटिक्स में भी भाग ले सकते हैं। इस हेतु विभाग द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने पर ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर के डे-स्कॉलर विद्यार्थियों का अलग से दल गठन कर अन्य सामान्य विद्यालयों के छात्र दलों की तरह जिला स्तरीय प्रतियोगिता में दल भिजवाया जा सकता है। डे-स्कॉलर को सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर के छात्रावासी खिलाड़ियों के चयनित दल में शामिल नहीं किया जावे।
12. सत्र 2003-04 से राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.16()शिक्षा-6/2002 दिनांक 7.1.2003 की अनुपालना में वर्तमान प्रतियोगिता शुल्क के नियमान्तर्गत संस्कृत शिक्षा के जिले के सभी विद्यालयों से कुल छात्र-छात्रा संख्या के अनुसार सामान्य वर्ग से 5/- एवं आरक्षित वर्ग से 2/- प्रति छात्र-छात्रा की दर से एकत्रित राशि का 50 प्रतिशत राशि राज्य के समस्त सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) नॉडल अधिकारी को प्रतियोगिताओं के आयोजन से पूर्व जमा करवाने की शर्त पर संस्कृत शिक्षा के खिलाड़ियों को 19 वर्ष एवं 17 वर्ष आयुवर्ग के छात्र वर्ग के निम्न खेलों– वॉलीबाल, फुटबाल, कबड्डी, खो-खो, बेडमिंटन व कुश्ती (शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित वजनवार) में एवं एथेलेटिक्स 19 वर्ष एवं 17 वर्ष छात्र वर्ग के राज्य स्तर पर होने वाले इवेन्ट्स में निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान को भी विशिष्ट विद्यालयों की भाँति पृथक इकाई मानते हुए राज्य स्तर पर सीधे भाग लेने की स्वीकृति शिक्षा विभागीय नियमान्तर्गत प्रदान की गई है। निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान के 19 वर्ष एवं 17 वर्ष छात्र खिलाड़ियों द्वारा उक्त खेलों में राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में पृथक इकाई के रूप में भाग लेने पर उसकी सूचना आयोजक विद्यालयों के संस्था प्रधान को प्रतियोगिता से 15 दिन पूर्व दी जाएगी। राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगितार्थ चयन समिति द्वारा शिक्षा विभाग की निर्धारित प्रक्रियानुसार उन्हें चयन प्रक्रिया में शामिल किया जावेगा। यदि

संस्कृत शिक्षा के खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय पूर्व प्रशिक्षण शिविर हेतु होता है तो उसका नाम चयन सूची में निर्धारित संख्या ही शामिल होगा।

13. टेबल टेनिस, बैडमिंटन एवं लॉन टेनिस में दलीय स्पर्धा के साथ-साथ व्यक्तिगत स्पर्धा का आयोजन भी करवाया जावे। 17 व 19 वर्ष छात्र-छात्रा के व्यक्तिगत स्पर्धा के आधार पर ही जिले के दल का गठन चयन विधि द्वारा किया जावेगा। दोनों वर्ग 17 व 19 वर्ष छात्र-छात्रा में अच्छे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने हेतु टेबल टेनिस, बैडमिंटन व लॉन टेनिस की दलीय स्पर्धा के क्वार्टर फाईनल में पहुँचने वाले दलों के दो खिलाड़ी एवं सेमी फाईनल में पहुँचने वाले दलों के 5 खिलाड़ी व्यक्तिगत स्पर्धा में भाग लेंगे। अन्य दलों से पूर्व की भाँति 01 ही खिलाड़ी व्यक्तिगत स्पर्धा में भाग ले सकेगा। व्यक्तिगत स्पर्धा हेतु ड्राज डालते समय अच्छे खिलाड़ी को सीडिंग दी जावे। इनकी ड्राज दलीय स्पर्धा में सेमी फाईनल में पहुँचने वाले दलों के निर्धारण होने के बाद डाली जावें। क्वार्टर फाईनल में पहुँचने वाले दलों के 2 खिलाड़ियों एवं सेमी फाईनल में पहुँचने वाले दलों के 5 खिलाड़ियों के नाम व्यक्तिगत क्रमानुसार प्रभारी से लिखित में लिये जावें। उसके बाद सीडिंग देकर ड्राज डाली जावे। ड्राज डालते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि सेमी फाईनल में पहुँचने वाले दलों के प्रथम वरीयता वाले खिलाड़ियों का सेमी फाईनल से पहले मैच न हो सके। टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाईनल से पूर्व के मैचों में बेस्ट ऑफ 13 गेम, क्वार्टर फाईनल व सेमी फाईनल में बेस्ट ऑफ 17 गेम तथा फाईनल में बेस्ट ऑफ 3 सैट द्वारा निर्णय किया जाये।

14. खिलाड़ी संख्या जो जिला स्तर पर निर्धारित है वही संख्या उनके लिए राज्य स्तरीय तथा राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में लागू होगी। उल्लेखित है कि इस वर्ष से हॉकी में खिलाड़ी संख्या 16 के स्थान पर 18 की गई है। सुविधा की दृष्टि से सभी स्तरों पर संभागी खिलाड़ियों की संख्या सत्र 2012-13 में निम्न प्रकार से होगी–

खेल का नाम	सीमावि स्तर (19 वर्ष छात्र-छात्रा)		मावि स्तर (17 वर्ष छात्र-छात्रा एवं क्रिकेट 16 वर्ष छात्र)	
	जिला स्तर	राज्य/राष्ट्रीय स्तर	जिला स्तर	राज्य/राष्ट्रीय स्तर
तैराकी	प्रत्येक इवेन्ट में दो	प्रत्येक इवेन्ट में दो	प्रत्येक इवेन्ट में दो	प्रत्येक इवेन्ट में दो
वॉलीबाल	12	12	12	12
हैण्डबॉल	16	16	16	16
हॉकी	18	18	18	18
सॉफ्टबाल	16	16	16	16
फुटबॉल (छात्र)	18	18	18	18
जूडो	वजनवार जूडोका-1	वजनवार जूडोका-1	वजनवार जूडोका-1	वजनवार जूडोका-1
कुश्ती	वजनवार पहलवान-1	वजनवार पहलवान-1	वजनवार पहलवान-1	वजनवार पहलवान-1
जिम्नास्टिक	06	06	06	06
बास्केटबॉल	12	12	12	12
क्रिकेट (छात्र)	16	16	16	16
बैडमिंटन	05	05	05	05
टेबल टेनिस	05	05	05	05
कबड्डी	12	12	12	12
खो-खो	12	12	12	12
लॉन टेनिस	05	05	05	05
तीरंदाजी (इण्डियन राउण्ड)	04	04	04	04
तीरंदाजी (फीटा राउण्ड)	04	04	04	04
एथलेटिक्स	प्रत्येक इवेन्ट में दो	प्रत्येक इवेन्ट में दो	प्रत्येक इवेन्ट में दो	प्रत्येक इवेन्ट में दो

नोट : एथलेटिक्स एवं तैराकी में प्रत्येक रिले में खिलाड़ियों की संख्या चार होगी।

15. एथलेटिक्स व तैराकी 19 व 17 वर्ष आयुवर्ग की छात्र-छात्राओं द्वारा व्यक्तिगत स्पर्धा में विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने वाले प्रथम व द्वितीय रिले में समय के आधार पर श्रेष्ठ चार, कुश्ती व जूडो के प्रत्येक भार में केवल प्रथम आने वाला, तीरंदाजी (इण्डियन व फीटा राउण्ड) में कुल अंकों के 30 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर मानदण्ड पूर्ण करने वाले खिलाड़ी व जिम्नास्टिक में कुल अंकों के 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर मानदण्ड पूर्ण करने वाले खिलाड़ी वरीयतानुसार निर्धारित संख्या में राज्य स्तर पर भाग लेंगे। निर्धारित मानदंड पूर्ण नहीं करने वाले खिलाड़ियों को उक्त खेलों की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में नहीं भिजवाया जावे। यह सुनिश्चित करने का दायित्व सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-नोडल अधिकारी), शिविराधिपति, टीम प्रभारी एवं प्रशिक्षक का होगा। जिम्नास्टिक की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कुल 40 प्रतिशत अंक प्राप्त कर निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने वाले खिलाड़ी को ही मेरिट/भाग लेने का प्रमाण पत्र देय होगा। तीरंदाजी (इण्डियन व फीटा राउण्ड) की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कुल 30 प्रतिशत अंक प्राप्त कर निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने वाले खिलाड़ी को ही भाग लेने का प्रमाण पत्र देय होगा लेकिन मेरिट प्रमाण पत्र के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों की बाध्यता यथावत रहेगी। दलीय स्पर्धाओं में भी दल द्वारा निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने पर दल के सभी सदस्यों को स्मरण/मेरिट प्रमाण पत्र दिये जावेंगे। राज्य स्तर पर निर्धारित मानदण्ड पूर्ण नहीं करने वाले खिलाड़ियों को भाग लेने/मेरिट प्रमाण पत्र नहीं दिये जावे। आदेश की अवहेलना करने वाले अधिकारी/कार्मिक के विरुद्ध खेलकूद प्रतियोगिता नियमावली, 2005 के बिन्दु संख्या 10.2.6 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

16. खिलाड़ी, शारीरिक शिक्षक एवं संस्था प्रधान पात्रता/योग्यता प्रमाण पत्र का भलीभाँति मिलान करें। संस्था प्रधान छात्र की जन्मतिथि, नाम, पिता

का नाम, प्रवेशांक (स्कॉलर) रजिस्टर से मिलान करने के पश्चात छात्र-छात्रा के पात्रता/योग्यता प्रमाण पत्र को प्रमाणित करें। खेल में भाग लेने/मेरिट प्रमाण पत्र संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित योग्यता प्रमाण पत्र के आधार पर ही तैयार किये जाते हैं। अतः बाद में इन प्रमाण पत्रों में दर्शाई गई जन्मतिथि, नाम आदि में परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होगा।

17. विद्यालय/जिलों की टीमों के साथ आने वाले शारीरिक शिक्षक/प्रशिक्षक को निर्णायक के रूप में नियुक्त किया जाता है तो सम्बन्धित शारीरिक शिक्षक निर्णायक के रूप में कार्य करेगा। आदेशों की अवहेलना करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

18. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जिला स्तरीय आयुवर्ग खेल प्रतियोगिताओं के समेकित परिणाम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से पूर्व निम्न प्रारूप में उपनिदेशक (खेलकूद) माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को निश्चित रूप से भिजवावें–

क्र. सं.	खेल का नाम	प्रतियोगिता स्थल का नाम	प्रतियोगिता अवधि	प्रथम तीन स्थानों के परिणाम (विद्यालय के नाम सहित)	संभागी टीमों की सं.	कुल खिलाड़ी संख्या	निर्णायकों की संख्या	अन्य कार्मिकों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9

गत वर्षों में यह देखने में आया है कि कतिपय जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ही उक्त सूचना भेजी जाती है। अतः भविष्य में सभी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त निर्धारित प्रपत्र में सूचना भिजवाना सुनिश्चित किया जावे।

19. खेलकूद प्रतियोगिता शुल्क गत सत्रों के अनुसार सभी विद्यालयों से निम्न दरों के अनुसार वसूला जावे–

सामान्य वर्ग	05 रुपये प्रति छात्र-छात्रा
आरक्षित वर्ग (अनु. जाति, अनु.जन जाति, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग)	02 रुपये प्रति छात्र-छात्रा

उक्त प्रतियोगिता शुल्क की कुल संग्रहित राशि में से 40 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु अपने अपने जिलों में आरक्षित रखें। उक्त राशि निदेशालय के आदेशानुसार ही उपयोग में ली जावेगी। शेष रही 60 प्रतिशत राशि का व्यय करने के सम्बन्ध में खेलकूद नियमावली 2005 में प्रदत्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। संग्रहित की गई राशि की सूचना निर्धारित प्रपत्र में सत्र में दो बार दिनांक 30.9.2011 एवं 31.3.2012 तक सभी जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) अनिवार्यतः उप निदेशक (खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा) माध्यमिक शिक्षा राज. बीकानेर को भिजवायेंगे। उक्त प्रतियोगिता शुल्क की राशि राजकीय राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त गैर सरकारी/निजी एवं अनुदान प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाओं द्वारा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर तक के समस्त विद्यालयों को भुगतान करना अनिवार्य है, चाहें विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेता हो अथवा नहीं। प्रतियोगिता शुल्क का भुगतान नहीं करने वाले विद्यालयों पर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-नोडल) अपने स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही करें।

20. प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित होने वाली जिला स्तरीय उच्च प्राथमिक विद्यालयी खेलकूद छात्र-छात्रा प्रतियोगिता में यदि माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के छात्र-छात्रा खिलाड़ी भाग लेते हैं तो उक्त प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर 5 रुपये (पाँच रुपये) प्रति खिलाड़ी की दर से, जिसके अन्तर्गत सामान्य वर्ग एवं आरक्षित वर्ग सम्मिलित है, के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा अपने जिले की समस्त विद्यालयों से ली गयी प्रतियोगिता शुल्क की 60 प्रतिशत राशि में से जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) को राशि जमा करवायेंगे। उक्त आदेश प्रारम्भिक शिक्षा राज., बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा/प्रारं/खेकू/स्वाशि/7509/पंचांग/71 दिनांक 27.08.2001 के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक : शिविरा/मा/खेलकूद-3/35101/वार्षिकपंचांग/2001-02/26 दिनांक 30.8.2001 से जारी किया जा चुका है।

21. जिला एवं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के भाग लेने/मेरिट प्रमाण पत्र प्रतियोगिता स्थल पर खिलाड़ी को अनिवार्यतः वितरित किया जावे। सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी एवं उपनिदेशक इस ओर विशेष ध्यान देते हुए इसकी पालना सुनिश्चित करें। प्रमाण पत्र खिलाड़ी के योग्यता प्रमाण पत्र के फोटो से मिलान करने के पश्चात खिलाड़ी के प्रतिपर्ण पर हस्ताक्षर लेकर उपस्थित खिलाड़ी को ही दिया जावे। अनुपस्थित खिलाड़ी के प्रमाण पत्र को अन्य किसी को नहीं दिया जावे। प्रमाण पत्र पर क्रमांक छपवाने अनिवार्य है तथा प्रमाण पत्र का प्रतिपर्ण गत सत्रों की भाँति छपवाया जावे एवं अभिलेख में सुरक्षित रखा जावे। मेरिट प्रमाण पत्र प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को ही दिया जावे। मेरिट प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को स्मरण प्रमाण पत्र भी दिया जावे। **व्यक्तिगत एवं दलीय स्पर्धा में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को भी मेरिट प्रमाण पत्र दिया जावे। कुश्ती व जूडो में तृतीय स्थान का मेरिट प्रमाण पत्र रेपीचार्ज पद्धति के आधार पर दो खिलाड़ियों को देय होगा।**

22. तैराकी, कुश्ती, जूडो, जिम्नास्टिक, लानटेनिस एवं तीरंदाजी 19 वर्ष एवं 17 वर्ष आयुवर्ग की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएँ खेलानुसार एक ही स्थान पर आयोजित होती हैं, जिसमें जिले के सभी आयु वर्ग के छात्र-छात्रा एक ही स्थान पर भाग लेते हैं। जिस जिले में दो जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) है, प्रतियोगिता स्थल पर दल के साथ जाने वाले नायक, प्रशिक्षक, शा. शिक्षक के आदेश जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) नॉडल अधिकारी द्वारा प्रसारित किये जावें। छात्रा दल के साथ महिला अधिकारी/प्रशिक्षक/शारीरिक शिक्षक/महिला प्रभारी को ही लगाया जावे। अपरिहार्य कारणों से महिला अधिकारी/प्रशिक्षक/शारीरिक शिक्षक के स्थान पर पुरुष अधिकारी/प्रशिक्षक/शारीरिक शिक्षक को लगाया जाता

है तो प्रतियोगिता आयोजक द्वारा प्रतियोगिता स्थल पर पुरुष अधिकारी/प्रशिक्षक/शारीरिक शिक्षक आदि की एवं छात्रा खिलाड़ियों के आवास की व्यवस्था अलग-अलग स्थानों पर की जावे। यह ध्यान रखा जावे कि छात्रा टीम के साथ महिला प्रभारी अनिवार्य भेजी जावे। यह सुनिश्चित करना कि छात्राओं के साथ महिला प्रभारी भेजी गई है या नहीं, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) का उत्तरदायित्व होगा। जिला स्तरीय प्रतियोगिता स्थलों पर निर्णायक मंडल/चयन समिति में निर्धारित संख्यानुसार ही शारीरिक शिक्षकों को लगाया जावे। इस हेतु प्रतिनियुक्ति आदेश जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के हस्ताक्षरों द्वारा ही जारी किये जावें। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत अधीनस्थ अधिकारी/उप जिला शिक्षा अधिकारी (शा.शि.) द्वारा प्रतिनियुक्ति आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जावें।

23. एस.जी.एफ.आई. (स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया) द्वारा कबड्डी प्रतियोगिता में इस वर्ष से वजन निर्धारण कर दिया गया है। अतः जिला/राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को इसी अनुरूप सम्पन्न करावें। निर्धारित मानदण्ड परिशिष्ट 10 पर संलग्न हैं।

24. एथलेटिक्स, कुश्ती, जूडो एवं तैराकी में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित स्पर्धा के अनुसार ही जिला/राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं में स्पर्धाएँ करवायें। इस हेतु निर्धारित स्पर्धा एवं इन स्पर्धाओं हेतु निर्धारित मानदण्ड परिशिष्ट 7 से 9 पर संलग्न है।

25. निदेशालय पृथकीकरण के पश्चात जिन जिलों में दो जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यरत है उन जिलों से राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में एक ही दल भाग ले सकेगा। जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित करवाने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) नॉडल अधिकारी होंगे।

26. जयपुर जिले से पूर्व की भाँति राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के दो दल भाग ले सकेंगे। छात्रा खिलाड़ियों का एक ही दल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगा। छात्रा खिलाड़ियों का जिला स्तरीय प्रतियोगिता हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)–प्रथम नॉडल अधिकारी होंगे।

27. चयन समिति द्वारा पूर्व राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर हेतु जो सूची बनाई जाती है वह प्रतियोगिता स्थल पर घोषित नहीं की जावे।

28. सी.बी.एस.ई. से मान्यता प्राप्त विद्यालय यदि शिक्षा विभाग, राजस्थान द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो उन्हें अनिवार्यतः प्रतियोगिता शुल्क जो कि निर्धारित है जमा करवाना होगा एवं उक्त विद्यालयों के छात्र-छात्रा का चयन पूर्व राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर एवं चयन परीक्षण के लिए होता है तो वह छात्र-छात्रा राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे। यदि इन विद्यालयों के छात्र-छात्रा राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में भाग नहीं लेते हैं तो अगले वर्ष उन विद्यालयों को शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया जाएगा।

29. राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में अधिक आयु के खिलाड़ियों को खेलने से रोकने तथा निर्धारित आयु के खिलाड़ियों को खेल का पर्याप्त अवसर देने हेतु राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं के आरम्भ से एक दिन पूर्व आयोजकों द्वारा गठित अधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा सभी सम्भागियों का आयु सम्बन्धी मेडिकल परीक्षण करवाया जावेगा। इस हेतु समस्त सम्भागियों को प्रतियोगिता आरम्भ से एक दिन पूर्व प्रातः 10.00 बजे तक प्रतियोगिता स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। अन्यथा दल प्रतियोगिता से वंचित होंगे।

30. सभी खेलों में सम्बन्धित खेल फेडरेशन के नवीनतम नियम मान्य होंगे परन्तु आयोजन की दृष्टि से टाई ब्रेक, समय, सैट आदि के सम्बन्ध में शिक्षा विभागीय नियम मान्य होंगे। लीग प्रणाली तथा लीग-कम-लीग अर्थात सुपर लीग प्रणाली से खेले जाने वाले सभी खेलों के मैचों में विजेता दल को 2 अंक व पराजित दल को 0 अंक एवं बराबर रहने वाले दलों को 1-1 अंक दिया जावेगा। विद्यालयी जिला/राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में लीग, लीग-कम-लीग अर्थात् सुपर लीग प्रणाली से खेले गये समस्त खेलों के मैचों में टाई पड़ जाने अर्थात् अंकों के आधार पर खेल परिणाम बराबर रह जाये तो टाई निम्नानुसार तोड़ी जावे–
मैच जब पहली लीग प्रणाली या लीग-कम-लीग प्रणाली पर खिलायें और दल बराबर रह जाते हैं तो प्राप्त गोल/स्कोर/सेट के औसत को आधार मानकर टाई तोड़ी जावे। गोल/स्कोर/सेट का तात्पर्य है 'जिस दल के पक्ष में जितने गोल/स्कोर/सेट हुए हैं उनमें से उसी दल के विपक्ष में हुए गोल/स्कोर/सेट का अन्तर निकाल कर टाई तोड़ी जावे। यदि इस पद्धति से निर्णय की स्थिति न बन पाये तो जिस दल के पक्ष में अधिक संख्या में गोल/स्कोर/सेट रहे, उसे ही विजेता घोषित कर दिया जावे परन्तु यह गणना प्रत्येक स्तर के क्रम में अर्थात् लीग के लिए अलग तथा लीग-कम-लीग (सुपर लीग) के लिए अलग-अलग लागू होगी दूसरे शब्दों में पहले लीग मैचेज के रहे परिणाम लीग-कम-लीग प्रणाली (सुपरलीग) में लागू नहीं होंगे। लीग या सुपर लीग प्रणाली से खेले जाने वाले मैचों में टीमों की संख्या दो (2) ही रह जाये या दो ही हो तो नॉक आउट प्रणाली की भाँति उस मैच का खेल विशेष के अनुसार परिणाम निकाल कर आगामी मैच के लिए दल का निर्धारण किया जावेगा।

31. विद्यालयी/क्षेत्रीय/जिला/राज्य स्तरीय विद्यालयी कुश्ती/जूडो में जिस केटेगरी/वजन के लिए जिस खिलाड़ी का चयन किया गया है, चयन परीक्षण भी उसी केटेगरी/वजन के खिलाड़ियों का आयोजित कर वजनवार दल गठन किया जावे एवं उसी वजन/केटेगरी में ही वह खिलाड़ी क्षेत्रीय/जिला/राज्य/राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेगा।

32. एथलेटिक्स में प्रत्येक इवेन्ट (दौड़ के अलावा) में खिलाड़ी को तीन-तीन अवसर दिये जावेंगे।

33. एथलेटिक्स एवं तैराकी की चैम्पियनशिप हेतु रिले में प्रथम, द्वितीय व तृतीय को क्रमशः 10–6–3 अंक तथा अन्य स्पर्धाओं हेतु 5–3–1 अंक दिये जावेंगे।

34. 16, 17 व 19 वर्ष आयु वर्ग के छात्र-छात्रा टीम खेल के व्यक्तिगत खेलों में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से पूर्व जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जावें।

35. टीमों के अभिलेख, ध्वज आदि प्रतियोगिता स्थल पर ले जाने/जमा करवाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित टीम/दल के दलाधिपति/दलनायक का होगा।

• ह., निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

• क्रमांक : शिविरा/मा/खेलकूद-3/35101/वार्षिकपंचांग/12-13/127-143 दिनांक : 18.7.12 • ह., उपनिदेशक (खेलकूद), मा.शि. राज., बीकानेर।

हिन्दी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के स्वर

❑ तरुण कुमार दाधीच

हिन्दी साहित्य के इतिहास का अध्ययन इस बात का साक्षी है कि हिन्दी साहित्य में राष्ट्रीय चिन्तन का अभ्युदय वर्तमान काल की देन है। वस्तुतः जब यह बात कही जाती है तो एक प्रश्न स्वतः उठता है कि राष्ट्रीय चिन्तन से हमारा क्या तात्पर्य है या राष्ट्रीय भावना का स्वरूप क्या है? राष्ट्रीय भावना अपने सम्पूर्ण देश की परम्परा, विचार, संस्कार, सबके प्रति प्रेम और आदर की भावना का पर्याय है। इनमें एक देश की प्रादेशिक खण्डता, सार्वभौमिक अखण्डता का रूप धारण करके जाति, रंग, ऊँच-नीच के भेदभाव से मुक्त होकर हमारे सामने आती है। अतः समूचा राष्ट्र जो विभिन्न प्रदेशों का भावनात्मक संगठन होता है, के प्रति अनुकूल भावना को राष्ट्रीय भावना कहा जाता है। हिन्दी साहित्य में यही राष्ट्रीय चिन्तन हमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में सर्वत्र दिखाई पड़ता है। सही अर्थों में देखा जाय तो राष्ट्रीय चिन्तन किन्हीं राजनैतिक कारणों से किसी अन्य देश के अधीन है तो उस देश में पराधीनता को नष्ट करके स्वाधीनता लाने की आवाज ही राष्ट्रीय चिन्तन अथवा राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगी।

हिन्दी साहित्य में राष्ट्रीय भावना का आविर्भाव और विकास नवोत्थान या वर्तमान युग पुनरुत्थान की देन है। वर्तमान काल से पहले व्यापक अर्थों में राष्ट्रीय चिन्तन का अभ्युदय नहीं हुआ था। हिन्दी साहित्य का आदिकाल वीर भावना से परिपूर्ण है किन्तु तत्कालीन वीर भावना राष्ट्रीय भावना का पर्याय नहीं मानी जा सकती। आदिकाल और मध्यकाल में प्रादेशिक भावनाओं का बाहुल्य था। सामन्त युगीन संस्कृति के प्रभाव से पूरे भारत राष्ट्र के प्रति आस्था का भाव उद्दीप्त नहीं हो पाया। उन कालों में कवियों के द्वारा वर्णित अपने प्रदेश, राजाओं की स्थिति और वीरोचित कार्यों का व्याख्यान राष्ट्रीय भावना के अन्तर्गत नहीं आता। आश्रयदाता राजाओं की स्तुति में राष्ट्रीय भाव की अभिव्यक्ति मानना अनुचित होगा। भूषण को सामान्यतः राष्ट्रवादी कवि माना जाता है किन्तु राष्ट्रीयता की व्यापक भावना के अनुरूप उनका व्यक्तित्व राष्ट्रीय नीति के व्यक्तित्व का पर्याय नहीं बन सकता।

सामान्यतः राष्ट्रीय चिन्तन का श्री गणेश स्वतंत्रता के आन्दोलनों से माना जा सकता है। पुनरुत्थान के व्यापक जागरण के द्वारा राष्ट्रीय भावना का तेजी से प्रसार हुआ। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भी राष्ट्रीयता की सम्पूर्ण भाव धारा का अभाव था। अतः उसकी साहित्यिक अभिव्यक्ति बहुत कम हुई। कुछ बुद्धिजीवी ऐसे भी थे जिन्होंने इस संग्राम को 'गदर' की संज्ञा देकर इसका महत्व कम करना चाहा किन्तु जैसे-जैसे राजनैतिक चेतना प्रखर होती चली गई वैसे-वैसे कवियों में राष्ट्रीय चिन्तन की भावना सघन होती गई।

हिन्दी काव्य के प्रथम चरण में नव जागरण का प्रभाव व्यापक रूप से पड़ा हुआ था। अनेक समाजों की स्थापना-ब्रह्म समाज, आर्य समाज आदि से कूप मण्डूकता दूर हो रही थी और भारतीय जीवन अपने संस्कारों को दूसरी तरह देखने और समझने के लिए तैयार हो रहा था। भारतेन्दु युग के प्रथम भाग में राष्ट्रीय चेतना के दो रूप हमारे समक्ष स्पष्ट हुए। एक राज भक्ति, दूसरा राष्ट्र भक्ति। कभी-कभी ऐसा लगता था कि उस काल के साहित्यकारों को इन दोनों की अन्तर्वर्ती चेतना का भेद मालूम न था। एक ही कवि समय भेद से राज्य भक्ति के गीत गाता और समूचे राष्ट्र की बात भी करता।

द्विवेदी युग में आकर संदेह और मानसिक विरोध की भावना समाप्त हो गई। यह निश्चित हो गया था कि राष्ट्रीय चिन्तन का उदय हो रहा है किन्तु राष्ट्रीय भाव प्रतीक नहीं बन पाया। समस्त भारतीयों में यह भावना उदित हुई कि भारत भूमि हमारी है और इस पर अन्य का शासन अनुचित है। इस भावना का व्यापक प्रसार, द्विवेदी युग में हुआ। देश की वन्दना, अर्चना, भक्ति, प्रेम और जयगान के रूपों में राष्ट्रभक्ति का रूप प्रकट हुआ। इस प्रकार इस समय पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिलीशरण गुप्त, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी आदि कवियों के स्वर में राष्ट्रीय भावना का प्रस्फुरण हुआ और उस समय के आन्दोलनों में जो स्वर प्रमुख था वह स्वर भी इस भाव के साथ व्यक्त हुआ। इसके साथ-साथ प्रान्तीय भावना का दमन और राष्ट्रीय भावनाओं का अभ्युदय अनेक कवियों की वाणी में उच्चारित हुआ। इस प्रकार इस युग में एक विराट भारतीय भावना जागृत हुई और सबने भाषा-भेद, वर्ग-भेद, प्रान्त-भेद आदि को छोड़कर अखण्ड भारत की कल्पना की।

भारतेन्दु और द्विवेदी युग की राष्ट्रीय धारा धीरे-धीरे इतनी व्यापक हो गई कि उसने बाद में उठने वाली व्यक्ति प्रधान छायावादी काव्य चेतना को भी प्रभावित किया। छायावाद के समय भी यह भावना तो थी ही कि किसी तरह देश को विदेशी शासन से मुक्त किया जाय। यह बात अलग है कि 'अन्तर भाव' की प्रधानता रखने वाले छायावादी कवियों ने राष्ट्रीय आन्दोलनों को स्वर कम दिया परन्तु इस युग में ऐसे रचनाकार भी रहे जिन्होंने राष्ट्र को प्रमुखता दी। माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' और फिर रामधारी सिंह 'दिनकर', शिवमंगल सिंह 'सुमन' आदि की रचनाओं में राष्ट्रीय चिन्तन का उद्घोष हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी की एक रचना– 'पुष्प की अभिलाषा' तो इतनी लोकप्रिय हुई कि उसकी तुलना में उस युग की कम कविताओं का उल्लेख किया जा सकता है। इसके अलावा अन्तर्मुखी कवि जय शंकर प्रसाद के नाटकों में राष्ट्रीय स्वर प्रमुख रहा। इस समय के अन्य कवियों ने भी राष्ट्रीय स्वर को प्रधानता दी और राष्ट्रीय भावना का विकास किया।

काव्य में राष्ट्रीय चिन्तन की दृष्टि से 'दिनकर' अद्वितीय कवि हैं। उन्होंने 'मेरे नगपति मेरे विशाल' में जिस भाव का उद्घोष किया था उसका अनेक रूपों में प्रसार होता रहा। उन्होंने राष्ट्रीय भावना को व्यापक अभिव्यक्ति दी। दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान ने राष्ट्रीय स्वर में स्वर मिलाकर कहा कि स्थान और जातिगत भेद समाप्त होने चाहिए। दिनकर ने 'परशुराम की प्रतीक्षा' नामक काव्य लिखकर तत्कालीन भाव

धारा की अभिव्यक्ति की। प्रगतिवादी युग के बाद स्वतंत्रता के युग में राष्ट्रीय भाव धारा का स्वरूप बदला। पुरानी मान्यताओं के साथ नए भाव आये। राष्ट्रीयता, अन्तर्राष्ट्रीयता में परिणत होने लगी और विश्व मानवता का स्वर प्रधान हो गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश ने दो युद्धों को झेला। इन आक्रमणों के समय राष्ट्रीय भावना और तीव्र गति से मुखर होकर सामने आई। काव्य-जगत में मान्य अन्य भाव धाराओं में रुकावट आ गई और उसके साथ ही चीन के आक्रमण के फलस्वरूप एक व्यापक एकता की आवश्यकता का स्वर कविता में गूँज उठा। हिन्दू, मुस्लिम, सिख तथा सभी भारतीयों की एकता के स्वर के साथ एक बार फिर से अतीत के वैभव का गान किया गया।

कविवर प्रसाद रूप, यौवन और दर्शन के कवि थे किन्तु इतस्ततः उनकी राष्ट्रीय भावना भी श्रेष्ठता से व्यक्त हुई है। उनकी 'हिमाद्रि तुंग-शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती' कविता इसकी पुष्टि में पढ़ी जा सकती है। दिनकर की अधिकांश रचनाएँ राष्ट्रीय चिन्तन से ओत-प्रोत हैं। सोहन लाल द्विवेदी ने सुन्दर राष्ट्रीय भावना की सर्जना की है। इसके अलावा सुमन जी की कविताओं में प्रवाह अधिक है और द्विवेदी जी की कविताओं में मंथरता और घनत्व। साथ ही रामदयाल पाण्डेय, उदय शंकर भट्ट, नागार्जुन, रामविलास शर्मा आदि कवियों ने भी अच्छी राष्ट्रीय कविताएँ लिखी। इन कवियों के साथ-साथ जो अन्य प्रगतिवादी कवि रहे हैं, उनकी कविता में राष्ट्रीयता का तनिक स्थूल पक्ष उभरकर आया है। उसमें जोश है, शक्ति है, आह्वान है पर सब मिलाकर उनमें जो है, वह तामसी है और जो नहीं है वह है राष्ट्र निर्माण का सात्विक ओज।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारतेन्दु ने सबसे पहले उस कविता का सूत्रपात किया जिसे राष्ट्रीय कविता कहा जाता है। इसका पूर्ण विकास द्विवेदी युग में हुआ। द्विवेदी युग की कविताओं में एक अत्यंत उदात्त स्वर सुनाई पड़ता है क्योंकि इस काल के कवियों का एक मात्र उद्देश्य समाज हित और एकमात्र लक्ष्य लोक कल्याण था। भक्तियुग को छोड़कर इतनी उदात्त और कल्याणी कविता अभी तक नहीं लिखी गई थी। यदि इस समय की मुख्य कविता धारा को किसी वाद के घेरे में बाँध दिया जाय तो उसे राष्ट्रवाद का नाम दिया जा सकता है। इस राष्ट्रवाद की धारा में अतीत का गौरवगान है तो वर्तमान के प्रति क्षोभ भी है। भविष्य की आशा किरण सी भी है और भारतीय राजनीति की गति के साथ होने वाला स्पन्दन भी है।

वर्तमान परिवेश में राष्ट्रीयता का स्वरूप देश की आर्थिक योजनाओं से बँधा हुआ है। 'पंचवर्षीय योजनाएँ और राष्ट्रीय प्रगति के अन्य उपकरणों के प्रति कविगण सचेष्ट हैं। कविता के इस युग का सम्पूर्ण आंदोलन व्यापक होकर अभिव्यक्त हुआ है। नये और पुराने सभी कवि इस काल में राष्ट्रीयता के नये मानदण्डों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। आज के मानदण्डों में अतीत का गौरवगान, नई योजनाओं की सफलता, एकता की भावना का प्रसार, राष्ट्र विरोधी कार्यों की भर्त्सना आदि का स्वर प्रमुख हैं। देश की उन्नति में सभी सहायक तत्व राष्ट्रीय चिन्तन का स्वर मुखर कर रहे हैं।

–36, सर्वऋतु विलास,
मेन रोड, उदयपुर (राज.)

अंततः रामतीर्थ ने कैसे भाषा संस्कृत सीखी

❑ साँवलाराम नामा

मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी हो जाता है।/खमठोक ठेलता जब नर है, पर्वत के पांव उखड़ जाते हैं॥' **–रामधारी सिंह दिनकर**

'तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारा पहला अधिकार संस्कृत पढ़ने-लिखने का होना चाहिए, जबकि फारसी में सिर मार रहे हो। अरे ! तुम्हें तो संस्कृत देववाणी का पंडित, अधिष्ठाता विद्वान होना चाहिए?'

उसके सहपाठी ने उसे लताड़ा। लाहौर कॉलेज के स्नातक छात्र को अपने ही सहपाठी की यह बात भीतर तक तीर-सी चुभ गई, काटो तो खून नहीं।

उसने उसी क्षण प्रण किया कि वह संस्कृत भाषा की शिक्षा अवश्यमेव ग्रहण करके ही रहेगा। अगले दिन वह संस्कृत के बड़े शिक्षक के पास पहुँचा उनसे अपनी आंतरिक भावना इस प्रकार प्रकट की– 'महोदय जी ! मैं संस्कृत सीखकर उसकी परीक्षा देना चाहता हूँ।' संस्कृत शिक्षक उसकी बात सुनकर पहले तो हँसे और फिर कुछ बदले लहजे में बोले– 'बेटे ! जब तुम्हें संस्कृत भाषा का रत्तीमात्र भी ज्ञान नहीं है, तब भला तुम, स्नातक में संस्कृत की परीक्षा के लिए आवेदन पत्र कैसे भर सकते हो?' यह सुनने के उपरान्त भी वह छात्र निराश नहीं हुआ, बल्कि दूनी आशा, उत्साह से मन ही मन पक्का ठान लिया कि संस्कृत भाषा तो अब वह सीखकर ही रहेगा। मानो उसके नाचने के लिए घुंघरू पांव में बँध गये।

अब वह वहाँ से सीधा अपने पिता के पास गया, जो संस्कृत भाषा के प्रकाण्ड पंडित, प्रतिष्ठित विद्वान थे और उनसे संस्कृत सिखाने की साग्रह प्रार्थना की। पिता ने उसके हृदय की भावना और आग्रह को सहर्ष संस्कृत सिखाने की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार संस्कृत सीखने की धुन के कारण छात्रों, शिक्षकों और पिताजी के पूरा सम्पर्क में रहकर परिश्रमपूर्वक अध्ययनरत हो गया।

लगभग तीन-चार मास पश्चात् वह पुनः संस्कृत के शिक्षक के समीप पहुँचा और परीक्षा देने के सम्बन्ध में प्रार्थना की। तब शिक्षक ने उसकी परीक्षा ली और वह परीक्षा में सफल रहा। धुन का धनी, प्रण पक्का, मेहनत में माहिर, लक्ष्य प्राप्ति की निष्ठा, अपने कलंक को धोने वाला वह छात्र आगे चलकर स्वामी रामतीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। अत्यंत हर्ष की बात है कि उस वर्षीय स्नातक परीक्षा के विश्वविद्यालय में वह शीर्षस्थ स्थान अर्जित किया था।

यह प्रसंग शिक्षा देता है कि यदि मन में कुछ अच्छा कर गुजरने की लगन हो तो असंभव दिखने वाले विषय अथवा कार्य भी संभव हो जाते हैं। दृढ़ इच्छाशक्ति के सतत् श्रम के समक्ष विपरीतताएँ ध्वस्त हो जाती हैं और मार्ग के शूल भी फूल बन सुगंध देने लग जाते हैं। कवि ने कहा– *'करत-करत अभ्यास जड़मति होत सुजान।/रसरी आवत-जावत सिल पर परत निशान॥'*

–सदर बाजार रोड, निकट बड़ा चौहरा,
भीनमाल, जालौर (राज.)343029

जनजाति बच्चों में कला

❑ डॉ. मुकेश चौबीसा

आज से पचास-साठ साल पहले कोई कल्पना करता ऐसा वाक्य मुँह से निकलने की कि 'बच्चे भी जन्म से कलाकार होते हैं।' आज हम इतनी दूर चले जा सकते हैं कि कहें 'हर बच्चा जन्म से कलाकार होता है।' उस वक्त क्या आज भी हमारे देश में और अन्य देशों में काफी मिकदार में बच्चों को मार पड़ती हैं, जब यह बड़े भाई की पेन्सिल लेकर, कागज पर बड़े उत्साह से 'कीरम-कांटे' खींचने लगते हैं। डाँट पड़ती है क्या कीरम कांटे खींचकर सामान और वक्त बर्बाद कर रहा है? बच्चे के आत्म प्रकटन के उन नमूनों को देखकर, जिन्हें फ्रांज सिजेक और आज जो और भी बहुत से व्यक्ति कहते हैं, 'क्या सुंदर चित्र हैं' पुराने ढंग के लोग 'कीरम-कांटे' कहते हैं। वे यह नहीं जानते कि इनमें से कई ऐसे चित्र हैं, जिन्हें देखकर मातीस या पॉल-क्ली ईर्ष्या करते।'

'मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आज बच्चों की कला का महत्व बहुत बढ़ गया है। शिक्षा शास्त्री मानते हैं कि व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए कला की तालीम जरूरी है और बच्चों को शुरू से ही कला की तालीम मिलनी चाहिए। बाल्यावस्था में कला की तालीम का क्या स्वरूप होना चाहिए, इसमें भी अब मतभेद कम ही हैं। सभी मानते हैं कि जिस पद्धति से बच्चे का आत्मप्रकटन पूर्ण स्वतंत्रता से हो, वही कला-शिक्षा की भी पद्धति होनी चाहिए। यानि बच्चा जो कुछ भी अपनी उम्र और मानसिक अवस्था के अनुसार करे, वही उसकी सच्ची शिक्षा है। वही बच्चों की कला कही जाती है। फ्रांज सिजेक, जो वियेना के रहने वाले थे, इस पद्धति के प्रवर्तक थे।

'मैंने बच्चों को आजादी दिलाई। मुझसे पहले बच्चों को चित्र बनाने और उसके लिए लकीरें खींचने के लिए डाँट और सजा मिलती थी। मैंने उन्हें सयानों के इस बर्ताव से बचाया, मैंने दुनिया को वह चीज दी, जो पहले ठुकराई जाती थी। बच्चों की सृजनात्मक शक्ति का उनके माता-पिता को दर्शन कराया और उनके असर से बच्चों को दूर रखा। मैंने कहा कि यहाँ बड़ों का प्रवेश निषिद्ध है, इससे पहले शिक्षक और माता-पिता बच्चों की अच्छी चीजों को दबा देते थे। लेकिन मैंने यह शिक्षाशास्त्री की दृष्टि से नहीं, एक मनुष्य और कलाकार की दृष्टि से किया है।' *–फ्रांज सिजेक*

लेकिन बच्चों की कला की ओर जो दृष्टि फ्रांज सिजेक की थी, उसे आज सब लोग नहीं समझ पाते हैं। उनकी दृष्टि कलाकार की दृष्टि थी। बच्चों की कला कलाकार की दृष्टि से अपना स्वतंत्र महत्व रखती हैं। जैसे हम लोग कला या आदिवासी कला (प्रिमिटिव आर्ट) को 'एकेडमिशियन' के मापदंड से नहीं जाँचते, उसी तरह बच्चों की कला की भी बात है। हम बच्चों की कला को महत्व इसलिए नहीं देते कि उसमें अच्छी कला के गुण होते हैं और उसे इज्जत से देखना चाहिए जितनी कलाकार के काम को देखा जाता है।

अगर कला के ऊपरी रूप को ही देखें, तो बच्चों के चित्रों में वे ही गुण मिलते हैं, जो अच्छे चित्रों में होने चाहिए। उनमें देश-विन्यास (कंपोजिशन), रंग-मेल आदि सभी होते हैं। कला के व्याकरण की कसौटी पर वे खरे उतरते हैं।

कुछ लोग बच्चों की कला और आदिवासी कला में साम्य देखते हैं। कुछ हद तक यह बात ठीक भी है। जिस तरह आदिवासी कला में वस्तु वास्तविक रूप में नहीं दिखती हैं और वह केवल आँख के अनुभव का नतीजा नहीं होती हैं, बल्कि उससे अलग हो जाती हैं, उसी तरह बच्चों की कला है। दोनों में बनाने वाले का अपनापन अधिक होता है। दोनों 'जो दिखता है' वह नहीं, बल्कि जो जानते हैं वह बनते हैं। जैसे आदिवासी कला प्रतीक-प्रधान होती हैं, उसी तरह बच्चा अपने चित्र प्रतीक द्वारा ही बनाता है। किशोरावस्था आने पर उसके चित्रों में वास्तविकता आने लगती हैं।

एक और मजेदार बात है– बच्चे की कला उसका आत्म-प्रकटन है। बच्चा अपने भावों को चित्रों द्वारा प्रकाशित करता है, यानी चित्रकला उसकी भाषा है और चूँकि इस अवस्था तक बच्चा लिखने की भाषा नहीं जानता, इसलिए चित्रों की भाषा ही उसकी एकमात्र भाषा होती है। आदिवासी कला की बुनियाद भी वैसी ही हैं। जब तक आदमी ने लिखने की भाषा इजाद नहीं की थी, तब तक उसकी चित्रों की ही भाषा थी। इसी बुनियाद पर पूरी आदिवासी कला खड़ी है। बच्चों और आदिवासियों, दोनों की भाषा चित्र की भाषा है; क्योंकि दोनों में ही अपनी भाषा को प्रकट करने की जोरदार इच्छा है। इसलिए दोनों में ही आत्म प्रकटन की महान शक्ति है। उनकी कला इसी शक्ति को प्रकट करती है।

बच्चों के बनाये चित्र और आदिम युग की गुफाओं के चित्रों का अध्ययन करने से उनमें एक और साम्य दिखता है। वस्तु के सम्पूर्ण आकार को दोनों नहीं देखते। उनके चित्रों में वस्तु के ये ही हिस्से होते हैं, जिनके कारण चित्रकार को चित्र बनाने की प्रेरणा मिलती है। एक बच्चे ने अपने शिक्षक का चित्र बनाया उस चित्र में शिक्षक की दाढ़ी, चश्मा और हाथ-घड़ी उसके सिर से भी बड़ी थी और बाकी हिस्सों पर ध्यान नहीं दिया गया था। यही बात आदिवासी कला में भी है। उसमें कुछ जरूरी हिस्सों पर जोर देने से ही भाव प्रकट होता है।

इसी तरह कई विशेषज्ञों ने इन दोनों कलाओं में साम्य देखा है। यह साम्य सचमुच कितने परिमाण में है, इस बात पर मतभेद हो सकता है। लेकिन यहाँ इसका जिक्र करने का उद्देश्य केवल यही है कि बच्चों की कला को, चूँकि वह बच्चों की कला है या बच्चों को प्रोत्साहित करना सयानों का धर्म है, यही समझ कर अच्छा न कहें। उसकी सजावट का पहलू (डेकोरेटिव एस्पेक्ट) विशेष ध्यान रखता है। एक कमरे में अगर रूसो, मातीस और लोक चित्रकला के कुछ चित्र लगे हैं और साथ-साथ बच्चों की कला के नमूने भी हों, तो कमरे की सजावट के सामंजस्य में कोई बाधा नहीं आएगी। वह तो उसे और भी रुचिकर लगेगी।

मैं बच्चों की कला को महान कलाओं में गणना नहीं करना चाहता क्योंकि उसका सामाजिक पहलू अविकसित होता है। वह अंतर्मुखी होता है। समाज और व्यक्ति को ऊपर उठाने की जो एक बड़ी शक्ति ऊँची कला में होती है, वह बच्चों की कला में नहीं होती है।

फिर भी बच्चों की कला की बुनियाद सौंदर्य-बोध प्रधान (एस्थेटिक) होने के कारण अपना विशेष स्थान रखती है और यही कारण है कि उसे कलाकार की दृष्टि से देखने पर ही रसानुभूति हो सकती है।

–अध्यापक, रा.उ.प्रा.वि., बोवस
पं.स. सराडा (उदयपुर)

रपट

राज्य स्तरीय

18 वां भामाशाह सम्मान समारोह, 2012

बिड़ला ऑडिटोरियम, जयपुर का परिसर गाड़ियों की आवाजाही, विशिष्ट जनों के समूह। एन.सी.सी. कैडेट, स्काउट एवं गाइड छात्र छात्राएं कदमताल का पूर्वाभ्यास करते हुए। समय अभी सवा दस बज रहे हैं। अवसर है 18वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह के आयोजन का। आयोजन से जुड़े लोगों की आवाजाही सक्रियता में और गति आ जाती है। जब समय के पाबंद निदेशक श्री हर सहाय मीणा बिड़ला सभागार के मुख्य हॉल में प्रविष्ट होते हैं। बाहरी स्वागत कक्ष में मुस्तैदी से अपने कार्य को सम्पादित करने वालों के साथ छात्राएं स्वागत तिलकार्चन के लिए आगे बढ़ती हैं। परन्तु औपचारिकताओं में ज्यादा विश्वास न करने वाले निदेशक महोदय आतिथ्य अभिवादन को हाथ के संकेत से स्वीकार कर आगे बढ़ जाते हैं। निदेशक महोदय के समय पूर्व आगमन से सम्मान समारोह में अलग-अलग दायित्व निभा रहे लोगों में नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा का संचार होता है।

मंच पर उद्घोषिका अपनी उद्घोषणा प्रारम्भ करने लगती हैं। निदेशक महोदय पूरे कार्यक्रम के सफल आयोजन से पूर्व पूरा फीड बैक लेते हैं स्वयं मंच पर जाकर सभी व्यवस्थाओं से संतुष्ट होते हैं।

समय की पाबन्दी ही नहीं सम्मान समारोह के वैशिष्ट्य को समझाने में हमारे माननीय शिक्षामंत्री भी दो कदम आगे रहे। आयोजन के शुभारम्भ का समय 11 बजे लेकिन माननीय शिक्षामंत्री 10 बजकर 42 मिनट पर मुख्य हॉल में विराजमान रहे।

समारोह के अध्यक्ष माननीय मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. सरकार श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय ने भी 10 बजकर 55 मिनट पर पहुँच कर निर्धारित समय 11 बजे से 5 मिनट पूर्व पहुँच कर समय की पाबन्दी और समारोह के महत्त्व को नई ऊचाइयाँ प्रदान की।

राज्य के कोने-कोने से आये विशिष्ट भामाशाह, प्रेरक एवं आयोजकों के साथ बिड़ला सभागार में मीडिया से जुड़े पत्रकार भी अपना आसन ग्रहण कर चुके हैं। मंच से हो रही लगातार उद्घोषणाओं ने सभी को ऐतिहासिक महत्त्व के इस विशिष्ट आयोजन का साक्षी, सहभागी बन पाने का गौरव महसूस करवाया।

बिड़ला सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूँज उठा जब मुख्य मंच पर मुख्य अतिथि माननीय शिक्षामंत्री, राजस्थान सरकार श्री बृजकिशोर शर्मा, समारोह के अध्यक्ष माननीय मंत्री जनजाति क्षेत्रीय विकास ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. सरकार श्रीमान् महेन्द्रजीत सिंह मालवीय तथा विशिष्ट अतिथि माननीया राज्य मंत्री प्रा. एवं मा. शिक्षा भाषा एवं भाषायी अल्पसंख्यक विभाग, राज. सरकार श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ मंच पर विराजमान हुए। इनके साथ आयुक्त, सर्व शिक्षा अभियान एवं शासन सचिव स्कूल, संस्कृत शिक्षा विभाग, राज. सरकार श्री भास्कर ए. सावन्त तथा निदेशक प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान श्री हर सहाय मीणा ने भी आसन ग्रहण किया।

18वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का औपचारिक उद्घाटन मुख्य अतिथि, अध्यक्ष एवं विशिष्ट अतिथि के कर कमलों से दीप प्रज्वलन, मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पूजन से सम्पन्न हुआ। गरिमामय मंच के साथ सभागार में उपस्थित सभी ने भावपूर्वक अपनी सहभागिता निभाई।

मां सरस्वती की अजस्र कृपा की आकांक्षा में सरस्वती वंदना का गान किया गया। पूरा सभागार सरस्वती वंदना की स्वर लहरी से सरस हो गया। पुष्पमाला और पुष्पगुच्छ से गरिमामय मंच पर आसीन विशिष्टजनों का सम्मान हुआ। सभागार में उपस्थित सभी ने करतल ध्वनि के साथ निभाया।

आयुक्त सर्व शिक्षा अभियान और शासन सचिव **श्री भास्कर ए. सावन्त** ने स्वागत भाषण देते हुए भामाशाहों के शिक्षा जगत को दिए गए सहयोग के लिए कृतज्ञता ज्ञापित की।

माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के भाषण का वाचन करते हुए श्री सावन्त ने कहा– "भामाशाह समाज को नकारात्मक सोच से बाहर लाने के लिए अपना योगदान देकर बहुत बड़ा कार्य करते हैं।"

इस शुभ अवसर पर भामाशाहों के सम्मान में गरिमामय मंच पर प्रशस्ति पुस्तिका का लोकार्पण मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार श्री बृजकिशोर शर्मा, अध्यक्ष माननीय मंत्री जनजाति, क्षेत्रीय विकास, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. सरकार श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय तथा विशिष्ट अतिथि माननीया शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ, शासन सचिव एवं आयुक्त, सर्व शिक्षा अभियान श्री भास्कर ए. सावन्त तथा निदेशक प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के कर कमलों से सम्पन्न हुआ।

माननीय शिक्षा राज्य मंत्री **नसीम अख्तर इंसाफ** ने अपने उद्बोधन में भामाशाह सम्मान समारोह को सात्विक कृतज्ञता बताया। उन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की दिली इच्छा है कि शिक्षा और विशेषकर बालिका शिक्षा में राज्य का नाम ऊँचा रहे।

आपके प्रयास सराहनीय हैं, भामाशाह के रूप में आपके योगदान से शालाओं में नामांकन वृद्धि हुई है। यह वृद्धि शिक्षा के प्रति लगाव को दर्शाता है। किसी भी राष्ट्र का विकास शिक्षा के विकास पर निर्भर करता है। शिक्षा के क्षेत्र में भामाशाहों का योगदान दिल को सुकून देने वाला है।

भामाशाह सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि और माननीय शिक्षामंत्री राज. सरकार **श्री बृजकिशोर शर्मा** ने भामाशाहों के सम्मान में कहा– 'मैं उपस्थित भामाशाहों को नमन करना चाहता हूँ उनसे आशीर्वाद और प्रेरणा लेना चाहता हूँ। राजस्थान के भामाशाहों की विराट परम्परा में अब तक की सबसे बड़ी राशि **एक करोड़ उनसठ लाख चौसठ हजार रुपये** देने वाले श्री औंमकार मल जैन को नमन करता हूँ।

दुर्गास्वरूपा, लक्ष्मीस्वरूपा, सरस्वती-स्वरूपा माताश्री शांति देवी जी का आभार नहीं उनके चरणों में वंदन करता हूँ जिन्होंने **एक करोड़ इकतालिस लाख रुपये** दिए। आपको

चलने में दिक्कत है लेकिन शिक्षा के लिए आपने बहुत बड़ा कार्य किया है। आप इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में दान देतीं रहेंगी तो राजस्थान साक्षरता में पीछे नहीं रहेगा, राजस्थान शिक्षा में अग्रणी रहेगा।'

पिछले 18 समारोहों में से नौ बार जो भामाशाह के रूप में समारोह में सम्मानित हो ऐसे नारायण दास गुरनानी जी का, नेमीचन्द जी तोसनीवाल जी का और प्रेरक के रूप में शिवदत्त भट्ट जी, कनिष्ट लिपिक कमल स्वरूप दिवाकर जी का आभार मानता हूँ कि वे शिक्षा के लिए प्रेरक प्रयास कर रहे हैं।

समारोह की अध्यक्षता कर रहे माननीय मंत्री जन जाति विकास ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार **श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय** ने शिक्षा के महत्त्व को रेखांकित किया। उन्होंने आजादी से पहले और आज के समय की तुलना कर भामाशाहों के योगदान की सराहना की। विशेष तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में भामाशाहों का योगदान नई पीढ़ी को मजबूत राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करेगा।

भामाशाहों के सम्मान में 'वह जीवन भी क्या जीवन है जो देश के काम आ न सका ....।' गीत का समवेत स्वरों में गायन हुआ।

गरिमामय मंच द्वारा उपस्थित भामाशाहों का सम्मान माल्यार्पण, श्रीफल प्रमाण-पत्र, शाल, प्रशस्ति पुस्तिका एवं शिक्षक दिवस प्रकाशन की पुस्तकें भेंट कर किया गया।

माननीय शिक्षामंत्री श्री बृजकिशोर शर्मा के कर कमलों से सम्मानित भामाशाहों को प्रमाण-पत्र, माननीय मंत्री जनजाति क्षेत्रीय विकास, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. सरकार, श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय द्वारा शाल, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री राज. सरकार श्रीमती नसीम अख्तर इन्साफ द्वारा श्रीफल, आयुक्त सर्व शिक्षा अभियान एवं शासन सचिव श्री भास्कर ए. सावन्त द्वारा प्रशस्ति पुस्तिका और निदेशक प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान द्वारा माल्यार्पण किया गया।

शिक्षा निदेशक प्रा. एवं मा. शिक्षा राजस्थान **श्री हर सहाय मीणा** ने माननीय शिक्षा मंत्री श्री बृजकिशोर शर्मा, माननीय मंत्री जनजाति क्षेत्रीय विकास, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. सरकार, श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती नसीम अख्तर इन्साफ तथा शासन सचिव, श्री भास्कर ए. सावन्त की प्रेरक उपस्थिति के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा– 'राजस्थान का इतिहास त्याग, वीरता और उदारता का पर्याय रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भामाशाहों के योगदान को उन्होंने उज्ज्वल परम्परा बताया। यद्यपि दानदाताओं का सम्मान कर हम उनके योगदान का कोई मूल्य नहीं चुका सकते, तथापि यह सम्मान उनके प्रति श्रद्धा एवं आदर भावना का एक प्रतीक है। भामाशाहों के योगदान के प्रति आभार ज्ञापित करने के साथ-साथ जिन प्रेरकों ने इन्हें प्रेरित किया उन्हें भी बधाई देता हूँ। मुझे आशा है ऐसे सकारात्मक प्रयासों के प्रति वे सदैव तत्पर रहेंगे। समारोह के सफल आयोजन के लिए सभी के प्रति आभार।'

सभी भामाशाहों की इस स्मृति को चिरस्मरणीय बनाने हेतु यादगार समूह चित्र लिया गया तथा गरिमापूर्ण वातावरण में राष्ट्रगान के ओजस्वी गान के साथ सम्मान समारोह सम्पन्न हुआ। मंच संचालन डॉ. ज्योति जोशी और राजेन्द्र शर्मा 'हंस' ने किया।

–मुकेश व्यास, व.प्र.स.

राज्य स्तर पर सम्मानित भामाशाह व प्रेरक नामावली, 2012

क्र.सं.	भामाशाह का नाम	विद्यालय जिसके लिए दान दिया गया	दान राशि (लाखों में)
1.	**श्री ओंमकारमल जैन,** सुपुत्र श्री ताराचंद जैन ग्राम - चान्दूर जिला जालौर **प्रेरक–** श्री शिवदत्त भट्ट सेवानिवृत अध्यापक राजकीय मा. विद्यालय चान्दूर (जालौर)	रा.मा.वि., चान्दूर (जालौर)	159.64
2.	**श्रीमती शान्ति देवी साहू वाला चेरिटेबल ट्रस्ट, नई दिल्ली,** ट्रस्टी श्रीमती शान्ति देवी, गुप्ता पत्नी श्री बिलायती राम, 02/55 वेस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली **प्रेरक–** श्री महावीर प्रसाद पुजारी संरक्षक श्री हनुमान सेवा समिति, सालासर (चूरू)	श्रीमती शान्ति देवी साहूवाला, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, सालासर (चूरू)	141.00
3.	**भगवान महावीर 2600 जन्म कल्याणक महोत्सव समिति,** सरदारशहर (चूरू) संस्था मंत्री श्री जब्बरमल चिन्डालिया	आचार्य महाप्रज्ञ रा. उच्च मा. विद्यालय ग्राम बंधनाऊ तहसील सरदारशहर (चूरू)	107.77
4.	**मैसर्स बिनानी सीमेन्ट लिमिटेड,** ग्राम बिनानी तहसील- पिण्डवाड़ा, जिला - सिरोही, श्री अनुज कुमार शर्मा, सहायक उपाध्यक्ष **प्रेरक–** श्री रूपसिंह देवड़ा, प्रधानाध्यापक, रा.उ.प्रा.वि., पिण्डवाड़ा (सिरोही)	रा.उ.प्रा.वि., पिण्डवाड़ा (सिरोही)	40.23
5.	**श्री सुरेश कुमार पाटनी** सुपुत्र श्री धर्मचन्द पाटनी, 'सरिता कुंज', 15, बरदवान रोड,कलकत्ता-700027 **प्रेरक–** श्री वेद प्रकाश शर्मा, (स.क.) 'सूर्य सदन' लोसल रोड धोद (सीकर)	श्रीमती मगदू देवी पाटनी, रा.बा.उ.मा.वि., धोद (सीकर)	37.78
6.	**श्री सम्पत कुमार लाहोटी** सुपुत्र श्री चुन्नीलाल लाहोटी, मनीषा साड़ी सेन्टर, बालाजी बाजार, कुचामन सिटी, नागौर **प्रेरक–** श्री कमल स्वरूप दिवाकर (क.लि.), क्वार्टर नं. 23, शिक्षक कॉलोनी, ग्राम मौलासर (नागौर)	रा.बा.उ.मा.वि., धनकोली (नागौर)	31.35

क्र.सं.	भामाशाह का नाम	विद्यालय जिसके लिए दान दिया गया	दान राशि (लाखों में)
7.	**श्री प्रभुदयाल शर्मा** सुपुत्र श्री बद्री प्रसाद महर्षि, 113, सूरज नगर-पूर्व, सिविल लाइन, जयपुर-302006	पं. बद्री प्रसाद महर्षि, रा.बा. उ.मा.वि., अलफसर (सीकर)	29.32
8.	**श्री बहादुर सिंह राजावत** पुत्र श्री ठा. गणपत सिंह ए-110, भान नगर, क्विंस रोड, जयपुर-302021	रा.बा.उ.मा.वि., मूण्डिया, टोंक	21.60
9.	**श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता** सुपुत्र श्री पन्नालाल गुप्ता द्वारा हरिओम कुमार/हरीश कुमार कमीशन एजेन्ट, सौंख रोड, नई मण्डी, कुम्हेर (भरतपुर)	रा.उ.मा.वि., साबौरा (भरतपुर)	18.77
10.	**श्री देवी प्रसाद खण्डेलिया** सुपुत्र श्री महावीर प्रसाद खण्डेलिया मै. खण्डेलिया ऑयल एण्ड जनरल मिल्स, ई-180/183, उद्योग विहार, श्रीगंगानगर	श्री गौरीशंकर खण्डेलिया रा.प्रा.वि.,रीको श्रीगंगानगर	17.46
11.	**श्री मोहनलाल जैन कामदार** सुपुत्र स्व. श्री धूलचन्द मोहन इम्पैक्स कॉरपोरेशन गन्ट विकरांत, फ्लेट-ए-3, फर्स्ट फ्लोर 17-बी, पोदार रोड, सान्ताक्रुज (वेस्ट), मुम्बई-400054	श्री महावीर रा.उ.मा.वि., बीजापुर (पाली)	17.46
12.	**डा. पुष्कर तिवारी** सुपुत्र श्री मोहनलाल डी-81-4डी कैम्पस, मुरलीपुरा स्कीम रोड नं.1, जयपुर	रा.उ.मा.वि., टोडा (सीकर)	16.52
13.	**श्री राजकुमार मानधनी** सुपुत्र स्व. श्री गणपत लाल मानधनी, मानधनी काम्पलैक्स, चतुर्थ तल, राजभवन रोड, सोमाजी गुडा, हैदराबाद-500082	रा.उ.मा.वि., रानीगांव (नागौर)	14.17
14.	**श्री सुखलाल सिंयाल** सुपुत्र श्री भूरीलाल सिंयाल, शंकर मेनसन, पहला माला फ्लेट नं. 1, 390/392, एस.बी.पी. रोड, मुम्बई-400004	रा.उ.मा.वि., समीचा (राजसमन्द)	13.77
15.	**श्री मन्नालाल सैनी** सुपुत्र श्री चन्दा लाल, परनानका की ढाणी, पीली की तलाई, आमेर, जयपुर	रा.मा.वि., पीली की तलाई (जयपुर)	12.70
16.	**श्री बसंत लाल गोयल** सुपुत्र स्व. श्री गुलाब चन्द गोयल, ग्राम- मुण्डावरा, तह. थानागाजी, अलवर	रा.उ.मा.वि., मुण्डावरा, अलवर	11.82
17.	**श्री बाबुलाल नाटाणी** सुपुत्र श्री हरिनारायण नाटाणी, सुभाष नगर, जयपुर-302016	रा.उ.मा.वि., उदयपुरिया,जयपुर	11.58
18.	**श्री गजानन्द मीणा** सुपुत्र स्व. श्री परमानन्द, ग्राम - रामपुरा, वाया शाहपुरा (जयपुर)	रा.मा.वि., रामपुरा वाया शाहपुरा (जयपुर)	11.56
19.	**श्री नारायण दास गुरनानी** सुपुत्र स्व. श्री रेवा चन्द, सी-57, साकेत कालोनी, जयपुर	1. यशोदा देवी रेवा चन्द गुरनानी आदर्श रा. सिन्धी उ.मा.वि. फतेहटीवा, जयपुर 2. रा.उ.प्रा.वि., जवाहर नगर, जयपुर	10.61
20.	**श्री नेमीचन्द तोषनीवाल** सुपुत्र स्व. श्री लाघुराम तोषनीवाल नेमीचन्द, प्रदीप कुमार, 13, नूरमल लोहिया लेन, 2 तल्ला, कलकत्ता-700007	1. राजकीय मुकुन्द तोषनीवाल प्रा.वि., भलाऊ टिब्बा (तारानगर) 2. राजकीय सीतादेवी तोषनीवाल प्रा.वि. इन्दासी (तारानगर)	10.24
21.	**श्री रामलाल** सुपुत्र श्री शंकरलाल ग्राम - मालकोसनी, वाया-भावी (जोधपुर)	रा.मा.वि., मालकोसनी, जोधपुर	10.12
22.	**श्री लक्ष्मीनारायण कुमावत** सुपुत्र श्री हल्लाराम कुमावत, ग्राम - घोलासरी, वाया-दांतारामगढ़ (सीकर)	रा.उ.मा.वि., दांतारामगढ़ (सीकर)	10.08
23.	**श्री रामस्वरूप गैलड़ा** सुपुत्र श्री रामसुख गैलड़ा, ग्राम - गिलूण्ड, तह. रेलमगरा (राजसमन्द)	रा.उ.मा.वि.,गिलूण्ड,राजसमन्द	10.04

29वीं एशिया पैसिफिक रीजनल जम्बूरी
एक स्मरणीय अनुभव प्रतिवेदन

❑ आलोक शर्मा

श्रीलंका में स्काउटिंग मूवमेंट के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर इस वर्ष दिनांक 01 से 06 अप्रैल, 2012 तक दाम्बुल्ला, श्रीलंका में 29वीं एशिया पैसिफिक रीजनल जम्बूरी का आयोजन किया गया। इस जम्बूरी में लेखक ने इन्टरनेशनल सर्विस टीम के सदस्य के रूप में भाग लिया। इस जम्बूरी में भाग लेना मेरे लिए एक खुशनुमा एहसास और एक स्मरणीय अनुभव रहा।

सम्पूर्ण राजस्थान से इस जम्बूरी में केवल सात सदस्यों ने भाग लिया एवं ये सातों ही सदस्य पाली जिले के थे जिनमें से तीन स्काउट्स– प्रत्युष शर्मा, खुशवीर गहलोत एवं गर्वित भारद्वाज तथा दो गाइड्स रूद्रा शर्मा एवं दीपांशी शर्मा, मेरे ही विद्यालय (चन्द्राज पब्लिक सीनियर सैकण्डरी स्कूल, सोजतरोड (पाली) के विद्यार्थी हैं। हमारे अतिरिक्त रायपुर (पाली) के स्थानीय संघ के सचिव दिनेश कुमार भी इस दल में सम्मिलित थे।

इस जम्बूरी में भारत से कुल 77 स्काउट्स, गाइड्स एवं अधिकारीगण सम्मिलित हुए थे जिनमें से 13 व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय सेवा दल के सदस्य थे।

एकत्रीकरण एवं तैयारी– भारत के विभिन्न प्रान्तों से इस जम्बूरी में भाग लेने वाले सभी स्काउट्स, गाइड्स एवं अधिकारीगण ने अपनी उपस्थिति दिनांक 27 अप्रैल को स्काउट गाइड हैडक्वार्टर, बैंगलुरू में आयोजित तैयारी शिविर में दी। दिनांक 28 मार्च से 30 मार्च तक तैयारी, प्रशिक्षण, दल निर्माण आदि के पश्चात् भारतीय दल ने दिनांक 30 मार्च को वायुयान द्वारा श्रीलंका की राजधानी कोलम्बो हेतु प्रस्थान किया। अन्तर्राष्ट्रीय सेवा दल के हम सदस्यगण एक दिन पूर्व ही श्रीलंका के लिए प्रस्थान कर गए थे। वहाँ हमें शिविर संचालन के कार्य के साथ जोड़कर विभिन्न उत्तरदायित्व सौंपे गए।

भारतीय दल के सदस्यों को विशेष बसों द्वारा कोलम्बो से 140 कि.मी. दूर स्थित जम्बूरी स्थल, दाम्बुल्ला ले जाया गया। दाम्बुल्ला में जम्बूरी स्थल पर एक ओर स्थानीय स्काउट्स एवं गाइड्स के एवं दूसरी ओर अन्य देशों के स्काउट्स एवं गाइड्स के शिविर थे।

जम्बूरी का आयोजन दाम्बुल्ला शहर के समीप एक मनोहारी प्राकृतिक स्थल पर किया गया था। वृक्षों, लताओं, पौधों से सुसज्जित और हरीतिमा से आच्छादित धरती बरबस मन को मोह लेती थी। छोटी-छोटी पहाड़ियों से घिरा सुन्दर, अभिराम, कन्दलामा झील को अपने अंक में समाए यह स्थान जम्बूरी हेतु अत्यन्त उपयुक्त था।

श्रीलंका के मध्य में स्थित मटाले जिले का प्रसिद्ध नगर दाम्बुल्ला वह नगर है जहाँ 100 वर्ष पूर्व श्रीलंका का पहला स्काउट दल श्री एफ.जी. स्टीवेन्स द्वारा प्रारम्भ किया गया था। जम्बूरी स्थल विश्व के तीन धरोहर स्थलों– अनुराधापुरा, सिगिरिया एवं दाम्बुल्ला के मध्य में 16 एकड़ के विस्तृत भू भाग पर स्थित था।

उद्घाटन– जम्बूरी का उद्घाटन दिनांक 01 अप्रैल को श्रीलंका के महामहिम राष्ट्रपति श्री महिन्दा राजपक्षे के कर कमलों से हुआ। इस अवसर पर जम्बूरी में भाग लेने वाले सभी देशों के राष्ट्रीय ध्वजों को फहराया गया एवं शान्ति के प्रतीक कपोत उड़ाए गए। जम्बूरी गीत के साथ ही स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। स्थानीय आयोजकों ने श्रीलंका के विगत 100 वर्षों के स्काउटिंग के इतिहास की जानकारी प्रदान की।

दैनिक कार्यक्रम– सभी सम्भागीगण को प्रातः 6 बजे उठकर 8:30 बजे तक नाश्ता आदि से निवृत होना पड़ता था। तत्पश्चात् सभी स्काउट्स एवं गाइड्स एडवेंचर एक्टीविटिज, हाइक एवं अन्य गतिविधियों में भाग लेते थे। कुछ एडवेंचर एक्टीविटीज यथा 'द ट्रेजर ऑफ रावणा, द घोस्ट ऑफ द जनरल, डाउन टु अर्थ' आदि अत्यन्त रोचक एवं रोमांचकारी गतिविधियाँ थीं।

भ्रमण– हमें श्रीलंका के प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व के स्थानों के भ्रमण एवं दर्शन का अवसर भी मिला। दाम्बुल्ला का स्वर्ण मन्दिर एवं ऐतिहासिक गुफा संकुल, एक ऐतिहासिक एवं आकर्षक स्थान है। इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया है। यहाँ भगवान बुद्ध की विशाल, आकर्षक एवं भव्य लेटी हुई प्रतिमा स्थापित है। कैण्डी शहर के एलीफेन्ट ऑरफनेज में हाथियों के अनाथ बच्चों को रखा जाता है एवं उनका लालन पालन अत्यन्त स्नेह एवं सावधानी के साथ किया जाता है। कैन्डी शहर का रॉयल पैलेस, कैन्डी झील, टेम्पल ऑफ टूथ आदि अन्य प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं। सिगीरीय स्थित लॉयन्स रॉक एक भव्य स्थान है जहाँ एक विशाल चट्टान को काटकर शेर के पंजे आदि उत्कीर्ण किये गये हैं। कोलम्बो का फ्रीडम हॉल, संग्रहालय, हैगिंग ब्रिज, राजेश्वर टेम्पल, बीच आदि अत्यन्त मनोरम एवं दर्शनीय स्थल हैं। राजेश्वर टेम्पल हिन्दु एवं बौद्ध संस्कृति का अभिनव सम्मिश्रण है। यहाँ भगवान बुद्ध की मूर्तियों के साथ हिन्दु देव-देवियों की मूर्तियाँ भी स्थापित की गई हैं। यह सभी स्थान श्रीलंका के प्रसिद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक महत्व के स्थान हैं, इनमें से अधिकांश को विश्व धरोहर घोषित किया गया है।

जम्बूरी की थीम– जम्बूरी की थीम 'टुगेदर फॉर अ बैटर वर्ल्ड' (एक बेहतर विश्व के लिए साथ-साथ) अत्यन्त प्रेरणादायक थीम थी। एशिया के विभिन्न देशों से आये हुए स्काउट्स मिलजुल कर वैश्विक साहचर्य एवं सहयोग की भावना के साथ कार्य कर रहे थे।

देशों की सीमाएँ जैसे ध्वस्त होकर एवं विशाल संसार में परिवर्तित हो गईं थीं। पहली बार यह अनुभूति हुई कि विश्व को जोड़ने का कार्य यदि कोई कर सकता है तो वह है स्काउटिंग।

देश एवं राज्य का प्रतिनिधित्व– जम्बूरी के उद्घाटन के अवसर पर हाथों में तिरंगा थामे जब भारतीय दल के सदस्य प्रांगण में पंक्तिबद्ध होकर आये तो भारतीय होने के नाते सर गर्व से तन गया। हम अपने आपको भारत का सांस्कृतिक राजदूत महसूस करने लगे। अपने देश की सभ्यता, संस्कृति, मूल्यों एवं परम्पराओं का प्रतिनिधित्व करने का अवसर पाकर हम अत्यन्त गौरवान्वित अनुभव कर रहे थे।

स्मरणीय अनुभव– हमारा इस जम्बूरी में भाग लेना जीवन पर्यन्त का सुखद अनुभव बन गया। हमारे स्काउट्स एवं गाइड्स ने विभिन्न देशों के अनेकों स्काउट्स एवं गाइड्स से मित्रता की। नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, आस्ट्रेलिया, चीन, जापान आदि देशों के स्काउट्स एवं गाइड्स के साथ अपने अनुभवों, परम्पराओं आदि की जानकारी साझा करते हुए इन्होंने एक दूसरे के साथ उपहार, स्मृतिचिह्न आदि का आदान-प्रदान भी किया। जब भी हम अन्य देशों के स्काउट्स एवं गाइड्स से मिलते तो उनकी भाषा से अनभिज्ञ होने पर भी उनके प्रति आत्मीयता एवं अपनेपन की भावना का संचार होने लगता। हम सब मुस्कुराहट की भाषा के माध्यम से अपने हृदय की ऊष्मा को सम्प्रेषित कर रहे थे। सभी स्काउट्स एवं गाइड्स अपने आपको भारतीय, जापानी या नेपाली समझने की जगह विश्व नागरिक समझने लगे थे। वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा दाम्बुल्ला के जम्बूरी स्थल पर साकार दिखाई दे रही थी। एक जैसी वेश-भूषा, एक जैसी गतिविधियाँ, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, समानभाव, समान विचार, अद्भुत एकता। सारी विभिन्नताएँ जैसे समाप्त हो गई और एक नए विश्व का निर्माण हो गया था। कहीं कोई सम्प्रदायिक विद्वेष नहीं, कहीं कोई राजनैतिक प्रतिबद्धताओं द्वारा जनित पूर्वाग्रह एवं घृणा का भाव नहीं।

तभी एक विचार मन में कौंधा। क्यों नहीं हम स्काउटिंग को शिक्षा का अनिवार्य अंग, उसका आधार बना देते? समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा विषय के स्थान पर स्काउटिंग को प्रतिस्थापित कर देते? स्काउटिंग का उद्देश्य भी तो तत्परता, आत्मनिर्भरता, कर्मठता एवं सेवा ही है। संभवतः एस.यू.पी.डब्लू के उद्देश्यों को स्काउटिंग अधिक सक्षम ढंग से पूर्ण कर सके। हमें एक नवीन दृष्टिकोण प्रदान कर सके।

गर्व के पल– हमारी जम्बूरी में भाग लेने की प्रसन्नता तब द्विगुणित हो गई जब लेखक को 'द मोस्ट डेडिकेटेड आई.एस.टी.' मेम्बर घोषित किया गया एवं हमारे ही दल के स्काउट प्रत्युष शर्मा को सर्वप्रथम जम्बूरी अवार्ड प्रदान किया गया। इस दोहरी उपलब्धि को प्राप्त कर हमें हमारे देश एवं प्रान्त राजस्थान पर अत्यन्त गर्व हुआ।

समापन– जम्बूरी का समापन दिनांक 06 अप्रैल को रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ। श्रीलंका में विभिन्न देशों के विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले एवं विभिन्न भाषा बोलने वाले, लोगों के बीच बिताए गए इस अवसर पर ही एहसास मन में रहा कि स्काउटिंग ही एक ऐसा आन्दोलन है जो विभिन्नता में एकता स्थापित कर सकता है एवं युवा लोगों को मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान कर एक बेहतर विश्व का निर्माण करने में उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त कर सकता है।

–प्रधानाचार्य
चन्द्राज पब्लिक सी.सै. स्कूल, सोजत रोड (पाली)

संशोधन

शिविरा पंचांग 2012-13 माह अप्रैल 2013 में चेटीचण्ड अवकाश - 11 अप्रैल, रामनवमी अवकाश - 19 अप्रैल और महावीर जयन्ती अवकाश - 24 अप्रैल को है।

जुलाई 2012 में प्रकाशित शिविरा पंचांग में लाल स्याही में प्रकाशित तिथियाँ अप्रैल 12, 20 और 23 के स्थान पर **11, 19 तथा 24 अप्रैल** को ही लाल स्याही में भी सही अवकाश तिथि मानें। संशोधन स्वीकारें।

स्वराज

मेरी जाँ न रहे मेरा सर न रहे,
सामां न रहे न ये साज़ रहे।
फ़कत हिन्द मेरा आज़ाद रहे
मेरी माता के सर पर ताज रहे।
सिख, हिन्दू, मुसलमाँ एक रहें,
भाई-भाई सा रस्म रिवाज़ रहे।
गुरु-ग्रन्थ कुरान-पुरान रहें,
मेरी पूजा रहे औ नमाज़ रहे।
मेरी टूटी मड़ैया में राज रहे,
कोई गैर न दस्तन्दाज[1] रहे।
मेरी बीन के तार मिले हों सभी,
इक भीनी मधुर आवाज़ रहे।
ये किसान मेरे खुशहाल रहें,
पूरी हो फसल सुख-साज रहे।
मेरे बच्चे वतन पे निसार[2] रहें,
मेरी माँ बहिनों की लाज रहे।
मेरी गायें रहें, मेरे बैल रहें,
घर-घर में भरा सब नाज रहे।
घी-दूध की नदियाँ बहती रहें,
हरसू आनन्द स्वराज रहे।
माधो की है चाह खुदा की कसम,
मेरे बादेवफात[3] ये बाज रहे,
खादी का कफ़न हो मुझ पे पड़ा,
'वन्दे मातरम्' अलफाज़ रहें।

–माधव शुक्ल

1. हस्तक्षेप करने वाला
2. निछावर 3. मृत्यु के बाद

(साभार : लोकवार्ता, जयपुर)

सहायक कर्मचारी की भूमिका

❑ कन्हैयालाल किराड़ू

कहने को तो मैं सहायक कर्मचारी हूँ मैं किसका कितना सहायक हूँ और कौन मेरा कितना सहायक है, यह तो ऊपर वाला ही जाने।

प्रशासनरूपी बहुत बड़े यंत्र का एक नन्हा सा पुर्जा हूँ। मुझे इस बड़े यंत्र का छोटा सा पुर्जा होने पर गर्व है। जब मैं किसी कार्यालय में कार्यरत रहता हूँ तो कोशिश करता हूँ अपना काम पूरा जी-जान लगाकर करूँ। आपको हँसी आ रही होगी, आज के समय में तो सरकारी कर्मचारी को लेकर आम आदमी की धारणा कुछ अलग ही है। नहीं पाँचों अंगुलियाँ एक सी नहीं होती।

आदमी अच्छा बुरा नहीं होता उसके कार्य हमें अच्छे बुरे लगते हैं अगर हम अपने कार्य को सेवा के रूप में करते हैं तो बदले में जो आनन्द मिलता है वह किसी भी भौतिक वस्तु के मूल्य से अधिक यानी अमूल्य होता है।

मुझे गर्व है कि मुझे प्रशासन में सहायक कर्मचारी के रूप में सेवा देने का अवसर मिला। इस संवर्ग के लोगों ने अपने कार्य को सबसे पहली प्राथमिकता दी अपना सुख, अपनी सुविधा क्या होता है, सोचने का जिन्हें समय भी नहीं मिला, ऐसे-ऐसे सहायक कर्मचारियों का सेवा विवरण सुन मेरी छाती गर्व से फूली नहीं समाती। साहब के आने से पहले ऑफिस में आना और उनके जाने के बाद ही जाना, चेहरे पर शिकन तक न लाना, घर को घर में ही छोड़कर कार्यालय में आकर कार्यालय का ही हो जाना यह हमारे अग्रजों ने हमें सिखाया।

अक्सर बड़े-बड़े लोगों को मैंने समय की कमी का, व्यस्तता का, कार्य बोझ की अधिकता का बेसुरा राग गाते सुना है। बड़ा वेतन पाते हुए भी, खूब कार्य करते हुए भी उनके मन की अशांति का कारण मुझे समझ में नहीं आया। हो सकता है मुझमें समझने की क्षमता भी नहीं है। क्योंकि ज्यादातर हम सहायक कर्मचारी या तो अंगूठा छाप होते हैं... और कोई पढ़ा-लिखा हो तो आठवीं, दसवीं पास ...

पढ़ाई नहीं कर पाना अलग बात है परन्तु समझ का होना... न होना... खैर छोटे मुँह बड़ी बात मुझे शोभा नहीं देती। एक साहब ने मुझे कहा था कि मैं तो मुँह से कम आँखों से ज्यादा बोलता हूँ। मैं तो बोल ही कहाँ पाता हूँ। अल्प वेतनभोगी.... नहीं, नहीं आजकल पहले वाली बात तो नहीं परन्तु कार्यालय में जितने भी लोग काम करते हैं उन सभी में तो अल्प वेतनभोगी हूँ ना ! हाँ... बोलने में वेतन कब आड़े आता है, बोलना वेतन से थोड़े ही जुड़ा है। मुझे बोलने में हमेशा ही संकोच होता है परन्तु सोचता मैं बहुत हूँ। कई दिनों से अपने बारे में अपने सेवा कार्यों के बारे में सोच रहा हूँ मैंने यह भी सोचा कि अच्छे बड़े लोग हमारे संवर्ग के लोगों को कार्यालय का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। पर मैंने इनके बारे में न तो कहीं ज्यादा पढ़ा, लिखने का तो विचार आते ही लगा यह काम तो अपना है ही नहीं। मैं कोई लेखक थोड़े ही हूँ मैं तो हूँ एक साधारण सा सहायक कर्मचारी क्या लिखूँगा, कैसे लिखूँगा फिर अपने लोगों पर लिखने से पहले कितना सोचना पड़ता है। सोचता तो मैं बहुत हूँ तो चलो आज मन की बात कर ही लूँ।

मेरा तो स्पष्ट मानना है कि कार्य कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। हमें कार्यालय अथवा बच्चों की शाला में सहायक कर्मचारी के रूप में कार्य करने का अवसर मिला है तो इसे बहुत बड़ा सौभाग्य मानना चाहिए। बहुत से लोग नौकरी को वेतन, भत्ता, जिम्मेदारियों, अधिकारों से जोड़कर देखते हैं। परन्तु एक सहायक कर्मचारी को अन्य कर्मचारियों की तरह वेतन भत्ता आदि मिलने के साथ-साथ 'सेवा' करने का अनोखा अवसर भी मिलता है।

यदि सहायक कर्मचारी विद्यालय में कार्यरत है तो वहाँ कार्य करते-करते वो नई ऊर्जा भी प्राप्त करता है। एक सहायक कर्मचारी के सेवा-कार्य से अन्य लोग भी ऊर्जा पा सकते हैं। गाँवों में बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जहाँ के विद्यार्थी तथा आम ग्रामीण शाला के संस्था प्रधान को जानते हैं या फिर सहायक कर्मचारी को। शाला में प्रवेश, पढ़ाई आदि को लेकर शाला के प्रधान की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है वहीं विद्यार्थियों से आत्मीयता और अपने सेवा के भाव से सहायक कर्मचारी विद्यालय में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करते हैं। सहायक कर्मचारी भी स्कूल के बच्चों में अपने परिवार का भाव रखते हुए उनको तरह-तरह की हिदायतें देते रहते हैं। सही मायने में सहायक कर्मचारी अभिभावकों के प्रतिनिधि के रूप में भी शाला में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गाँव के विद्यालयों में विद्यार्थियों की पढ़ाई, खेल सम्बन्धी और अन्य समस्याएँ सहायक कर्मचारी चुटकियों में हल कर देते हैं अथवा हल करवाने में सहायक हो जाते हैं। विद्यालय प्रांगण में पौधारोपण हो चाहे नव पल्लवित वाटिका का संरक्षण–जीवट वाले सहायक कर्मचारी का योगदान सदैव अविस्मरणीय रहता है। सहायक कर्मचारी सदैव सेवा कार्य में जुटा रहता है, परन्तु कभी-कभी वह भी मायूस हो जाता है। कभी-कभी वह भी दुःखी हो जाता है। कभी-कभी वह भी कार्य के प्रति अपनी संवेदनाओं में सीमा महसूस करता है।

'... सभी लोग ऐसा कर रहे हैं फिर मैं अकेला क्या कर लूँगा या मेरे अकेले के करने से क्या होगा?' ऐसे विचार उसे भी अनेक बार विचलित करते हैं। उसके कर्तव्य मार्ग में रोड़ा बनकर बाधा खड़ी करते हैं परन्तु जीत सत्य की ही होती है। कुछ घटनाएँ असहज कर सकती हैं। परन्तु घटनाओं के अच्छे बुरे होने के बाद भी जीवन बहुत बड़ा होता है। जहाँ भी रहकर, जिसका समय श्रेष्ठ तरीके से अपना कार्य करते हुए बीता उसके मन पर कोई बोझ नहीं रहा। कहने को कोई सहायक कर्मचारी कार्यालय में कार्य करे या विद्यालय में असल में वह लोगों के दिल में कार्य करता है। लोग उसके (सहायक कर्मचारी) दिल में रहते हैं। शाला के बच्चे उसके अपने होते हैं। कार्यालय का हर कर्मचारी अधिकारी उसका अपना होता है। ऐसा सहायक कर्मचारी हर कार्यालय में है हर शाला में है। कोई उसके कार्य का सम्मान करता है तो कोई उसके अपनेपन का।

सहायक कर्मचारी व्यवस्था में बहुत कुछ नहीं लेकिन सभी के लिए कुछ-कुछ तो होता ही है..... शेष फिर।

–पुत्र श्री पूनम चन्द किराड़ू
रत्ताणी व्यासों का चौक, बीकानेर

नेत्र की संरचना और नेत्रदान

❑ अशोक गुप्ता

मनुष्य के शरीर में पाँच प्रकार की ज्ञानेन्द्रियाँ पाई जाती हैं– स्पर्शेन्द्रिय (त्वचा), स्वादेन्द्रिय (जीभ), घ्राणेन्द्रिय (नाक), श्रवणेन्द्रिय (कान) व दर्शनेन्द्रिय (नेत्र)। ये सभी ज्ञानेन्द्रियाँ बाह्य वातावरण से प्राप्त होने वाले विभिन्न उद्दीपनों को ग्रहण कर, मस्तिष्क तक पहुँचाती हैं। दर्शनेन्द्रिय को नेत्र या आँख कहा जाता है, जो 'देखने' का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं।

मनुष्य के शरीर में एक जोड़ी नेत्र पाये जाते हैं, जो शरीर की अधर सतह पर, चेहरे में ललाट के नीचे और नाक के ऊपर स्थित होते हैं। वास्तव में प्रत्येक नेत्र, लगभग 2.5 सेन्टीमीटर व्यास की छोटी गेन्दनुमा संरचना होती है, जिसे 'नेत्रगोलक (Eyeball)' भी कहा जाता है। प्रत्येक नेत्रगोलक, हमारी खोपड़ी में स्थित गड्ढे, 'नेत्र कोटर' में स्थित होते हैं। प्रत्येक नेत्र गोलक को, नेत्र कोटर में ऊपर-नीचे, दाँयें-बाँयें हल्का सा घुमाया जा सकता है, इसके लिए नेत्र गोलक से नेत्र कोटर तक 6 प्रकार की पेशियाँ जुड़ी रहती हैं, जिसे 'दृक पेशियाँ' (Optic muscles) कहते हैं। यदि इनमें से एक भी पेशी छोटी या बड़ी हो जाये तो नेत्रगोलक एक ओर झुका हुआ दिखाई देता है, जिसे 'भेंगापन' (Strabismus) कहा जाता है। नेत्रगोलक का 4/5 वाँ भाग, नेत्रकोटर में अन्दर धँसा रहता है और हमें केवल 1/5 वाँ भाग ही सामने से दिखाई देता है, जो सफेद व पारदर्शी होता है, इसे 'कोर्निया' कहा जाता है। पलकें, बरौनियाँ, ग्रन्थियाँ, दृक पेशियाँ व दृक/दृष्टि तंत्रिका, नेत्र के सहायक अंग हैं।

प्रत्येक नेत्रगोलक को सामने से दो चल व गतिशील 'पलकें (Eyelids)' ढके रहती है। पलकों के किनारों पर छोटे-छोटे बाल पाये जाते हैं, जिन्हें 'बरौनियाँ' (Eyelashes) कहते हैं। पलकें व बरौनियाँ, नेत्र में धूल के कण, तीव्र प्रकाश किरणों व अन्य वस्तुओं के प्रवेश से सुरक्षा प्रदान करती है। नेत्र में तीन प्रकार की ग्रन्थियाँ पाई जाती हैं। बरौनियों के पिछले हिस्से में

'जॉइस ग्रन्थियाँ' पाई जाती हैं, जो पलकों के बालों को चिकना बनाये रखती है। दोनों पलकों के किनारों के समकोण पर 'माइबोमियन ग्रन्थियाँ' पाई जाती हैं, जिनसे निकला स्राव, नेत्रगोलक को नम व चिकना बनाये रखता है। प्रत्येक नेत्र के बाहरी कोने पर 2-3 जोड़ी 'अश्रु ग्रन्थियाँ' (Lacrymal glands) पाई जाती हैं, जो 'अश्रु या आँसू' स्रावित करती हैं। आँसुओं में जल, लवण, श्लेष्मा व कीटाणुनाशक 'लाइसोजाइम' एन्जाइम पाया जाता है। नवजात शिशु में चार माह तक अश्रु ग्रन्थियाँ विकसित नहीं होती, इसीलिए लगभग चार माह तक के शिशु के रोने पर आँसु नहीं आते। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य में नेत्र के भीतरी कोने पर एक 'अवशेषी' तीसरी पलक (घुण्डीनुमा) और पाई जाती है, जिसे 'निमेषक झिल्ली' (Plica semilunaris) कहा जाता है। दोनों पलकों की भीतरी त्वचा एक पारदर्शक पतली झिल्ली के रूप में उलटकर, कोर्निया के ऊपर चिपकी रहती है, जिसे 'कन्जक्टिवा' कहा जाता है।

एक नेत्रगोलक की आन्तरिक संरचना– प्रत्येक नेत्रगोलक अन्दर से खोखला होता है, जिसके अन्दर नेत्रोद द्रव व काचाभद्रव भरा होता है। नेत्रगोलक की भित्ति तीन प्रकार की परतों से बनी होती है। बाहर से भीतर की ओर इन्हें क्रमशः दृढ़ पटल, रक्तक पटल एवं दृष्टि पटल कहा जाता है। सामने दिखाई देने वाले भाग पर इन परतों के नाम बदल जाते हैं।

1. दृढ़ पटल (Sclerotic)– यह नेत्रगोलक की दीवार का सबसे बाहरी भाग होता है। बाहर की ओर उभरा हुआ पारदर्शी सफेद भाग 'कोर्निया' कहलाता है, जबकि शेष अन्दर धँसा हुआ भाग मजबूत तंतुनुमा संयोजी ऊतकों का बना होता है, जो नेत्रगोलक का 'आकार' बनाये रखता है तथा इसी से 'दृक पेशियाँ' जुड़ी होती हैं।

2. रक्तक पटल (Choroid)– यह नेत्रगोलक की दीवार का मध्य स्तर होता है, जिसमें 'मेलेनोफोर्स' नामक रंग कणिकाएँ पाई जाती हैं, जो काली, भूरी या नीली होती हैं। रक्तक पटल में रक्त कोशिकाओं का सघन जाल पाया जाता है, इसीलिए इसे 'रक्तक पटल' कहा जाता है। कोर्निया क्षेत्र को छोड़कर, यह स्तर दृढ़ पटल से चिपका रहता है। कोर्निया क्षेत्र में अर्थात् सामने की ओर यह स्तर, एक गोलाकार पट्टी बनाता है, जिसे 'आइरिस या उपतारा' कहा जाता है। आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है जिसे 'पुतली या तारा' (Pupil) कहा जाता है। आइरिस की आधार रेखा पर 'सिलियरी बॉडी' पाई जाती है, जिसमें वर्तुल व अरीय पेशियाँ पाई जाती हैं, जिनके द्वारा आइरिस के छिद्र का व्यास घटाया-बढ़ाया जा सकता है। सिलियरी बॉडी से अनेक महीन लचीले 'निलम्बन स्नायु' निकलते हैं जो नेत्रगोलक की गुहा में स्थित 'लैंस' से जुड़े रहते हैं। यह लैंस पारदर्शी व लचीला होता है एवं उभयोत्तल (Biconvex) होता है।

3. दृष्टि पटल (Retina)– यह नेत्रगोलक की दीवार का सबसे भीतरी, पतला व कोमल स्तर होता है, जिसे मूर्ति पटल या श्वेत पटल भी कहा जाता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिम्ब रेटिना पर ही बनता है। दृष्टि पटल स्वयं दो स्तरों में विभक्त होता है, बाह्य पतले स्तर को 'रंगा स्तर' एवं भीतरी मोटे स्तर को 'संवेदी स्तर' कहा जाता है। संवेदी स्तर में तीन प्रकार की परतें पाई जाती हैं– (a) शलाका व

शंकु परत (b) द्विध्रुवीय तंत्रिका-कोशिका परत व (c) तंत्रिकागुच्छिकीय परत। शलाकाओं में 'रोडोप्सिन' नामक वर्णक तथा शंकुओं में 'आयोडोप्सिन' नामक वर्णक पाये जाते हैं। शलाकाओं से हमें प्रकाश व अंधकार का तथा शंकुओं से रंगों का ज्ञान होता है। नेत्र गोलक के ठीक मध्य अक्ष वाले दृष्टिपटल के भाग को 'मेकूला ल्यूटिया' या पीत बिन्दु (yellow spot) कहा जाता है। इसी भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिम्ब बनता है। पीत बिन्दु के ठीक नीचे एक 'अंध बिन्दु' (Blind spot) होता है। इसी स्थान से दृष्टि तंत्रिकाएँ निकलती हैं, जो मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं।

नेत्र गोलक खोखला होता है। कोर्निया व लैंस के मध्य एक पारदर्शक जलीय द्रव या 'नेत्रोद द्रव' भरा रहता है, जबकि लैंस व रेटिना के मध्य एक गाढ़ा 'काचाभ द्रव' भरा रहता है।

देखने की क्रियाविधि– नेत्र, एक कैमरे की तरह ही कार्य करता है। जिस प्रकार साफ प्रतिबिम्ब प्राप्त करने के लिए कैमरे के बाइकॉन्वेक्स लैंस को आगे-पीछे करके 'फोकस दूरी' को घटाया बढ़ाया जाता है, उसी प्रकार नेत्र में लैंस की आकृति में परिवर्तन करके, फोकस दूरी को समायोजित किया जाता है। आइरिस, कैमरे के डायाफ्राम की भाँति, पुतली के व्यास को घटा-बढ़ाकर अन्दर आने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। जब दूर की वस्तु देखनी हो तो निलम्बन स्नायु के माध्यम से लैंस अधिक 'चपटा' हो जाता है, और निकट की वस्तु देखनी हो तो लैंस छोटा व मोटा अर्थात् 'अधिक उत्तल' हो जाता है। किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें, कोर्निया, जलीय द्रव व आइरिस के छिद्र से होती हुई, लैंस तक पहुँचती है और फिर ये किरणें 'अपवर्तित' होकर रेटिना में पहुँचती हैं। रेटिना के 'पीत बिन्दु' पर उस वस्तु का 'छोटा, उलटा व वास्तविक प्रतिबिम्ब' बनता है। प्रतिबिम्ब बनते ही रेटिना की संवेदी तंत्रिकाएँ उत्तेजित होकर इसका सन्देश, दृष्टि तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क तक पहुँचा देती है। मस्तिष्क के 'दृष्टि-पिण्डों' में यह प्रतिबिम्ब 'सीधा होकर' अपने वास्तविक आकार-प्रकार का हो जाता है, और हमें देखने का ज्ञान हो जाता है। दोनों नेत्रों में किसी भी वस्तु का एक ही प्रतिबिम्ब बनता है, इसलिए मनुष्य की दृष्टि को 'द्विनेत्रीय दृष्टि' (Binocular vision) कहा जाता है। मनुष्य के सामान्य नेत्र, '20 इंच से 20 फीट' तक स्पष्ट देख सकते हैं। मनुष्य में नेत्रों से सम्बन्धित कई रोग हो जाते हैं, जैसे निकट दृष्टिदोष, दूर दृष्टिदोष, जरादृष्टि दोष, वर्णान्धता, भेंगापन, मोतियाबिन्द, कालापानी, रतौंधी, ट्रेकोमा, जीरोत्थेल्मिया, आई फ्लू इत्यादि। नेत्र से सम्बन्धित चिकित्सा विज्ञान की शाखा को opthalmology कहा जाता है।

'नेत्रदान' – कब, कहाँ, क्यों और कैसे? भारतीय संस्कृति में किसी वस्तु का दान करना, अत्यन्त प्राचीन परम्परा रही है। धनदान, अन्नदान, गोदान, वस्त्रदान, कन्यादान तो हजारों वर्षों पूर्व से ही प्रचलन में है, किन्तु अब

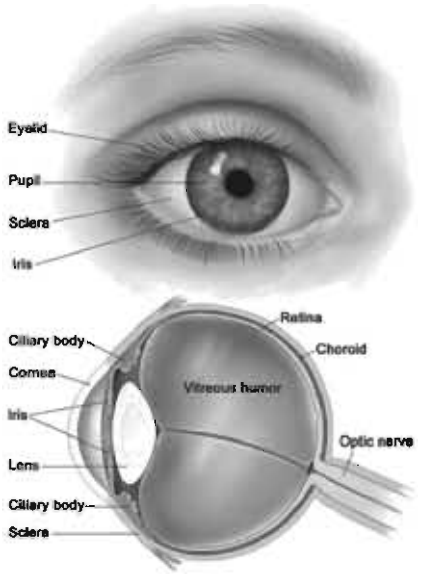

जमाना आ गया है– देहदान, गुर्दादान, रक्तदान, वीर्यदान और नेत्रदान का। सूरज की किरणें, तारों भरी रात, हरी भरी घास, कल-कल करते झरने, रंग-बिरंगे फूल, चंद्रमा की चाँदनी और प्राकृतिक सौन्दर्य देखकर किसे आनन्द नहीं आता, लेकिन संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें यह सब देखना नसीब नहीं होता। ऐसे 'दृष्टिहीन' लोगों को यदि 'नेत्रदान' किया जाये, तो यह निश्चित ही 'महादान' कहलाएगा और आप भी नेत्रदान कर 'मरणोपरान्त' भी याद किये जाते रहेंगे और मरणोपरान्त आपकी आँखों से 'कोई दो' दृष्टिहीन व्यक्ति जीवनभर रोशनी पाकर आपका गुणगान करते रहेंगे।

नेत्रदान करना अत्यन्त आसान कार्य है। हमारे देश में एक 'आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इण्डिया' नामक संस्था बनी हुई है, जिससे सम्बद्ध देश में कई 'आई बैंक' हैं। किसी भी निकटवर्ती आई बैंक या जिला अस्पताल में अथवा किसी एन.जी.ओ. के माध्यम से नेत्रदान का घोषणा पत्र भरकर रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। नेत्रदान की घोषणा कर अपने परिजनों को इस बारे में अवश्य बताया जाना चाहिए। नेत्रदान करने वाला व्यक्ति किसी भी राष्ट्र, धर्म, जाति, लिंग अथवा किसी भी रक्त समूह का हो सकता है। चश्मा लगाने वाला व्यक्ति एवं मोतियाबिन्द का ऑपरेशन करा चुका व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है। आई बैंक में नेत्रदान करने वाले व्यक्तियों की सूची तथा वाँछित दृष्टिहीन व्यक्तियों की सूची, दोनों रखी जाती है।

नेत्रदान केवल 'मरणोपरान्त' ही प्राप्त किया जाता है तथा मृत्यु के 6 से 8 घण्टों के अन्दर एक छोटे से ऑपरेशन द्वारा नेत्रों के केवल 'कोर्निया' वाले भाग को ही निकाला जाता है। दोनों नेत्रों के कोर्निया को निकालकर 'एम.के. मीडियम' नामक द्रव में सुरक्षित रखा जाता है और इन्हें 24 से 48 घण्टों के भीतर किन्हीं दो नेत्रहीन व्यक्तियों के शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु जहर से हुई हो अथवा जो एड्स, कैंसर, टिटनेस, रेबीज, सेप्टिसिमिया, हिपेटाइटिस, गेंग्रीन इत्यादि रोगों से पीड़ित हो, उनसे नेत्रदान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सन् 1905 में प्रथम कोर्निया प्रत्यारोपण का सफल प्रयोग किया गया था।

नेत्रदान के प्रति जनजागरूकता लाने हेतु प्रतिवर्ष 10 जून को 'अन्तर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस' तथा अक्टूबर माह के द्वितीय गुरुवार को 'विश्व दृष्टि दिवस' मनाया जाता है। भारत में भी प्रत्येक 8 सितम्बर को 'राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस' तथा **25 अगस्त से 8 सितम्बर तक 'राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा'** मनाया जाता है। नेत्रदान की विस्तृत जानकारी हेतु टॉल फ्री नम्बर 1919 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है। तो आइये, आप और हम सब मिलकर नेत्रदान के इस महाअभियान को सफल बनाएँ और दृढ़ विश्वास, पक्का इरादा तथा मरने के बाद भी किसी के काम आने के परोपकार का संकल्प लेकर, नेत्रदान का पुनीत कार्य करें तथा भारत देश में रहने वाले हजारों दृष्टिहीन व्यक्तियों के जीवन में नई रोशनी का संचार कर पुण्य कमाएँ।

(नोट :- लेखक सम्मानित शिक्षक हैं तथा सपत्नीक नेत्रदान की घोषणा कर चुके हैं।)

–प्राध्यापक,
'कृष्ण कुंज' 3F19, तलवण्डी, कोटा-5 (राज.)

अजन्मी बेटी का अपनी माँ के नाम खत

❑ देवकी नन्दन वैष्णव

मेरी प्यारी माँ मैं खुश हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप भी सुखी रहें। यह पत्र मैं इसलिए लिख रही हूँ। क्योंकि मैंने एक सनसनीखेज खबर सुनी है, जिसे सुनकर मैं सिर से पाँव तक काँप उठी हूँ।

स्नेहदात्री माँ ! आपको मेरे कन्या होने का पता चल गया और मुझ मासूम को जन्म लेने से रोकने जा रही हैं। यह सुनकर मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ भला मेरी प्यारी-प्यारी कोमल हृदय माँ ऐसा कैसे कर सकती हैं? कोख में पल रही अपनी लाडली के सुकुमार शरीर पर नश्तरों की चुभन एक माँ कैसे सह सकती है?

पुण्यशीला माँ ? बस, आप एक बार कह दीजिए कि यह जो कुछ मैंने सुना है। वह सब झूठा है। दरअसल यह सब सुनकर मैं दहल सी गई हूँ। मेरे तो हाथ भी इतने कोमल हैं कि इनसे डॉक्टर की क्लीनिक की तरफ जाते वक्त आपकी चुन्नी भी जोर से नहीं खींच सकती ताकि आपको रोक लूँ। मेरी बाँह भी इतनी पतली और कमजोर है कि उन्हें आपके गले में डालकर लिपट भी नहीं सकती।

मधुमय माँ ? मुझे मारने के लिए आप जो दवा लेना चाहती है। वह मेरे नन्हें शरीर को बहुत कष्ट देगी। स्नेहमयी माँ? मुझे बहुत दर्द होगा। आप तो देख ही नहीं पायेंगी, कि दवाई आपके पेट के अंदर मुझे कितनी बेरहमी से मार डालेगी। डॉक्टर की हथौड़ी कितनी क्रूरता से मेरी खोपड़ी के टुकड़े-टुकड़े कर डालेगी। उसकी कैंची मेरे नाजुक हाथ-पैर को काट डालेगी। अगर आप यह दृश्य देखती तो ऐसा करने का कभी सोचती भी नहीं।

सुखदात्री माँ ? मुझे बचाओ ... कृपा करो, दयामयी माँ मुझे बचाओ ... वह दवा मुझे आपके शरीर में इस तरह फिसला देगी, जैसे गीले हाथों से साबुन की टिकिया फिसलती है। भगवान के लिए माँ, ऐसा मत करना। मैं यह पत्र इसलिए लिख रही हूँ, क्योंकि अभी तो मेरी आवाज भी नहीं निकलती। कहूँ भी तो किससे और कैसे? मुझे जन्म लेने की बड़ी ललक है माँ। अभी तो आपके आँगन में मुझे नन्हें-नन्हें पैरों से छम-छम नाचना है। आपकी ममता भरी गोद में खेलना है।

चिन्ता नहीं कर माँ, मैं आपका खर्चा नहीं बढ़ाऊँगी। मत लाकर देना मुझे पायल .... मैं दीदी के छोटी पड़ चुकी पायल ही पहन लूँगी। भैया के छोटे पड़ चुके कपड़ों से तन ढाँक लूँगी। माँ बस एक बार ... एक बार मुझे इस कोख से निकलकर चाँद तारों से भरे आपके आसमान तले जीने का मौका तो दीजिए। मुझे भगवान की मंगलमय सृष्टि का विलास तो देखने दीजिए। मैं आपकी बेटी हूँ। आपकी लाडली शहजादी। मुझे अपने घर में आने दो माँ। बेटा होता तो आप पाल लेतीं फिर मुझमें क्या बुराई है? क्या आप दहेज के डर से मुझे नहीं चाहती? ना...ना आप दहेज से मत डरना। यह सब भुलावा है। कुछ कोशिश आप करना, कुछ मैं करूँगी। बड़ी होकर मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँगी। फिर दहेज क्या चीज है? इसका भय तो फुर्र हो जाएगा। देखना .....? मेरे हाथों पर भी मेंहदी रचेगी। शगुन भरी डोली निकलेगी और आपके आँगन से चिड़ियाँ बनकर मैं उड़ जाऊँगी आप, आज मुझे अभी से मत उड़ाइए। मैं आपका प्यार चाहती हूँ।

एक बेटे के लिए कई मासूम बेटियों की बलि देना कहाँ तक उचित है? आखिर यह महापाप भी तो आप, आपके चहेते बेटे के सिर पर ही चढ़ेगा। ना...ना... ऐसा कभी मत होने देना माँ, मेरी प्यारी माँ। बस अब कृपा करके मुझे जन्म दे दीजिए। मुझे मत मारिये। अपनी बगल की डाल पर फूल बनकर खिल लेने दीजिए।

–प्रधानाध्यापक, रा.उ.प्रा.वि., प्रेमनगर, चित्तौड़गढ़

सादगी

बात उस समय की है जब श्री लालबहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। एक बार वे कहीं जा रहे थे, रास्ते में उनकी गाड़ी चने के खेत के निकट से गुजरी। खेत में लहलहाते हरे चने के पौधे देखकर शास्त्री जी रोमांचित हो उठे। उनका मन ताजे और हरे चने खाने के लिए लालायित हो उठा। उनकी इच्छा देखकर उनके साथ चल रहे दो व्यक्ति तुरन्त चने तोड़कर लाने के लिए चल पड़े। उन्हें चने के खेत की तरफ जाते देख शास्त्रीजी ने पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हो? यह सुनकर वे बोले, सर, हम आपके लिए चने लेने जा रहे हैं। इस पर शास्त्री जी ने कहा– क्या आपने खेत के मालिक से चने तोड़ने के लिए आज्ञा ले ली है? दोनों बोले– नहीं सर, खेत के मालिक से हमने आज्ञा नहीं ली है। परन्तु देश के प्रधानमंत्री के लिए आज्ञा लेने की क्या जरूरत है? यह सुनकर शास्त्रीजी दृढ़ता से बोले– बिना मालिक की आज्ञा के कोई भी मेरे लिए चने तोड़कर नहीं लाएगा। बिना पूछे किसी की वस्तु लेना न केवल चोरी है, अपितु अपराध भी है। बिना खेत के मालिक की आज्ञा के मैं चने नहीं खा सकता।

शास्त्री जी का कड़ा रुख देखकर प्रधानमंत्री जी के आदमी खेत के मालिक को ढूँढ़कर शास्त्रीजी के पास ले आये। शास्त्रीजी ने खेत के मालिक किसान से थोड़े से हरे चने माँगे। यह सुनकर किसान हैरान होते हुए बोला– महाराज, यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इतना कहकर किसान खेत की तरफ गया और तुरन्त काफी चने तोड़कर शास्त्रीजी के पास पहुँचा और भाव-विभोर होते हुए बोला– आप जैसे देवता के दर्शन पाकर आज मेरा जीवन धन्य हो गया। शास्त्री जी किसान की इस बात पर मुस्कुरा दिये। फिर उससे चने लेकर उसकी पीठ थपथपाई और अत्यन्त मनुहार पूर्वक आदर के साथ उस किसान को 50 रु. का नोट देकर कहा कि इससे बच्चों के लिए मिठाई लाकर उन्हें दे देना। लगभग 46 साल पहले सामान्य व्यक्ति को 50 रु. कमाने में 3-4 दिन लग जाते थे। वह किसान ठगा सा प्रधानमंत्री जी की सादगी, उदारता और विनम्रता को देखता रह गया।

–अचलचन्द जैन, गाँधी मुहतों का बास, सायला, जालोर

मनुष्य; *शिव सिंह भाटी 'हाडला'; सुकीर्ति प्रकाशन कैथल (हरियाणा); संस्करण : 2010; पृष्ठ संख्या : 96; मूल्य : 150 रुपये।*

मनुष्य और मनुष्यता को शिद्दत से जानने और तत्सम्बन्धी मूल्यों को प्रस्थापित करने का संजीदा प्रयास है कहानी संग्रह 'मनुष्य'। कहानीकार की प्रथम कृति होने के बावजूद यह कहने में कतई शक नहीं है कि शिव सिंह भाटी को कहानी की अच्छी समझ है और यही कारण है कि उनकी कहानियों में कहानीपन की अविरल पदचाप सुनाई देती है। यही पदचाप मनुष्य के जाने-अनजाने तमाम उपक्रमों के माध्यम से लोक के दुनियावी मनुष्य की भीतरी उलटबांसियों को सुलझाने हेतु कहानी के पात्रों, कथ्य, शिल्प और कथोपकथन के हवाले प्रयास करती दिखती है। प्याज के छिलके की तरह पल-प्रतिपल बदलते मानवीय रिश्तों, मुखौटों और आचरण के स्तर पर मनुष्य के भीतरी और बाहरी रूप का वास्तविक भेद की जद्दोजहद ही इन कहानियों को लोक से जोड़ती है। कुल मिलाकर मनुष्य के अन्तर्मन का सार्वजनीकरण ही इन कहानियों का मूलाधार है।

इस संग्रह में परम्परागत आदर्शवादी और आधुनिक विषय मनोविज्ञान दोनों ही रूपों को कहानियों में अंगीकार किया गया है। शिक्षा का महत्त्व प्रतिपादित करती कहानी 'साक्षरता' जहाँ मनुष्य के मूकपन से शिक्षा का आलोक प्राप्त कर अभिव्यक्ति का माध्यम बनती दिखती है, वहीं मध्यकालीन भारत में धनबल, सत्ताबल और बाहुबल के चलते किस प्रकार लड़ाकों की फौज तैयार की जाती थी, का लेखा-जोखा है।

स्वार्थ, लिप्सा और मदांध दुर्जन के माध्यम से कहानीकार ने आज के दुर्जनों का चित्रण ऐतिहासिक कथाबंध के माध्यम से कहानी 'पथभ्रष्ट' में किया है, जो अपने लाभ और मन की योजनाओं को साकार रूप देने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। लोक मंगल और आम आवाम उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। इसीलिए तो यह कथित सम्भ्रांत व शिक्षित समाज बेबस, लाचार, विवशता और बेचारगी से घिरे किसी वृद्ध को पशुवत मारकर उसके भीतरी 'दर्द' को बढ़ा देता है और क्या हम 'मनुष्य' हैं, का यक्ष प्रश्न खड़ा कर देता है।

मानवता के धाड़ेती आज पग-पग शालीनता और सभ्यता की प्रेरक परमा गुर्जर के कलेजों को दरकाते रहते हैं, तिड़काते रहते हैं। जब-जब भी मक्कारी, झूठ, छल व प्रपंच का बोलबाला बढ़ता है तो पता चल जाता है कि 'छपनिया अकाल' आ गया है। यह अकाल मनुष्यता को लील जाता है और मानवता लीर-लीर चिथड़े से अपने वजूद को ढांपे रखने का दुष्कर प्रयास करती है। ऐसे माहौल में वक्त की नुमाइंदगी किसी न किसी ठाकुर भूप सिंह को करनी ही पड़ती है। यही कहती है कहानी 'छपनिया अकाल'।

इसी प्रकार सामाजिक सरोकारों व विचलनों का जिक्र अन्य कहानियों 'फिसलन', 'हजार पाया' और 'इन्तजार' कहानियों में है। मानव मन की ईर्ष्या व जलेसी की प्रवृत्ति रिश्तों-नातों व स्वतः स्फूर्त संवेदनाओं को किस प्रकार लील जाती है और यह कैसे संक्रामक बीमारी का रूप ले लेती है, यही बताती है कहानी 'सबक'।

इस संग्रह में एक बेहद खूबसूरत मनोवैज्ञानिक कहानी है 'त्रासदी'। डागदर साहब के माध्यम से कहानीकार ने आम मनुष्य के भीतरी मर्द की संवेदनाओं को अभिव्यक्ति दी है। कहने को तो हम जाति-पाँति में भेद करने में लगे रहते हैं परन्तु स्त्री आकर्षण इन तमाम झमेलों और लौकिक लोकाचारों को परे हटाकर सम्भ्रांत और प्रतिष्ठित व्यक्ति भी किस प्रकार अपने स्टेटस और स्तर को भूल कर आग्रही हो उठता है एक आम नारी से एकांत मिलन को लेकर, यही मनोवैज्ञानिक पड़ताल करती है 'त्रासदी'? इस कहानी का कथ्य, कथाबंध, कथारस और भाषा सभी कुछ पाठक को अपने साथ समेट लेने में समर्थ है।

ये सभी कहानियाँ राजस्थान की जिस पृष्ठभूमि की है, यदि इनका भाषा माध्यम राजस्थानी होता तो और अधिक भीतर तक पैठती। कई कहानियों में गूदड़ी बिछाकर लेट जाने का जिक्र मिलता है पर गूदड़ी तो शायद बैठने के काम आती है, सोने के नहीं। सोने के लिए गूदड़ा प्रयुक्त होता है। कई कहानियों में कहानीकार पर कई जगह उनका चिन्तक मन व निबंधकार हावी हो गया है, इसी कारण 10-10 पंक्तियों तक कहीं पूर्ण विराम नहीं लगता। यह तो कहानीकार की भाषा में प्रवाह ही है जो पाठक को बाँधे रखता है परन्तु कथारस तो प्रभावित होता ही है।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कहानीकार भाटीजी के पास कहानी के तमाम उपकरण हैं और 'मनुष्य' मनुष्यता के मार्ग पर कहानी के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास करती दिखती है। संग्रह पठनीय है।

–रवि पुरोहित
79, सिविल लाईन्स, गांधी पार्क के सामने, बीकानेर

कोई तो है और अन्य कहानियाँ; *हनुमान दीक्षित, शारदा प्रकाशन, रानी बाजार, नोहर, जिला - हनुमानगढ़; प्रथम संस्करण : 2011; पृष्ठ संख्या : 96; मूल्य : 80 रुपये।*

मानवीय सरोकारों की छोटी-छोटी कहानियाँ जो समाज की उस आबादी के नाम समर्पित हैं, जो सदियों से शोषित, दमित व दूसरे दर्जे के जीवन को जीने के लिए अभिशप्त है, इस कहानी संग्रह में कहानीकार ने इन कहानियों में सशक्त व बेबाक लेखन दृष्टि, संवेदनशीलता, व्यंग्यात्मकता एवं सरल शब्दों में की गई जटिल भावों की अभिव्यक्ति व शब्दों के माध्यम से की गई चित्रात्मक प्रस्तुति इस कृति की लाक्षणिक विशेषता है, जो प्रबुद्ध पाठक को अन्दर तक झकझोर देती है।

माटी की गुल्लक कर्मचारी के पेशे के लोगों का नेताओं व स्वार्थी लोगों की मृग-मरीचिका में दम तोड़ती महत्वाकांक्षाओं से रचीबसी पठनीय कहानी है।

अहसास कहानी में संवाद बाहर का दर्द पीड़ा ही देता है मगर अन्दर का दर्द न जीने देता है न मरने। ऐसे विचार पाठक को सोचने पर मजबूर करते हैं कहानी यथार्थ के शब्द चित्रों में आकार लिये पठनीय है। नंगा पेड़ कहानी विचारोत्तेजक जीवन्त वर्णन को समेटे हुए पठनीय है। सबक कहानी सामाजिक बुराई व एड्स महामारी की भीषणता को प्रदर्शित करती है। पहाड़ कहानी में मजबूर सामाजिक जीवन की सच्ची विड़म्बना चित्रित होती है।

'कोई तो है' कहानी शीर्षक को सार्थक करती है।

इन 16 यथार्थवादी कहानियों के कथ्य, संवेदना, शिल्पगत बुनावट, पात्रानुकूल भाषा एवं संवाद इस कृति को निश्चय ही पठनीय बनाते हैं।

–सरदार सिंह चारण,
डाइट, जालोर

माह में पाँच बार इनहेलर से नहीं फूलेगा दम

नई दिल्ली। अस्थमा के शिकार मरीजों को सुबह-शाम इनहेलर लेने की जरूरत नहीं होगी, इसके लिए महीने में पांच बार लिया गया पंप ही काफी होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से चीन में किए गए एक महत्वपूर्ण अध्ययन में अस्थमा मरीजों के लिए उम्मीद जगाई है। जिसे अस्थमा का आधुनिक इलाज बताया जा रहा है। इसमें फेफड़े के सिकुड़न को रोकने के लिए इनहेलर के जरिए असक्रिय बैक्टीरियम को श्वांस नलियों तक पहुँचाया जाएगा।

पैथफाइंडर हेल्थइंडिया की फिजिशियन डॉ. संजना सीकरी ने बताया कि इसलिए इन्हें हमेशा साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं और इन्हेलर साथ में रखना पड़ता है। सांस की नली में सिकुड़न बढ़ने के बाद दवाओं के साथ इनहेलर भी जरूरी है। अस्थमा के इलाज में माइकोबैक्टीरियम फेलिस को आधुनिक इलाज माना जाता रहा है, जिसमें श्वांस नली में सिकुड़न के आधार पर मरीज को महीने में तीन से पांच बार इंहेलर लेने की सलाह दी जाती है। पहले चरण के शोध में असक्रिय माइकोबैक्टीरियम फेलिस के अलावा एक अन्य असक्रिय बैक्टीरियम बेसाइल के साथ ए, बी, सी और डी समूह के मरीजों पर प्रयोग किया गया, जिसका पहला चरण सफल देखा गया है, दरअसल असक्रिय बैक्टीरियम फेफड़े के सेल्स में सिकुड़न के लिए कारक लेवेज फ्लूड को नियंत्रित रखता है।

अपोलो अस्पताल के रेस्पेरेटरी मेडिसन और क्रिटिकल केयर विभाग के डॉ. राजेश चावला कहते हैं कि किसी भी अन्य बीमारी की तरह अस्थमा को भी नियंत्रित किया जा सकता है। लक्षण पहचान में आने के बाद जांच और इसके अटैक के खतरों (ट्रिगर) से सावधान रहना चाहिए। पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. विवेक सिंह के अनुसार अस्थमा लम्बी बीमारी है, जिसके दौरे से बचा जा सकता है। प्रदूषण, बायसल्फायड और संरक्षित खाद्य पदार्थों से इसका खतरा बच्चों में भी बढ़ रहा है।

डिप्रेशन के मरीजों के लिए अमेरिकी वैज्ञानिकों की नई सौगात 'फील गुड' कराएगी पट्टी

लॉस एंजिलिस। अमेरिकी वैज्ञानिक डिप्रेशन के मरीजों के लिए नई सौगात लेकर आए हैं। उन्होंने 'न्यूरोसिग्मा' नामक ऐसी पट्टी बनाई है, जो मस्तिष्क में खून का प्रवाह तेज करती है, जिससे व्यक्ति को 'फील गुड' का अहसास होता है।

'डेली मेल' के मुताबिक 'न्यूरोसिग्मा' मस्तिष्क में मौजूद ट्राईजेमिनल नस में बिजली का मामूली झटका देती है। इससे मूड निर्धारित करने वाले हिस्से सक्रिय हो जाते हैं। उनमें खून का प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे मस्तिष्क को संदेश मिलता है कि दिमाग के ये हिस्से सक्रिय हैं तथा उन्हें और खून की जरूरत है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने डिप्रेशन के उन मरीजों को ध्यान में रखते हुए यह पट्टी बनाई है, जिन पर या तो एंटी-डिप्रेसेंट दवाएं असर नहीं करतीं या फिर स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याओं को जन्म देती हैं।

'न्यूरोसिग्मा' में दो इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं, जो मोबाइल के आकार के एक जनरेटर से जोड़े जाते हैं। मरीज इस जनरेटर को अपनी कमर पर बांधकर सो सकता है। प्रमुख शोधकर्ता क्रिस्टोफर डिजॉर्जियों की मानें तो जनरेटर चालू करने पर उसमें से निकलने वाले आवेषित कण ट्राईजेमिनल नस को सक्रिय कर देते हैं। इससे दिमाग में खून का प्रवाह तेज होता है और तनाव का स्तर घटता है। डिजॉर्जियो ने बताया कि 'न्यूरोसिग्मा' परीक्षण की कसौटी पर खरी उतरी है।

कृत्रिम आंख बनाई

अमेरिका में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी कृत्रिम आंख बनाई है, जो सोलर पैनल की तरह रोशनी से चार्ज होती है। वैज्ञानिकों ने पहले भी ऐसी कृत्रिम आंखें बनाई हैं मगर उन्हें बैटरी से चार्ज करना पड़ता है। इस कृत्रिम आंख में रेटिना को प्रतिरोपित कर मरीज की देखने की शक्ति को ठीक किया जाता है।

अमेरिका के स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित इस नई आंख के बारे में बताया गया है। इस नई आंख में विशेष शीशों की जोड़ी का इस्तेमाल कर लगभग इन्फ्रारेड किरणों के बराबर वाली रोशनी को आंख में भेजा जाता है। इससे प्रतिरोपित रेटिना को ऊर्जा मिलती है और वो ऐसी सूचनाएँ भेजता है, जिनसे कि मरीज देख सकता है। अधिक उम्र में अक्सर लोगों की आंखों में बुढ़ापे से जुड़े लक्षण में प्रकट होते हैं, जिनसे कि वे कोशिकाएं मर जाती हैं जो कि आंखों के भीतर रोशनी को पकड़ा करती हैं। आगे चलकर यही लक्षण अंधेपन में बदल जाता है।

वायरलेस– इस कृत्रिम रेटिना में आंखों के पीछे की नसें उत्तेजित होती हैं, जिनसे कि कई बार आंखों के मरीजों को देखने में मदद मिलती है। ब्रिटेन में पहले ऐसे कृत्रिम रेटिना के प्रारम्भिक परीक्षण किए गए थे जिनमें पाया गया कि दो ऐसे लोग जो पूरी तरह अंधे हो गए थे वे रोशनी को ग्रहण करने लगे और कई बार आकृतियों को भी समझने लगे। मगर इन परीक्षणों में रेटिना के पीछे एक चिप लगाने के साथ-साथ कान के पीछे एक बैटरी लगानी होती थी और एक तार से दोनों को जोड़ना पड़ता था। स्टेनफोर्ड के शोधकर्ताओं का कहना है कि उनका ये परीक्षण इलेक्ट्रॉनिक्स और तारों की जटिलता को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस उपाय में प्रतिरोपित रेटिना सौर पैनल की तरह काम करती है जिसे आंख के पीछे लगाया जाता है। इसके बाद वीडियो कैमरे से जुड़ा शीशों का एक जोड़ा आंख के सामने होने वाली सभी चीजों को रिकॉर्ड करता है और उन्हें इन्फ्रारेड के लगभग समान किरणों में बदलकर रेटिना पर बौछार करता है। इस कृत्रिम रेटिना का अभी लोगों पर परीक्षण नहीं किया गया है, मगर चूहों पर ये काम करता है।

कपड़े जो सूंघते हैं

जल्दी ही बाजार में ऐसे कपड़े उपलब्ध होंगे, जिनकी सूंघने की ताकत आपकी नाक से अधिक होगी और सर्दी-जुकाम का भी इन पर कोई असर नहीं होगा।

ब्रिटेन की एक कंपनी ने खुलासा किया है कि उन्होंने एक ऐसी 'इलेक्ट्रॉनिक नाक' तैयार

की है, जो इतनी पतली है कि उसे कपड़े या कागज में सहजता से समाहित किया जा सकता है। खतरनाक पर्यावरणीय स्थितियों में प्रवेश करने से पहले ये वस्त्र आपको वहाँ मौजूद रासायनिक यौगिकों के बारे में तुरंत आगाह कर देंगे। कुछ लोग इनकी मदद से अपने ही पसीने से आने वाली गंध का भी आकलन कर सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य सम्बन्धी हलचलों का भी पता लगेगा।

तो आखिर पैराटेक कंपनी के ये संवेदक किस तरह काम करते हैं? इनमें लगे पॉलीमर पदार्थ वातावरण में फैले वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (वीओसी) को सोखकर फूलने लगते हैं, जिससे उनके आसपास के चालक पदार्थों पर दबाव पड़ता है और तंतुओं के पास आने से उनमें इलेक्ट्रॉन संचारित होने लगते हैं। इस विद्युत प्रवाह से संकेत प्राप्त होने लगते हैं।

भविष्य में इन संवेदकों का उपयोग कई अन्य क्षेत्रों में बखूबी किया जा सकेगा। जैसे- कपड़े पर बने जेबी कम्प्यूटर कीबोर्ड, कृत्रिम अंगों के लिए संवेदी त्वचा, उच्च क्षमता के शिनाख्ती इलेक्ट्रॉनिक कार्ड (आईडी) आदि।

लैब में उगेंगी हड्डियां, ऑर्डर दिया और हाजिर

लंदन। वो दिन दूर नहीं, जब हड्डी टूटने पर आप अस्पताल में ऑर्डर देंगे और कुछ ही दिनों के भीतर यह आपके सामने हाजिर होगी। जी हां, इजरायल स्थित टेक्नियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के वैज्ञानिक स्टेम सेल की मदद से लैब में कृत्रिम हड्डी उगाने में कामयाब रहे हैं। इससे भविष्य में टूटी हड्डी को जोड़ने और उसे नई हड्डी से बदलने की उम्मीद जगी है।

'द टेलीग्राफ' के मुताबिक कृत्रिम हड्डी के विकास के लिए शोधकर्ताओं ने होंठ में मौजूद अतिरिक्त वसा निकाला। फिर इससे प्राप्त स्टेम कोशिकाओं को एक बायोरिएक्टर में डाला।

इस मशीन में खून और जरूरी रसायनिक तत्वों का प्रवाह किया गया, ताकि स्टेम कोशिकाओं को हड्डियों के विकास के लिए जरूरी माहौल उपलब्ध हो सके। कुछ ही दिनों के भीतर ये कोशिकाएं हड्डी में तब्दील हो गईं।

प्रमुख शोधकर्ता अविनोम कदूरी की मानें तो चूंकि कृत्रिम हड्डी के विकास में मरीज की खुद की स्टेम कोशिकाओं का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए शरीर द्वारा इसे नकारने की आशंका कम हो जाती है। उन्होंने बताया, चूहों पर कृत्रिम हड्डी का सफल परीक्षण किया जा चुका है।

साल के अंत में इसे इंसान पर आजमाने की तैयारी है। कदूरी के अनुसार टूटी हड्डियां जुड़ तो जाती हैं, लेकिन उनमें पहले जैसी ताकत नहीं रहती। इसके अलावा ट्यूमर हटाने के लिए किए जाने वाले ऑपरेशन में भी हड्डियों का क्षरण होता है। कृत्रिम हड्डियां दोनों ही सूरतों में सौगात साबित होंगी।

विज्ञान की दो नई सौगातें

स्टीम रेल

ब्रिटिश कंपनी का यह उत्पाद साधारण प्रेस और स्टीम आयरन की छुट्टी कर देगा। मशीन से निकलने वाली तेज भाप से 9 मिनट के भीतर 35 कपड़े हो जाएंगे इस्त्री। कीमत 18,720 रुपये, छोटा आकार होने की वजह से बेड के नीचे रख सकेंगे।

तो बार-बार नहीं बदलना पड़ेगा चश्मे का नंबर

लंदन। चश्मे से दुनिया देखने वालों के लिए एक खुशखबरी है। अब उन्हें हर साल डॉक्टर के पास जाकर अपनी आंखों के लिए नया नम्बर नहीं लेना पड़ेगा। न ही दूर और पास की चीजें देखने के लिए दो अलग चश्मे रखने की जरूरत होगी। हाल ही में ब्रिटेन की एक कंपनी ने आईजस्टर नाम से एक चश्मा पेटेंट कराया है, जिसमें लेंस को अपनी सुविधा के हिसाब से सेट करने का विकल्प उपलब्ध होगा। पहनने वाले को चश्मे पर लगे हैंडिल को तब तक घुमाना होगा, जब तक उसे चीजें साफ-साफ दिखाई नहीं देतीं।

निर्माताओं के मुताबिक आईजस्टर में प्लास्टिक के दो लेंस लगाए गए हैं, जिन्हें घुमाने से पावर सेट हो जाता है।

उन्होंने बताया कि आईजस्टर लगाने के बाद व्यक्ति एक ही चश्मे से किताबें पढ़ सकता है और दूर रखी टीवी को भी देख सकता है। यह खासतौर पर विकासशील देशों के लिए उपयोगी है, जहाँ आंखों के अच्छे डॉक्टर काफी कम हैं।

कागज से स्याही निकालने की तकनीक खोजी

वैज्ञानिकों ने ऐसी नई तकनीक खोजने का दावा किया है, जिससे प्रिंट किए गए कागज से स्याही निकाली जा सकेगी, जिससे उसे फिर से प्रिंटर या फोटो कापी मशीन में इस्तेमाल किया जा सकेगा।

कैंब्रिज यूनिवर्सिटी की एक टीम की ओर से विकसित इस तकनीक के तहत प्रिंट किए गए कागज से शब्द और तस्वीरें मिटाने के लिए लेजर लाइट की शाट पलसेस का इस्तेमाल किया जाता है। अनुसंधानकर्ताओं ने दावा किया कि लेजर कागज को नुकसान पहुंचाए बिना टोनर स्याही को वाष्पित कर देता है। इससे भविष्य के कम्प्यूटर प्रिंटर या फोटोकापी मशीन में कागज से स्याही मिटाकर उसे दोबारा इस्तेमाल लायक बनाने की सुविधा मुहैया होने की संभावना बन सकती है। अनुसंधान का नेतृत्व करने वाले डॉ. जूलियन एलवुड ने कहा कि इससे कागज बनाने के लिए काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या में कमी आएगी।

कैंसर के ट्यूमर ढूंढ़ निकालेगा फोन

लंदन। कैंसर का पता लगाने के लिए अब न ही एक्स-रे की जरूरत पड़ेगी, न ही एमआरआई स्कैन की। एक छोटे से फोन के जरिए इस जानलेवा बीमारी को जन्म देने वाले ट्यूमर खोज लिए जाएंगे। वो भी कुछ ही मिनटों के भीतर।

जी हां, अमेरिकी कंपनी यूटी डालास के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी चिप बनाने का दावा किया है, जिसकी मदद से फोन दीवारों, लकड़ी, कपड़ों और प्लास्टिक के आरपार देख सकेंगे। वे शरीर के भीतर झांकने में भी सक्षम होंगे, जिससे कैंसर के ट्यूमर खोजने में आसानी होगी। जमीन के नीचे दबे विस्फोटकों और ब्रीफकेस में छिपाए गए काले धन का पता लगाने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा। प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर केनेथ ओ के मुताबिक नई चिप विद्युत-चुंबकीय स्पेक्ट्रम के टेट्राहर्ट्ज बैंड में काम करती है। इसके तहत आने वाली तरंगदैर्ध्य माइक्रोवेव और इंफ्रारेड के बीच पड़ती है, जो ज्यादातर उपकरणों की पहुँच से बाहर है।

भीलवाड़ा

रा.उ.मा.वि., कनेछन कलां को सनसाइन ग्रुप, नई दिल्ली द्वारा जरूरतमंद व श्रेष्ठ 40 विद्यार्थियों को विद्यालय गणवेश-10, अंग्रेजी शब्दकोश 09, कॉपी - 40, पेन - 40, ज्यामेट्री बॉक्स - 40, वितरित किए लागत 5,000 रुपये। निर्मला वर्मा द्वारा चार लालटेन चार छात्रों को निःशुल्क वितरित किए गए। **रा.उ.मा.वि., गंगापुर** में श्रीमती सुन्दर बाई डेसरडा द्वारा 2,50,000 रुपये की लागत से जलमन्दिर व बोरिंग का निर्माण करवाया गया। श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल से लाइट फिटिंग लागत - 71,000 रुपये, श्री बनवारी लाल शर्मा से टेबल-स्टूल 20 सेट लागत 16,500 रुपये, सर्वश्री चारभुजानाथ जी, अनिल बहेडिया, बृजेश काकाणी मनोज सेठिया, प्रकाश कोठारी प्रत्येक से 10 टेबल स्टूल सेट लागत 8,500 रुपये, श्री गुणवन्त स्वर्णकार से 6 टेबल-स्टूल सेट लागत - 5,000 रुपये, सर्वश्री दामोदर कोठारी, अर्जुन मून्दड़ा, प्रकाश नौलखा से प्रत्येक से 5 सैट टेबल-स्टूल लागत - 4,125 रुपये, श्री पृथ्वीराज गुर्जर से 4 सैट टेबल-स्टूल लागत 3,300 रुपये, सर्वश्री हस्तीमल मोगरा, कर्ण सिंह मोगरा से प्रत्येक से 3 सैट टेबल-स्टूल 2,475 रुपये, श्री लाठी एवं नैनावटी ग्रुप से फोटो प्रिन्टर व डुप्लीकेटिंग मशीन लागत - 18000 रुपये। **रा.उ.मा.वि., खारी का लाम्बा** को श्री सूरजकरण एवं सुशीला देवी श्रीमाल से 30 सैट लोहे के टेबल-स्टूल लागत 30,000 रुपये, 50 विद्यालय पोशाकें लागत 10,000 रुपये, 150 अभ्यास पुस्तकें एवं पेन लागत 5000 रुपये, श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ द्वारा विद्यालय के मुख्यद्वार पर लोहे की नामपट्टिका मय ऊपर छज्जा लागत 10,000 रुपये, श्री अर्जुन सिंह राठौड़ से विद्यालय चारदिवारी के लिए 10 सीमेन्ट के कट्टे लागत 1500 रुपये, श्री सुनील कुमार पारीक से पेड़-पौधे के गमले बनाने हेतु 1000 ईंटें लागत 3,000 रुपये, श्रीमती सुलोचना देवी टेलर से एक कक्षा-कक्ष की छत मरम्मत का कार्य लागत 6,000 रुपये। **रा.मा.वि., कांगणी** को सर्वश्री मियाचन्द जाट, भेरूलाल सालवी, छोटू खां मंसूरी से प्रत्येक से 10 सैट टेबल-स्टूल लागत प्रत्येक की 12,000 रुपये, कक्षा दस के विद्यार्थियों द्वारा 2 पंखे लागत 2,300 रुपये, श्री बहादुर बंजारा से स्पीच स्टैण्ड लागत 2,500 रुपये। **रा.मा.वि., तसवारिया** में सिद्धि विनायक लोजिस्टिक लिमिटेड द्वारा 3,70,000 रुपये की लागत 25'×20' का कक्षा-कक्ष मय बरामदा का निर्माण करवाया गया। जनसहयोग से विद्यालय में बिजली फिटिंग, चार पंखे, दो आलमारी, छः टेबल, 18 स्टूल प्राप्त हुए तथा एक कक्षा-कक्ष की फर्शी लगवाई। **रा.मा.वि., डेलाना** को श्री गणपत लाल चपलोत से छः छत पंखे लागत 6,000 रुपये तथा 150 विद्यार्थियों को 2-2 नोट बुक एवं एक-एक पेन लागत 3,000 रुपये। **रा.मा.वि., टीठोड़ा जागीर** को सर्वश्री रमेशचन्द्र काष्ट, महावीर सोमाणी, कैलाश चन्द्र सोमाणी से प्रत्येक से 5,000 रुपये की राशि से 40 टेबल-स्टूल बनाकर विद्यालय से सप्रेम भेंट। **रा.मा.वि., महेन्द्रगढ़** को श्री शंकर सिंह राठौड़ (पूर्व सरपंच) द्वारा कक्षा आठवीं में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण 07 छात्रों को (प्रति छात्र एक हजार रुपये) का आर्थिक सहयोग प्रदान किया। श्री रमेशचन्द्र सोमानी द्वारा विद्यालय के पाँच कमरों, बरामदा व ग्राउण्ड में बिजली फिटिंग कराई लागत - 15000 रुपये, श्री रतनलाल जाट से विद्यालय के विकास हेतु 1500 रुपये प्राप्त हुए। श्री प्रह्लाद सिंह गहलोत से विद्यालय के विकास हेतु 500 रुपये प्राप्त हुए। श्री प्रह्लाद सिंह गहलोत द्वारा विद्यालय के छात्रों हेतु पीने के पानी के दो टैंकर (क्षमता 5000 लीटर) प्रति माह निःशुल्क प्रदान किए गए। **रा.उ.मा.वि., मोखुन्दा** को श्री पारसमल पोखरणा से विद्यालय के सभी छात्रों को उत्तर-पुस्तिका लागत - 4000 रुपये, श्री मोहनलाल पोखरणा से 10 छात्रों को स्काउट की ड्रेसें दी गईं। **रा.उ.प्रा. वि., गोरा का खेड़ा** को ग्रामवासियों से छः पंखे लागत 7500 रुपये।

राजसमन्द

रा.मा.वि., जैतगढ़ (भीम) में श्री रघुनाथ गुर्जर द्वारा 35,000 रुपये की लागत से सरस्वती माता का मंदिर का निर्माण करवाया गया। श्री मूलचन्द लोढ़ा द्वारा 75,000 रुपये की लागत से जल मंदिर का निर्माण करवाया गया। दूदाराम गुर्जर से सरस्वती मंदिर पर चित्रकारी लागत - 5,000 रुपये, श्री लालचन्द अग्रवाल से 6 बेन्च बड़ी व 6 बेन्च छोटी लागत - 10,000 रुपये, श्री गणेश लाल चौरड़िया से विद्यालय भवन पर रंग-रोगन हेतु 9,000 रुपये प्राप्त हुए तथा 51 पौधे मय ट्री गार्ड लगवाये लागत - 21,000 रुपये, श्री दुर्गाराम ढोली (उप सरपंच) से एक लेक्चर स्टैण्ड 5000 रुपये।

सवाईमाधोपुर

रा.मा.वि., बिन्जारी को श्री कैलाश चन्द मीना से शाला विकास कोष समिति पंजीकरण हेतु 5100 रुपये प्राप्त हुए। श्री चेतराम मीना से 1100 रुपये नकद प्राप्त हुए, श्री देवकरण गुर्जर, पूर्व उप सरपंच से 1100 रुपये नकद प्राप्त हुए। श्री प्रभुलाल गुर्जर से एक पीतल की घंटी, एक भगोना मय ढक्कन लागत - 2500 रुपये। **रा.मा.वि., गण्डाल** को सर्वश्री गोविन्द प्रसाद दीक्षित, गिरधारी लाल सोनी, स्वपन कुमार राय, मदनमोहन शर्मा, राजेन्द्र कुमार शर्मा, सुशीला देवी, शिवचरण तिवाड़ी, रमेश चन्द मीना से प्रत्येक से 1100-100 रुपये सरस्वती मूर्ति की स्थापना हेतु नकद प्राप्त हुए। सर्वश्री बालकृष्ण अग्रवाल, जयगोविन्द शर्मा, अशोक कुमार वैष्णव, मुरारीलाल गौड़, आलाराम कहार, प्रभुदयाल वैष्णव से प्रत्येक से 500-500 रुपये सरस्वती मूर्ति की स्थापना हेतु नकद प्राप्त हुए। श्री गुप्तदानी से 2501 रुपये नकद प्राप्त हुए, श्री मिट्ठू सिंह से निःशुल्क टेन्ट व्यवस्था, श्री किशनलाल गौतम से निःशुल्क माइक व भजन व्यवस्था, जौहरीलाल मीना द्वारा निःशुल्क प्रसाद व भोजन व्यवस्था। श्री बद्रीप्रसाद पूर्णिया से निःशुल्क डेकोरेशन, श्री मंगल फोटो स्टूडियो द्वारा निःशुल्क फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी। **रा.उ.प्रा.वि., सीनोली** को श्री शिवप्रसाद मीना द्वारा कक्षा-8 के सभी छात्र-छात्राओं को विद्यालय पोशाक भेंट लागत - 7500 रुपये, श्री रामखिलाड़ी मीना से एक व्हील चेयर लागत - 1800 रुपये, श्री रामकिशन मीना द्वारा विद्यालय में टेलीफोन कनेक्शन करवाया गया। श्री जगदीश प्रसाद मीना से दो कमरों में विद्युत फिटिंग कराई, श्रीमती जसोदा मीना से एक जोड़ी किवाड़ लागत - 2300 रुपये।

सिरोही

रा.उ.मा.वि., साँतपुर में गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा 3,00,000 रुपये की लागत से प्याऊ का निर्माण एवं प्रसाधन हेतु पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई। श्री अचलेश्वर प्रसाद त्रिवेदी से 10 पंखे लागत - 11,000 रुपये, **रा.मा.वि., काछोली** में श्री शान्तिलाल माली द्वारा 32,000 रुपये की लागत से मंच पर टिनशेड का निर्माण करवाया गया। श्री खेताराम पुरोहित द्वारा विद्यालय मैदान पर दरवाजा निर्माण हेतु 11,000 रुपये प्राप्त हुए, श्री इसाक अली से एक सबमर्सिबल पम्पसेट लागत - 15,000 रुपये। **रा.मा.वि., उन्दरा** को श्री मंछाराम लौहार से 30 सैट टेबल-स्टूल प्राप्त हुए। **रा.मा.वि., जैला** को जनसहयोग से लोहे की बड़ी आलमारी एक लागत - 5,600 रुपये, ऑफिस टेबल बड़ा एक लागत - 3550 रुपये, लकड़ी के श्यामपट्ट नग-5 लागत - 4000 रुपये, दीवार घड़ी एक लागत 150 रुपये, लोहे के पानी स्टैण्ड नग-4 लागत 800 रुपये, लोहे के स्टूल बड़ा 1 व 2 छोटे स्टूल लागत - 1200 रुपये, लोहे के टेबल नग-3 लागत 3300 रुपये, श्री ललकाजी हीराजी पुरोहित से लोहे के टेबल नग-1 लागत 1100 रुपये, श्री जैसाजी उनाजी मेघ व उनाजी भीबा जी ख्वास से लोहे के बड़े टेबल नग-2 व मय स्टूल लागत - 2800 रुपये, जनसहयोग से 40 सैट टेबल-स्टूल लागत 36,000 रुपये व प्लास्टिक कुर्सियाँ नग-10 लागत 3,000 रुपये, श्री नैनमल खण्डेलवाल व कालूराम पुरोहित से विद्यालय में विद्युत फिटिंग कराई लागत - 25,000 रुपये, जनसहयोग से सम्पूर्ण विद्यालय में विद्युतीकरण लागत 14,000 रुपये व सिलिंग फैन - 14 नग। श्री हकमाजी रावता जी राणा से 10 ट्यूबलाइट सेट लागत - 3,000 रुपये, खीमाजी बालाजी माली द्वारा बोरिंग करवाया पानी हेतु लागत - 18,000 रुपये, श्री मूलाजी ताराजी राणा ने विद्युत मोटर लगाई लागत - 18,000 रुपये।

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक हर सहाय मीणा द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ एज्यूकेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, बीकानेर के लिए माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से प्रकाशित एवं कोटावाला ऑफसेट, 82, सुदर्शनपुरा, इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर से मुद्रित। © प्रधान सम्पादक : हर सहाय मीणा

चित्र समाचार

(बाएं) माननीय शिक्षा मंत्री श्री बृजकिशोर शर्मा आवास पर पक्षियों के लिए चुग्गा डालते हुए। (बाएं) शासन सचिव एवं आयुक्त, सर्व शिक्षा अभियान भास्कर ए. सावन्त घर पर परिण्डा बाँधते हुए। साथ हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लूनियावास (जयपुर) के स्काउट्स।

निदेशक प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान श्री हर सहाय मीणा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तलवण्डी, कोटा में पौधारोपण एवं कक्षा-कक्ष का निरीक्षण करते हुए। साथ हैं उपनिदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान।

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, स्थानीय एसोसिएशन रामनिवास बाग, जयपुर द्वारा ग्रीष्मकालीन जल सेवा।

साइकिल रैली से पर्यावरण स्वच्छता का संदेश देते रा.उ.मा.वि., भिंयाड, बाड़मेर के छात्र, संघ सचिव नारायण सोलंकी के साथ।

डाक पंजीयन संख्या
RJ/JPC/M-29/2011-13

शिविरा पत्रिका (मासिक) अगस्त, 2012
प्रकाशन तिथि : 2 अगस्त, 2012 पृष्ठ 52
प्रेषण : हर माह की 5, 6 तारीख

समाचार-पत्र पंजीयन संख्या
10350/66
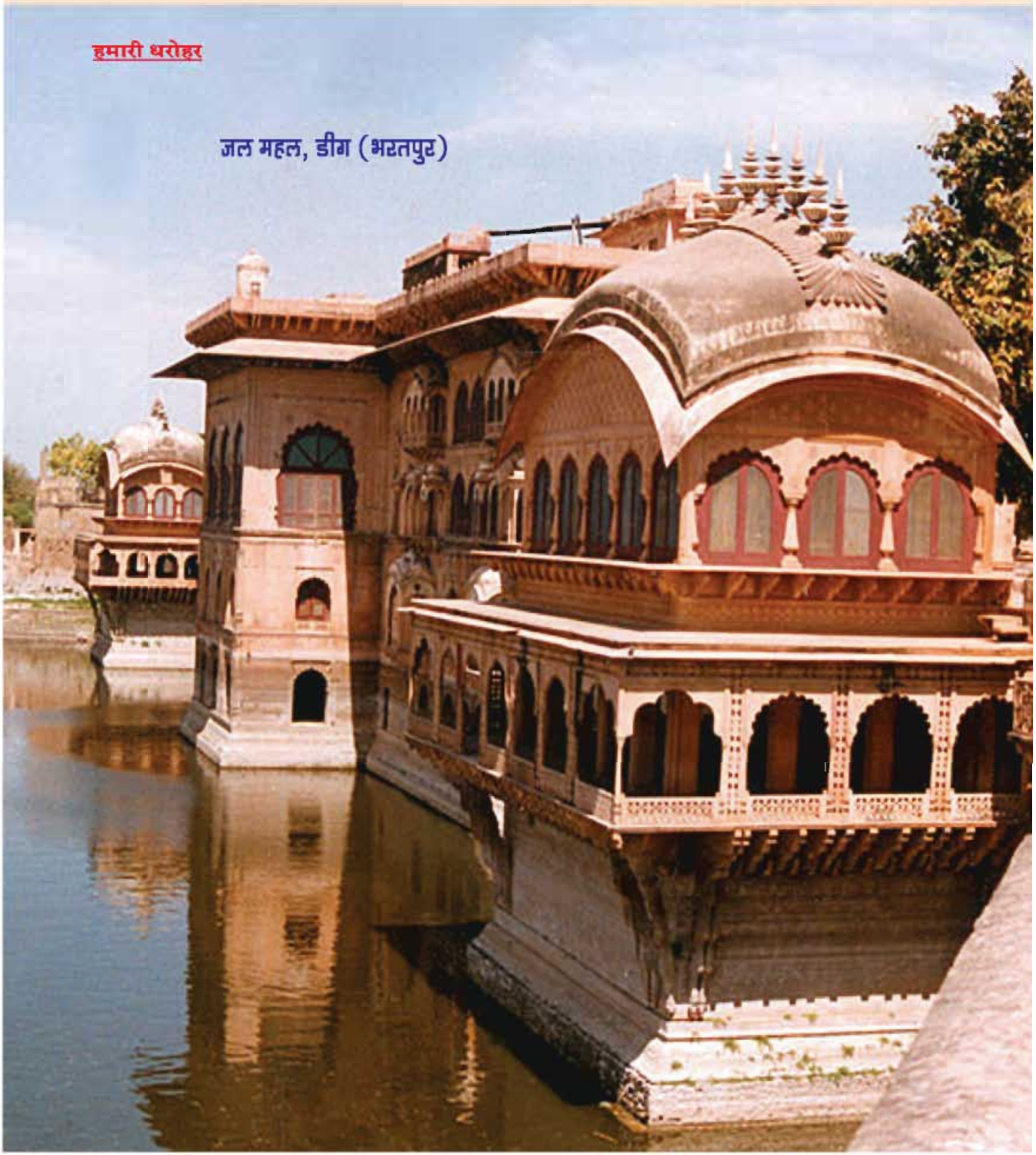
हमारी धरोहर